खण्ड–25, अंक–02
बुधवार, 06 फाल्गुन, शक संवत्, 1930
(25 फरवरी, 2009 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 25 में 04 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति	क
कतिपय विषयों पर नियम-310 के अन्तर्गत चर्चा किये जाने की मांग	1-8
प्रश्नोत्तर	9-53
भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमन के निधन पर शोकोद्गार	53-58
उत्तराखण्ड विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह के निधन पर शोकोद्गार	58-66
कम्पनी एक्ट 1956 की धारा-619-A(2) के अधीन उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष, 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	67
उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम, 2003 की धारा-131(1) के अन्तर्गत निर्गत की गयी अधिसूचना संख्या-843/XIV-1/2008, दिनांक 7 अक्टूबर, 2008 (सदन के पटल पर रखी गयी)	67
नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएं	67
उत्तराखण्ड के दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित मोबाईल अस्पतालों के संचालन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	67-68
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत कतिपय रूटों पर बस सेवा शुरू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	68
हरिद्वार जनपद में 28 ग्रामों की कृषि योग्य भूमि के नदियों के कारण नष्ट होने पर कृषि भूमि को बचाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	68-69
जनपद रुद्रप्रयाग में विधान सभा केदारनाथ के ग्राम सभा पिल्लू, जहँगी, बाजगढ़, गुगली, कलाकोट गाँवों में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	69

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तराखण्ड विनियोग (2008–09 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 (अधिनियमित होने की घोषणा)	69
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2008 (अधिनियमित होने की घोषणा)	70
उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 (अधिनियमित होने की घोषणा)	70
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2008 (अधिनियमित होने की घोषणा)	70
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 (अधिनियमित होने की घोषणा)	70
उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 (अधिनियमित होने की घोषणा)	71
उत्तराखण्ड पंचायत निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (अधिनियमित होने की घोषणा)	71
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 (अधिनियमित होने की घोषणा)	71
जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत कूल्हा, विकास खण्ड गदरपुर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित ललपुरी मेन रोड से मझरा भूप सिंह (गरघटाई) रेलवे लाइन तक 2 किलो मीटर एवं श्री रामपुर मदपुरी मेन रोड से ललपुरी होते हुए रेलवे लाइन तक 2 किलो मीटर तथा श्री रामपुर मदपुरी से लक्की मटमोज तक मार्ग सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	71–72
भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र, जनपद हरिद्वार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	72
संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	72–75
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	76–93
वित्तीय वर्ष, 2009–2010 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण	93–108

विषय	पृष्ठ–संख्या
नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण की नीति के अनुसार फ्री–होल्ड की कार्यवाही के सम्बन्ध में वक्तव्य	108–110
नेशनल पार्क के लिए कार्बेट पार्क को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिये जाने पर वक्तव्य	110–111
श्रीमती रमेशो कश्यप, अध्यक्ष, जिला पंचायत, हरिद्वार के विरुद्ध प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायत पर वक्तव्य	111–112
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	112–121
नियम–53 के अन्तर्गत सूचना	121
नत्थी	122–123

क

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अरविन्द पाण्डे
3—श्री अनिल नौटियाल
4—श्रीमती आशा
5—श्री ओम गोपाल
6—श्री करन मेहरा
7—सुश्री कैरन मेयर
8—श्री किशोर उपाध्याय
9—श्री केदार सिंह रावत
10—श्री केदार सिंह फोनिया
11—श्री खजान दास
12—श्री खड़क सिंह बोहरा
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश जोशी
15—श्री गोपाल सिंह
16—श्री गोपाल सिंह रावत
17—श्री गोविन्द लाल
18—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20—श्री चन्दन राम दास
21—श्री जोगा राम टम्टा
22—श्री जोत सिंह गुनसोला
23—हाजी तस्लीम अहमद
24—श्री तिलक राज बेहड़
25—श्री दिनेश अग्रवाल
26—श्री दिवाकर भट्ट
27—श्री दिवान सिंह
28—काजी मौ0 निजामुद्दीन
29—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30—श्री प्रकाश पन्त
31—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32—श्री प्रीतम सिंह
33—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34—श्री प्रेमानन्द महाजन
35—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36—श्री बलवीर सिंह नेगी
37—श्री बिशन सिंह चुफाल
38—श्री बंशीधर भगत
39—श्री बृज मोहन कोटवाल
40—श्री मदन कौशिक
41—श्री मनोज तिवारी
42—श्री मयूख सिंह
43—श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"
44—श्री मातबर सिंह कण्डारी
45—श्री मुन्ना सिंह चौहान
46—श्री यशपाल आर्य
47—श्री यशपाल बेनाम
48—चौ0 यशवीर सिंह
49—श्री रणजीत रावत
50—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
51—श्री राजकुमार
52—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
54—श्रीमती विजय बड़थ्वाल (उपाध्यक्ष)
55—श्रीमती बीना महराना
56—श्री शहजाद
57—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
58—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
59—श्री सुरेन्द्र राकेश
60—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61—श्री सुरेश चन्द जैन
62—डा0 हरक सिंह रावत
63—श्री हरभजन सिंह चीमा
64—श्री हरिदास
65—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

कतिपय विषयों पर नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा किये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम–310 के अन्तर्गत एक सूचना है।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के अन्तर्गत हमारी सूचनायें लगी हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, रानीखेत में संभ्रान्त लोगों पर मुकदमे दर्ज किये गये हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आप लोग अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे सूचनायें देखने तो दीजिये।

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, रानीखेत के संभ्रान्त लोगों पर फर्जी मुकदमें दर्ज किये जा रहे हैं। ये लोग 50 दिन से आन्दोलन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आप स्थान ग्रहण करें।

नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना डा0 हरक सिंह रावत, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल तथा श्री राजेश जुवांठा, दूसरी सूचना श्री करन मेहरा, तीसरी सूचना श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री प्रीतम सिंह तथा श्री केदार सिंह रावत, चौथी सूचना श्री किशोर उपाध्याय,

---

*नोट–वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पांचवी सूचना श्री मनोज तिवारी, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल तथा श्री रणजीत सिंह रावत, छठी सूचना श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री दिनेश अग्रवाल, सातवीं सूचना मौ0 शहजाद, श्री हरिदास, श्री तस्लीम अहमद तथा श्री सुरेन्द्र राकेश एवं आठवीं सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री नारायण पाल की प्राप्त हुई है।

मैं इनमें से नियम–310 के अन्तर्गत किसी भी सूचना को ग्राह्यता पर नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि ये सभी विषय ऐसे हैं, जिन पर महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विस्तार से चर्चा की जा सकती है।

इनमें से डा0 हरक सिंह रावत, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल तथा श्री राजेश जुवांठा की सूचना जो एन0टी0टी0 द्विवार्षिक प्रशिक्षित बेरोजगार युवतियों को प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किये जाने विषयक है, मैं इसे नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूंगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार जनप्रतिनिधियों का उत्पीड़न कर रही है।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, संभ्रान्त नागरिकों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किये गये हैं और वे 50 दिन से आन्दोलन कर रहे हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री करन मेहरा, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री किशोर उपाध्याय, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री मनोज तिवारी एवं श्री जोत सिंह गुनसोला 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा कार्यसूची की नत्थी "क" का प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, आप अवगत हैं कि 19 प्रश्न ऐसे हैं जो तारांकित प्रश्न हैं। अगर इन पर ही हम बात करते रहेंगे तो फिर हमें तारांकित प्रश्नों पर बात करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा और ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम अन्य विषयों को महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय ले सकते हैं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जायेगा। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में आपको पूरा अवसर दिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नियम–58 में सुन लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिदास जी, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो संशोधन दिये हैं, उसमें आपको पूरा अवसर दिया जायेगा। आपको पूरा अवसर मिलेगा। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय शहजाद जी, 19 प्रश्न हैं जो प्रदेश की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित हैं और इन्हें उठाने के लिए और कोई अवसर नहीं मिलने वाला है। यही समय है तारांकित प्रश्नों का। अन्य बातें आप महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में कह सकते हैं, आप अभिभाषण के समय ये बातें उठा सकते हैं। (व्यवधान) विभिन्न विषयों में आपने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उसमें इन सभी विषयों का उल्लेख किया गया है। (व्यवधान) जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जायेंगे, इनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। (व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते। (व्यवधान) महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में आप सभी विषय विस्तार से ले सकते हैं, पूरा अवसर मिलेगा आपको। (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे।) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, यह विषय माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भ में है, तो आप इस बात को कैसे उठा सकते हैं ? अगर किसी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है तो कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का विकल्प उनके पास खुला हुआ है। हाईकोर्ट इस बात को सुनिश्चित करेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण बता रहे हैं कि यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो इस विषय पर सदन में चर्चा किस प्रकार से हो सकती है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री मनोज तिवारी और इनके मामले को सुन लिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत है, वहाँ पर मामला विचाराधीन है तो यहाँ इस पर कैसे चर्चा कर लें। आपके पास कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का विकल्प है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रही है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अगर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं होता है तो माननीय उच्च न्यायालय अपने आदेशों का अनुपालन कराने के लिए सक्षम है। माननीय उच्च न्यायालय निर्णय लेने में सक्षम है। कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में खड़े होकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करते रहे और नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान होता रहा।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, नियम–310 के अन्तर्गत मेरी भी सूचना थी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप नियम–58 के अन्तर्गत दुबारा अपनी सूचना दे दें। मैं उसका परीक्षण करवा लूँगा कि आपकी सूचना नियम–58 के अन्तर्गत आती है या नहीं आती है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, स्थानीय निकाय के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वे छठे वेतन आयोग के वेतनमान की माँग कर रहे हैं। वे आंदोलनरत् हैं। पूरे शहर में गंदगी फैल रही है। जिसके कारण पूरे शहर में बीमारी फैलने का डर है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा करा लें। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। इस पर विनिश्चय हो चुका है। इस पर दुबारा चर्चा की माँग क्यों कर रहे हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस सूचना का उल्लेख माननीय सदस्यगण कर रहे हैं वह सूचना मैंने अभी पढ़ी। उसमें माननीय सदस्यगणों ने स्पष्ट लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से सम्बद्ध यह प्रकरण विचाराधीन है।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह हमारी नियमावली है और सदन नियमावली के आधार पर चलता है और नियमावली के नियम–107 के उपनियम–7 में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अगर प्रकरण न्यायालय का है तो श्रीमन्, हम न्यायालय के प्रकरण पर यहाँ पर किस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें, आसन ग्रहण करें। माननीय उच्च न्यायालय सक्षम है अपने निर्णयों का अनुपालन कराने के लिए। उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। आप विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–107 के उपनियम–7 को देखें, उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया पढ़ तो लीजिए। विचाराधीन की बात नहीं की है उन्होंने। आप जजमेंट की कापी भिजवा दें, मैं दिखवा लूँगा। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, न्यायालय से निर्णय हो चुका है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप देख लीजिए इसमें विचाराधीन का मामला नहीं आया है।

*चौ0 यशवीर सिंह–

इसकी जजमेन्ट की कापी हमारे पास है। हम पीठ के पास भेज रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसकी जजमेन्ट की कापी भिजवा दें, मैं दिखवा लूँगा।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, निर्णय हो चुका है। अब कार्य पालिका को इस निर्णय के अन्तर्गत कार्यवाही करनी है, मतलब सरकार को इस पर कार्यवाही करनी है।

*श्री दिनेश अग्रवाल--

मान्यवर, सरकार को न्यायालय के कोई निर्णय की जानकारी होती है या नहीं ? ये सरकार गूंगी-बहरी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप इस नियमावली की किताब को देख लीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर निर्णय हो चुका है, अब कोई मामला विचाराधीन नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त--

माननीय अध्यक्ष जी, पहले परीक्षण करा लेंगे, इस पर जो भी वस्तुस्थिति होगी, उससे सम्मानित सदन को अवगत करा देंगे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, इसे नियम-58 में सुन लें। अब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, इसलिए इसे नियमों के अन्तर्गत सदन में सुन सकते हैं। अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

नियम-107 के उपनियम (7) में स्पष्ट लिखा गया है कि 'वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो।' (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, अन्तर्गत हो यानी अब न्यायालय से निर्णय हो चुका है। इसलिए सरकार के लेवल पर इस पर निर्णय होना है। इसलिए सदन में मामला उठ सकता है। इस समय कोई भी मामला न्यायालय के विचाराधीन नहीं है, यानी मामला निस्तारित हो चुका है। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह जी द्वारा न्यायालय के निर्णय की कापी माननीय अध्यक्ष को उपलब्ध करवायी गयी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, इसे मैं कल दिखवा लूंगा।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर सरकार कल स्थिति स्पष्ट कर देगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इस पर कल स्थिति स्पष्ट करा दीजिए। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इस पर निर्णय देख लीजिए, लीव दिस स्पेशियल अपील फोर फाईनल डिस्पोजल। फाईनल डिस्पोजल कहां हुआ है ? जो आपने निर्णय दे रखा है उसको देख लीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, ये विषय अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है। इसका फाईनल डिस्पोजल अभी हुआ नहीं है। यदि फाईनल डिस्पोजल हुआ ही नहीं है तो कैसे इस विषय पर सदन में चर्चा हो जायेगी ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जब तक कोर्ट का स्टे है तो पहले पुरानी चीज लागू रहेगी। उसके बाद फाईनल हेयरिंग के बाद जो भी आये, उसका निर्णय होगा। कानून की व्याख्या यह है मान्यवर, कानून जो कहता है उसकी व्याख्या होनी चाहिए, कानून की व्याख्या सरकार के आधार पर नहीं होगी, यदि किसी केस में स्टे है तो स्टे पहले लागू होगा उसके बाद फिर फाइनल जजमेन्ट होगा।

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपना स्थान नहीं ग्रहण करते किसी माननीय सदस्य का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन सरकार अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट आज सायं तक कर देगी कि वास्तव में क्या स्थिति है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले गये।)

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

पहाड़ी नदियों के तट एवं तलों पर 'बायोमास' पैदा करने की योजना

*1–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पहाड़ी नदियों के तट एवं तलों पर 'बायोमास' पैदा करने की कोई योजना वन विभाग द्वारा बनाई जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वन, वन्य जन्तु एवं पर्यावरण, परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा पहाड़ी नदियों के तट सहित उपयुक्त स्थलों पर वृक्षारोपण कराया जाता है, जिससे बायोमास भी स्वयं ही पैदा हो जाता है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, जब आपने पिछली बार यह प्रश्न स्थगित किया था तो मैंने माननीय मंत्री जी से तीन प्रश्न पूछे थे। एक यह था कि उत्तराखण्ड में जो पथरीली नदियाँ हैं उनका क्षेत्रफल तटों का कितना है ? दूसरी, ऐसी कौन–कौन सी प्रजातियाँ हैं जो वहाँ पर विकसित की जा सकती हैं और क्या सरकार द्वारा, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्रफल है, उसके लिए कोई अनुसंधान किये गये हैं जिससे उस क्षेत्र को बायोमॉस पैदा करने के लिए उपयोगी बनाया जा सके। यह बड़ा खेद का विषय है कि इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक क्षेत्रफल का सवाल है तो क्षेत्रफल लगातार नदियों के, जिस प्रकार से पानी आता है, घटते–बढ़ते रहते हैं। इसका कोई रिकार्ड वन विभाग के पास नहीं होता है। अगर कोई विशेष नदी की चर्चा करेंगे, विशेष स्थान की चर्चा करेंगे तो हम उसका रिकार्ड दे सकते हैं। चूँकि नदियों का पानी घटता–बढ़ता रहता है। जहाँ तक प्रजातियों का सवाल है, असल में बायोमॉस तो वो हर चीज है जो जीवित है, पानी के अंदर काई हो वह भी बायोमॉस है, पौधे बायोमॉस हैं, जो भी जीवित चीजें हैं सब बायोमॉस हैं। हम वृक्षारोपण करते हैं। जिस जिस स्थान पर जिस जिस प्रकार की जमीन होती है या वातावरण होता है उस प्रकार के क्षेत्र में उस प्रकार का वृक्षारोपण करते

हैं। अब कहाँ पर कौन सा वृक्ष लगाना है वह वहाँ की जलवायु और भूमि को देखकर होता है। लेकिन तलहटी पर तो हम वृक्षारोपण करते ही नहीं हैं। साइडों में करते हैं, जहाँ हमारी लैण्ड होती है वहाँ करते हैं। नदी के किनारे आबादी भी है, नदी के किनारे प्राइवेट लैण्ड भी है, नदी के किनारे वन भूमि है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या मैदानी क्षेत्र में जो नदियाँ हैं उनके तटों पर लगातार भूस्खलन होता है, उसको रोकने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, उसके लिए विभाग क्या कर रहा है ? कोई योजना इसमें है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, विभाग का काम सामान्यतः नदियों के तटों पर नदियों के पास वृक्षारोपण करना है। अगर कोई अलग से स्थान बतायें तो मैं बता सकता हूँ।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इसकी गंभीरता माननीय मंत्री जी बार बार खत्म कर देते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि कितना क्षेत्रफल है ? ठीक है घटता–बढ़ता रहता है लेकिन एक एवरेज बताया जा सकता है। इस पर मंत्री जी ने कोई होमवर्क नहीं किया। बताने की चेष्टा नहीं की हाउस में। दूसरा, यह स्पष्ट है कि अनुसंधान हो चुके हैं, मैंने पिछली बार बताया था कि अनुसंधान हुए हैं। जो प्रजातियाँ हैं वो वहाँ पर उगाई जा सकती हैं जिससे जंगल में भूस्खलन रुकेगा। हमें जलाने के लिए ईंधन मिलेगा और पशुओं के लिए चारा भी मिलेगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी फिर से उसको बताने में पता नहीं क्यों हिचक रहे हैं या इसकी जानकारी नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से इण्टरनेट से कुछ जानकारियां लोड की हैं और ऐसी प्रजातियां जिन पर कार्य हो सकते हैं यह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहूँगा, पर अभी भी सरकार इसको किसी तरह से गम्भीरता से नहीं ले रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया प्रश्न करें। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इसको फिर से रखा जाए, यह जवाब तो पिछली बार भी मिला था पर उसका फायदा क्या हुआ, पिछली बार भी यही बात आई थी जब आपने स्थगित कर दिया था।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि नदियाँ बार–बार अपना रुख बदलती हैं, तो अगर बायोमास का समीकरण नदियों के किनारे होता तो निश्चित रूप से नदियों का रुख बार–बार नहीं बदलता, उससे भूमि का कटाव नहीं होता। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कोई आंदोलन के रूप में युद्धस्तर पर, नदियाँ अपना रुख न बदलें, इसमें कोई सरकार की योजना है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने कहा कि सरकार रूटीन में लगभग 20 से लेकर 28 हजार हेक्टेयर में वृक्षारोपण प्रतिवर्ष करती है, वह प्लांटेशन के रूप में भी है, वह नदियों के किनारे भी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अभी माननीय सदस्य ने अनुसंधान के आधार पर जो बातें कहीं हैं, कृपया उसका परीक्षण करवा कर जो सम्भव हो वह करें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, परीक्षण करा लेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह प्रदेश की बात है।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, भूमि कटाव होता है यह तो गम्भीर मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुरोध करूँगा कि नियम के अन्तर्गत कहें। कृपया स्थान ग्रहण करें, इस पर चर्चा नहीं होगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, चर्चा नहीं होगी, पर सरकार गम्भीर नहीं है, सरकार का जवाब सिर्फ इतना आया कि जी हाँ, जी नहीं, सरकार का रुख गम्भीर नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों के अन्तर्गत तर्कसंगत सूचना दें।

(घोर व्यवधान)

तारांकित प्रश्न

जिला ऊधमसिंह नगर में डैम व जलाशय निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी कृषि व वन भूमि

*1–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर में स्थित बैगुल डाम, धोरा डाम, नानक सागर, बौर एवं हरिपुरा जलाशय, तुमड़िया डैम बनवाने हेतु कितने एकड़ कृषि व वन भूमि अधिग्रहीत की गई थी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जलाशय निर्माण के बाद शेष वन व कृषि भूमि उनके मूल विभागों को कितने–कितने एकड़ भूमि वापस की गयी है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जनपद ऊधमसिंह नगर में सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के नियंत्रण में बौर जलाशय, हरिपुरा जलाशय एवं तुमड़िया जलाशय हैं, तथा बैगुल जलाशय, धौरा जलाशय व नानक सागर जलाशय उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के नियन्त्रण में हैं।

उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन जलाशयों हेतु अधिग्रहीत भूमि

क्र0	जलाशय का नाम	विभाग का नाम जिससे भूमि अधिग्रहीत की गयी	अधिग्रहीत भूमि (एकड़ में)
1.	बौर जलाशय	वन विभाग	3802.645
		राजस्व विभाग	79.47
2.	हरिपुरा जलाशय	वन विभाग	2257.939
		राजस्व विभाग	1147.707
3.	तुमड़िया जलाशय	वन विभाग	3926.331
		राजस्व विभाग	541.090
		ग्राम समाज	1.043
		कृषकों की भूमि	454.245

उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन जलाशयों हेतु अधिग्रहीत भूमि

4.	नानक सागर	वन विभाग	5500.00
		कृषकों की भूमि	5700.169
5.	बैगुल जलाशय	वन विभाग	5184.00
		कृषकों की भूमि	1659.05
6.	धौरा जलाशय	वन विभाग	3933.69
		कृषकों की भूमि	366.00

वन विभाग से 30004.605 एकड़, राजस्व विभाग से 1768.267 एकड़, ग्राम समाज से 1.043 एकड़, कृषकों से 8179.464 एकड़, कुल 39953.379 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी है।

मूल विभागों को वापस की गयी भूमि का विवरण

जलाशय का नाम	वन विभाग	राजस्व विभाग
बौर जलाशय	165.00 एकड़	–
हरिपुरा जलाशय	63.25 एकड़	–
तुमड़िया जलाशय	2263.30 एकड़	265.32 एकड़
नानक सागर जलाशय	1856.725 एकड़	39.925 एकड़
बैगुल जलाशय	1810.318 एकड़	65.10 एकड़
धौरा जलाशय	740.69 एकड़	–
कुल योग	6939.283 एकड़	370.345 एकड़

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बौर जलाशय में राजस्व विभाग की 79.47 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गयी और हरिपुरा जलाशय में राजस्व विभाग की 1147.707 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी थी। मान्यवर, बौर कला और हरिपुरा में राजस्व भूमि को अभी वापस नहीं किया गया है। मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि क्या सारी की सारी भूमि यूज हो गयी है या कुछ भूमि खाली बची है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात को मैं समझ नहीं पाया हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि राजस्व विभाग की जो भूमि अधिग्रहीत की गयी थी और इस भूमि में जो योजना चालू होनी थी, क्या वह सारी भूमि उस योजना में लग गयी है या इसमें कोई भूमि बची है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, वन विभाग की 6939.283 एकड़ भूमि वापस कर दी गयी है और राजस्व विभाग की 370.345 एकड़ भूमि वापस कर दी गयी है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, जैसे आपने तुमड़िया और नानक सागर की राजस्व भूमि वापस कर दी है, परन्तु बौर और हरिपुरा जलाशय की भूमि वापस नहीं की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि डैम की सारी राजस्व भूमि यूज में आ रही है या कुछ भूमि वापिस किये जाने लायक है, जो कि अभी वापस नहीं की गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि जो भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, क्या वह सारी भूमि उस डैम के यूज में आ गयी है या कुछ बची हुई है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जैसे मैंने कहा राजस्व विभाग की 370.345 एकड़ भूमि वापस कर दी गयी है और वन विभाग की 6939.283 एकड़ भूमि वापस कर दी है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं बौर और हरिपुरा के सम्बन्ध में कह रहा हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, बौर में 165.00 और हरिपुरा में 83.25 एकड़ भूमि वापस की गयी है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, आप वन भूमि की बात कर रहे हैं, मैं राजस्व भूमि के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, कोई राजस्व भूमि वापस नहीं हुई है, यह भूमि इस्तेमाल की गयी है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, यह जो बौर जलाशय और हरिपुरा जलाशय के नीचे वाली पट्टी है, यह जमीन किस विभाग की है ? यह राजस्व विभाग की है या वन विभाग की है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जलाशय के अन्तर्गत आने वाली जमीन जलाशय की है और जमीन तो कृषकों की होगी। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अंदाजे से कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, कृषकों की जो जमीन अधिग्रहीत की गयी है, उसका मुआवजा दिया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहिये। माननीय सदस्य की पूरी बात आने दीजिए।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, बौर जलाशय और हरिपुरा जलाशय, कूपा और कूला ग्राम सभा की जमीनों पर ही बनाये गये हैं, जो कि राजस्व के ग्राम हैं। आज पूरा गांव उसी जगह पर है। जहाँ पर डैम बनाया गया है, उसके नीचे की पूरी पट्टी कम से कम 08–10 किलोमीटर की होनी चाहिए, जिसमें लोग पूर्ववत् अपनी खेती को अभी भी जोत रहे हैं। मेरा मूल प्रश्न था जो जमीन उनसे ले ली गयी थी, वह अभी उनको वापस नहीं दी गयी है, जबकि वे खेत जोत रहे हैं। अभी यह भूमि राजस्व में दर्ज नहीं की गयी है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि इन दोनों को अभी राजस्व की भूमि वापस नहीं की गयी है, जबकि वहाँ मौके पर राजस्व की भूमि है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, बौर जलाशय महौली जंगल में 681.84 एकड़ भूमि विस्थापितों को बसाने के लिए दी गयी।

मान्यवर, हरिपुरा जलाशय के लिए कूपा और कूला में 891.682 एकड़ भूमि विस्थापितों को बसाने के लिए दी गयी। जहाँ तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, इसमें जहां तक मैं सोचता हूँ, हम स्वीकार करते हैं कि हरिपुरा जलाशय में 54.108 हेक्टेयर भूमि और बौर में 52.542 हेक्टेयर भूमि और तुमड़िया में 120.50 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण का मामला आया है।

श्री हरभजन सिंह चीमा--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तुमड़िया ग्राम जलाशय की 2283 एकड़ भूमि, जो वन विभाग को वापस की गयी बतायी गयी है, उसकी स्थिति जानना चाहता हूँ। क्योंकि यह भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के बाद वन विभाग ने इसको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इसे राजस्व विभाग को वापस कर दिया, यह कह कर कि इस पर अतिक्रमण है। यह अतिक्रमण राजस्व विभाग खाली करवाकर वन विभाग को हस्तांतरित करे और खेद का विषय है कि राजस्व विभाग ने भी अपने रिकॉर्ड में इस भूमि को नहीं लिया है। आज यह भूमि न राजस्व विभाग में है और न ही वन विभाग में और वहाँ पर दशकों से बसे हुए जो छोटे-छोटे किसान हैं, वे इस भूमि को अपने नाम पर करवाने के लिए प्रयासरत् हैं। न तो यह सरकार उनको भूमि का अधिकार दे रही है, न उनसे राजस्व ले रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करिये।

श्री हरभजन सिंह चीमा--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आज यह भूमि राजस्व विभाग में है या वन विभाग में है ? कृषकों की इस जमीन पर क्या सरकार अतिक्रमण मानती है या उनको भूमिधरी के अधिकार देना चाहती है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी--

माननीय अध्यक्ष जी, सम्बन्धित विभाग को यह भूमि दे दी गयी है। अब सम्बन्धित विभाग का दायित्व बनता है कि उस जमीन को वह वापस लेता है या नहीं। उस जमीन पर अतिक्रमण हुआ है या नहीं, यह उस विभाग का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

आप विभाग के मंत्री हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी--

मान्यवर, वन विभाग और राजस्व विभाग को यह जमीन वापस कर दी गयी है, यह सिंचाई विभाग के पास नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने कहा 6939.283 एकड़ भूमि वन विभाग को वापस कर दी गयी है। अब यह वन विभाग का कर्तव्य है कि वह निर्धारित करे कि उस पर क्या होना चाहिए और इसके अतिरिक्त 370.345 एकड़ भूमि राजस्व विभाग को दे दी गयी है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि तुमड़िया जलाशय के निर्माण में ग्राम समाज की 1.043 एकड़ भूमि और कृषकों की 454.245 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमड़िया जलाशय हेतु ग्राम सभा और कृषकों की जो भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, इसके फलस्वरूप उनको मुआवजे के रूप में धनराशि आवंटित की गयी है या उनको भूमि आवंटित की गयी है ? इसमें मुआवजा कितना दिया गया है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह 1965–66 का मामला है, यह उत्तर प्रदेश का मामला है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास जानकारी नहीं है। पहले जानकारी कर लें, उसके बाद उत्तर दे दें। (व्यवधान) मान्यवर, इसे अभी स्थगित कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सरकार की तरफ से यह जवाब कतई नहीं आना चाहिए कि यह उत्तर प्रदेश का मामला है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, तुमड़िया जलाशय के लिये जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, वे आज भी दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको मुआवजे के रूप में न तो धनराशि मिली है और न ही उनको भूमि के बदले भूमि दी गयी है। एक जगह पर उठाकर उनको बसा दिया गया है। आज भी वे लोग तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं। यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। मान्यवर, इस पर आपकी ओर से संरक्षण चाहिए। यह बहुत ज्यादा भूमि नहीं है, मात्र 454.245 एकड़ भूमि है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिए।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया कि कितनी भूमि आवंटित की गयी, कितना मुआवजा दिया गया ? इसका कोई उत्तर नहीं आया है। मैंने तो स्पष्ट पिन प्वाइंटेड प्रश्न किया है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, इसी विषय से जुड़ा हुआ मेरा भी एक प्रश्न है कि हरिपुरा जलाशय बनने से कुछ लोगों की जमीन ली गई थी। कितने ऐसे परिवार हैं, जो हरिपुरा जलाशय से विस्थापित हो गये थे और जिनको जमीन दी गई और कितनों को जमीन नहीं दी गई ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, बौर जलाशय के विस्थापितों को 681.841 एकड़ भूमि दी गई, हरिपुरा जलाशय के विस्थापितों को 891.682 एकड़ भूमि दी गई, तुमड़िया जलाशय के विस्थापितों को 432.734 एकड़ भूमि दी गई तथा नानकमत्ता सागर के विस्थापितों को पीलीभीत में तीन हजार एकड़ भूमि आवंटित की गयी और इन्हें मुआवजा भी दिया गया, नानकसागर के विस्थापितों को भूमि और मुआवजा दोनों दिया गया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह गलत बात है, यह गलत बयानी कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, वह किसान आज भी दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं, सदन को भ्रमित किया जा रहा है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, तुमड़िया जलाशय के विस्थापितों की नाप जमीन अधिग्रहीत की गई थी। लेकिन आज भी उनको नाप भूमि के बदले नाप भूमि आवंटित नहीं की गयी है। उनको कभी भी बेनाप भूमि से हटाया जा सकता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रेमानन्द महाजन जी, कृपया आप प्रश्न पूछिये।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, उन किसानों से नाप जमीन ले ली गयी लेकिन उन्हें अभी तक नाप जमीन नहीं दी गई। इस प्रश्न को स्थगित किया जाना चाहिये।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, पूरे ऊधमसिंह नगर में 7 डाम हैं और सातों डाम के लिये किसानों की जमीन ली गई और हजारों किसान इससे प्रभावित हुये हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मंत्री जी उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ नहीं आये हैं, इसलिये इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन जो जलाशय हैं, उसमें हमारा हिस्सा कितना है और कब तक यह परिसम्पत्तियां हम वापस ले लेंगे ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह परिसम्पत्ति वापस लेने के लिये हमारी एक बैठक देहरादून में उत्तर प्रदेश के साथ हो चुकी है, दो बैठकें लखनऊ में हो गयी हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इससे सम्बन्धित बात बताइये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, त्रिपाठी जी ने यह प्रश्न पूछा था इसके लिये एक बैठक देहरादून में, दो बैठकें लखनऊ में और चार बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं तथा मैं स्वीकार करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के पास हमारी 12444.669 हैक्टेयर भूमि अभी भी है, उसको वापस लेने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, 8 वर्ष हो गये हैं, कब तक इन्हें वापस ले लिया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमने इसके सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द ये जमीन हमें वापस मिल जाये।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, इस प्रश्न का तो उत्तर आपने दे दिया, पहले वाले प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिये कि तुमड़िया जलाशय से प्रभावित किसानों को कब तक नाप जमीन एलॉट कर दी जायेगी ?

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, नानक सागर डाम 1956–57 में बना, उसमें कई गाँव डाम के अन्दर आये थे, जिन्हें बाहर बसाया गया था। किसी को भूमि आवंटित हुई और किसी को नहीं

हुई और जिन्हें नहीं हुई, वे पुनः राजस्व की बची हुई भूमि पर बस गये हैं और उस पर खेती कर रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पट्टे बनाये जायेंगे, उनको खेती करने के अधिकार दिये जायेंगे ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह नीतिगत मामला है, जो अवैध जमीन लोगों के कब्जे में है। यह नीतिगत मामला है और शासन इस पर विचार करेगा कि क्या किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह बात स्पष्ट करिए कि जो भूमि ली गयी थी, और वो भूमि बची हुई है, अगर उसमें से बची हुई है और अभी भी लोगों को आवंटित नहीं हुई है, और वो बस गये हैं, क्या वह भूमि उनको आवंटित होगी या नहीं होगी ? जिन्हें आवंटित नहीं हुई है, उन्हें आवंटित करेंगे या नहीं ?

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, उनकी नाप भूमि अधिग्रहीत की गयी और आज भी उनके नाम पर नहीं दी गयी है।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, जिनकी भूमि नानक सागर डाम में ली गयी है और वही गाँव उस जमीन में बसे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, इस समस्या का पूरा समाधान निकाला जाय। कृषकों के नाम पर जो नाप भूमि ली गयी थी, वो उनको दी जानी चाहिए मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

आप सहमत होंगे कि अभी बहुत प्रश्न बचे हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, दो तरह से इसमें प्रश्न उठे हैं। एक प्रश्न यह है कि जिन व्यक्तियों को राजस्व भूमि से हटा कर वन भूमि आवंटित की गयी। अभी तक वह राजस्व भूमि डिक्लेयर नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या हमारी सरकार ने भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट में उन क्षेत्रों को जहाँ इन लोगों को विस्थापित किया गया, वन अधिनियम, 1980 की परिधि से बाहर रखने का कोई प्रयास किया ? नम्बर–एक प्रश्न यह है। नम्बर–दो प्रश्न यह है जो लोग वहाँ अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं, केन्द्र सरकार ने, हमारी संसद ने वन क्षेत्र परम्परागत निवासी अधिनियम, 2006 पारित किया है जिसमें इस तरह के लोगों को वहां रहने का अधिकार देने की बात की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो अधिनियम, 2006 केन्द्र सरकार ने पारित किया, उसके अनुरूप अभी तक तीन साल हो गये हैं, अभी तक उसके लिए क्या कार्यवाही की है ? (घोर व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। यह बहुत गम्भीर विषय है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अगर वो किसान अपनी जमीन के लिए आंदोलन कर रहा है तो उस पर सेवेन क्रिमिनल एक्ट लगा दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, तराई में जितने भूमिहीन आन्दोलन कर रहे हैं अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए मान्यवर, उन पर क्रिमिनल एक्ट लगाया जा रहा है। यह बहुत गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों के अन्तर्गत तर्कसंगत सूचना दीजिए। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसका तो जवाब ही नहीं आया है। पहले तो वह स्थगित होना चाहिए।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि बौर जलाशय, हरिपुरा जलाशय है, धौराडाम जलाशय है, नानक सागर है, इसके अन्दर जो लोग रह रहे हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। उनके गन्ने के सट्टे बने हुए हैं, वहां पर चुनाव होते हैं पंचायतों के, क्या उन लोगों को भी जमीनों का अधिकार सरकार देगी या नहीं ? क्या कोई कमेटी गठित करके इनको अधिकार देने की कोई योजना सरकार की है ? (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह नीतिगत निर्णय है। सरकार इस पर विचार कर रही है। नीतिगत निर्णय के आधार पर इसमें फैसला लिया जायेगा। (घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसमें एक समिति गठित करा दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, हजारों की आबादी है, गांव के गांव हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सरकार विचार कर रही है इस पर। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कह दिया है यह नीतिगत निर्णय है और इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। (व्यवधान)

प्रदेश में विगत दो वर्षों में वृक्षारोपण का विवरण

*2–श्री प्रीतम सिंह एवं श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत दो वर्षों में वन विभाग द्वारा प्रदेश में कहाँ–कहाँ किन–किन प्रजातियों के वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया ?

क्या प्रजातियों का चयन स्थानीय वातावरण की अनुकूलता तथा पर्यावरणीय सन्तुलन के दृष्टिगत किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

उत्तराखण्ड में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में 28835.091 हेक्टेयर तथा वर्ष 2008–09 में 25144.15 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया। यह वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा प्रदेश के 38 वन प्रभागों के कार्यक्षेत्र में कराया गया है। वृक्षारोपण में विभिन्न क्षेत्र के लिए उपयुक्त मुख्य रूप से बांज, उतीस, अकेशिया, सीरस, क्वैराल, तुन, हरड़, बहेड़ा, काफल, अखरोट, बांस, रिंगाल, आंवला, देवदार, सुरई, अंगू, थुनेर, शीमल, तेजपात, बुरांश, सागौन, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस, पौपलर, जामुन, अर्जुन, रीठा, कंजी, बेल, सेमल, मेहल, घिघारू, हिसालू, तुषार, किल्मोड़ा एवं अन्य फलदार, शोभादार, चारापत्ती तथा विविध प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वर्ष 2007–08 में 28835.091 हेक्टेयर तथा वर्ष 2008–2009 में 25144.15 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से पहले यह जानना चाहता हूँ कि जो रकबा उत्तर में दिखाया गया है उसमें कुल कितने वृक्षों का वृक्षारोपण हुआ है ? दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो वृक्षारोपण किया गया उसका सर्वायवल रेट क्या है ? अगर सर्वायवल रेट 100 प्रतिशत है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, अगर सर्वायवल रेट 100 प्रतिशत नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो नुकसान हुआ है उसके क्या कारण रहे हैं ?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2007–2008 में 28835.091 हेक्टेयर और 2008–2009 में 25144.15 हेक्टेयर भूमि पर हमने विभिन्न प्रभागों में वृक्षारोपण किया, लेकिन इस समय कितने वृक्षों का वृक्षारोपण हुआ है इसकी जानकारी मैं माननीय विधायक जी को दे दूँगा, इस समय यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सीधा सा प्रश्न माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इतने हेक्टेयर जमीन पर वृक्षारोपण हुआ। मैंने यह पूछा कि जितने हेक्टेयर भूमि पर आपने वृक्षारोपण किया, उसमें कितने वृक्ष लगाये ? अगर माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है, तो क्या जानकारी है ? उसका सर्वायवल रेट कितना प्रतिशत है यह बता दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, कितने वृक्ष लगाये इसकी जानकारी मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य को दे दूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर जवाब दे दिया करें। मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी यहाँ पर पूरा जवाब लेकर आयें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग कितने वृक्ष लगाये होंगे, उसका सर्वायवल रेट क्या है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, सर्वायवल रेट, वर्ष 2007–2008 में लगभग 80 प्रतिशत वृक्ष स्वस्थ हैं और वर्ष 2008–2009 में 90 फीसदी वृक्ष हमारे स्वस्थ हैं। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है कि कितने वृक्ष लगाये। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर आपने लगभग बताने को कहा। वर्ष 2007–2008 में 2.8 करोड़ वृक्ष हमने लगाये और वर्ष 2008–2009 में ढाई करोड़ वृक्ष हमने लगाये हैं जो लगभग मैं मैंने कहा। इसमें दो–चार हजार बढ़ भी सकते हैं और दो–चार हजार कम भी हो सकते हैं। जहाँ तक सर्वायवल होने का सवाल है 80 फीसदी वृक्ष हमारे सुरक्षित हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पौधों का रोपण पर्यावरण के सन्तुलन के लिए किया जाता है और आज की परिस्थितियों में न केवल हमारे राज्य की,

हमारे देश की, बल्कि विश्व समुदाय की सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकताओं में जल संरक्षण और मृदा संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण सम्मिलित है। जिन वृक्षों का उल्लेख, जिन प्रजातियों का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में किया है, क्या इनसे विश्व समुदाय की ओर से जो लक्ष्य रखे गये हैं, उसकी पूर्ति सम्भव है ? तीनों चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे शीशम, खैर और यूकेलिप्ट्स जैसे वृक्ष जो जल का ह्रास करते हैं, मृदा को भी नहीं रोक पाते हैं इन प्रजातियों के रोपण का औचित्य क्या है ?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्या चाहता हूँ और माननीय सदस्य क्या चाहते हैं इस आधार पर वृक्षारोपण नहीं होता है। इसके लिए हमारी कार्ययोजना बनती हैं। वर्किंग प्लान बनता है, जो 10 साल का वर्क प्लान होता है। उस प्लान को बनाने में 2 वर्ष लगते हैं। उसमें बड़े विशेषज्ञ होते हैं, विभागीय अधिकारी भी उसमें सम्मिलित होते हैं। वह लोग यह तय करते हैं कि किस स्थान पर कौन से पौधे लगाये जायें। अलग–अलग जलवायु पर, अलग–अलग भूमि पर, अलग–अलग तरह के पौधों का रोपण होता है। अब कहीं पर यूकेलिप्ट्स के पौधों की आवश्यकता है तो वहाँ पर वह लगाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि यूकेलिप्ट्स और चीड़ को हम प्राथमिकता कम देते हैं। लेकिन अगर आज की इकोनोमी को देखेंगे तो ये दोनों वृक्ष लाभप्रद हैं। पूरे वन विभाग की इकोनोमी यूकेलिप्ट्स और चीड़ पर आधारित है तो कहीं न कहीं इनको भी लगाना पड़ता है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने अपने उत्तर में आर्थिक दृष्टि का उल्लेख कहीं नहीं किया है, आपने सिर्फ पर्यावरण का उल्लेख किया है।

श्री बंशीधर भगत–

जहाँ तक पर्यावरण संरक्षण की बात है, जलवायु के शुद्धिकरण की बात है, तो वहाँ पर हम अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि चौड़ी पत्तियों के वृक्ष लगाते हैं। वहाँ पर हम बांस, कचनार, उतीस, सागौन, काफल, अकेशिसया, सागौन, हरड़, देवदार इत्यादि के वृक्ष लगाते हैं। अब कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ चौड़ी पत्ती के वृक्ष लग ही नहीं पाते हैं। तो अलग–अलग स्थानों पर जलवायु और मिट्टी इत्यादि को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अलग–अलग स्थानों के लिए अलग–अलग वर्किंग प्लान बनता है, यह वर्किंग प्लान 10 वर्ष का होता है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पर्यावरण संतुलन के लिए कौन–कौन से फैक्टरों का वन विभाग द्वारा ध्यान रखा जाता है। मानकों के अनुसार सरवाइवल रेट्स क्या होना चाहिए ? आप सरवाइवल रेट 80 प्रतिशत बता रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड के मानकों के अनुसार कितना होना चाहिए।

श्री बंशीधर भगत–

कितना होना चाहिए के हिसाब से तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 100 प्रतिशत हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन 100 प्रतिशत सम्भव नहीं है। जहाँ तक हम सोचते हैं अगर 75–80 प्रतिशत सरवाइवल रेट आता है तो हम मानते हैं कि यह ठीक रेट है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी 2008–09 में सरवाइवल रेट 90 प्रतिशत बताया है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, 2008–09 में 90 प्रतिशत हुआ है इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष–

आपका क्या प्रश्न है ?

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यावरण संतुलन के लिए कौन–कौन से फैक्टरों का वन विभाग द्वारा ध्यान रखा जाता है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया है कि कहीं पर यूकेलिप्ट्स के वृक्ष लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो कहीं पर चौड़ी पत्ती के वृक्ष लगाने की आवश्यकता पड़ती है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, एक बार फिर बता दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं पुनः अवगत करा रहा हूँ कि जो वर्किंग प्लान है वह 10 वर्ष का बनता है, उसमें इन्हीं बातों का अध्ययन होता है कि कहाँ कैसी मिट्टी है, कैसी जलवायु है और किस तरह के वृक्ष कहाँ लगाये जा सकते हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि वर्ष 2007–08 में 2 करोड़ 8 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण हुआ और वर्ष 2008–09 में 2 करोड़ 50 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण किया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2007–08 में 28835.091 हेक्टेयर भूमि पर 2 करोड़ 8 लाख वृक्षारोपण हुआ और वर्ष 2008–09 में 25144.15 हेक्टेयर भूमि पर 2 करोड़ 50 लाख का वृक्षारोपण हुआ है, तो यह अन्तर क्यों हुआ ? जबकि ज्यादा भूमि में ज्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए, कम भूमि में कम वृक्षारोपण होना चाहिए। इसकी जानकारी चाह रहा हूँ। (हँसी) दूसरा जो माननीय मंत्री जी ने बार–बार कहा कि 10 वर्ष का वर्किंग प्लान बनता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो 10 वर्ष का वर्किंग प्लान है, उसकी समय सीमा कब समाप्त हो रही है और जो दस वर्ष का वर्किंग प्लान आपने बनाया है उसमें कुल कितने वृक्षारोपण का लक्ष्य आपने रखा है ?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां माननीय सदस्य का कहना है कि कम जमीन में अधिक पेड़ और अधिक जमीन में कम पेड़ की बात है। ये तो पेड़ के साईज की बात है (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, मेरे माननीय मित्र बड़े जोर से हँस रहे हैं। क्या इनको ये जानकारी नहीं है कि यूकेलिप्ट्स का पेड़ कैसा होता है और बरगद का पेड़ कैसा होता है और कितनी जगह लेता है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस बात से मैं सहमत हूँ लेकिन मैंने दो प्रश्न और पूछे थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। वर्किंग प्लान के बारे में बता दीजिए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इस वर्ष हम एक प्लान चालू करेंगे जो आने वाले दस वर्षों में (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। आप कुछ संरक्षण इधर भी तो दीजिए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी होम वर्क करके नहीं आये हैं। जनता दरबार लगाने के बजाय, मान्यवर, माननीय मंत्रियों के द्वारा, सरकार द्वारा केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से

जनता दरबार लगाया जा रहा है, यदि माननीय मंत्री जी सदन में होम वर्क करके आये होते तो सरकार को सही मायने में जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री जी, आप वर्किंग प्लान के बारे में बता दीजिए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ? (हंसी) मुझे ये उम्मीद है कि ये ऐसा ही कहेंगे। मैं यह बात सत्य कह रहा हूँ कि वर्किंग प्लान हर वर्ष बनते हैं, दस साल के लिए बनेगा। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दस वर्ष का वर्किंग प्लान बना है, लेकिन अब कह रहे हैं कि हर वर्ष का बनता है। जबकि ये होता है जब दस साल का वर्किंग प्लान पूरा हो जायेगा तो अगले दस साल के लिए वर्किंग प्लान बनेगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि हर वर्ष का बनता है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, क्षेत्र बदल जायेगा। इस वर्ष एक क्षेत्र का बनेगा तो अगले वर्ष दूसरे क्षेत्र का बन जायेगा। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहिए ....।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष एकदम आक्रोशित हो रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आक्रोश से कहां कह रहे हैं। गम्भीरता से प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, यहां पर चर्चा नहीं हो रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मानव के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 80 से 90 प्रतिशत सरवाइवल रेट है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह सच नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन की एक समिति बना लें और इसकी जाँच करा ली जाए। यह मानव जीवन से सम्बन्धित विषय है और जो सरवाइवल रेट की बात माननीय मंत्री जी ने की है इसकी जाँच समिति करे। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर वृक्षारोपण ठीक से नहीं होगा तो जलस्रोत सूख जायेंगे और पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा है और माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, अस्सी प्रतिशत और नब्बे प्रतिशत की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक विधान सभा की जाँच समिति बना दें। जो इसकी जाँच करें। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, कृपया बैठ जाएं। कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। 10 वर्ष का प्लान बना रहे हैं तो अगर आप हर साल 10 वर्ष का प्लान बनायेंगे तब तो एक वर्ष का प्लान बना दें। मैं यह कह रहा हूँ कि अगर आपने 10 वर्ष तक की योजना बनाई है तो उस पर आप 10 वर्ष तक कार्य करेंगे, आपने चयनित किया होगा उस स्थान को। अगर हर वर्ष आप 10 वर्ष की योजना बनायेंगे तो 10 वर्ष तो कभी पूरे होंगे नहीं। इसलिए एक वर्ष की योजना बना दीजिए। 10 वर्ष की क्यों बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब सही नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरा सीधा–सीधा प्रश्न है कि अगर 10 वर्ष का प्लान आप द्वारा बनाया गया है, जो माननीय मंत्री जी का कहना है, तो उसकी अवधि 10 वर्ष में समाप्त हो रही है और इस 10 वर्ष की योजना में कुल कितना वृक्षारोपण किया जायेगा मैं यह जानना चाह रहा हूँ। यह सीधा सा प्रश्न है और माननीय मंत्री जी इस सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर दूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया उत्तर तो आने दें। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार जनता के सवालों के प्रति गंभीर नहीं है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(तत्पश्चात डा0 हरक सिंह रावत अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर बाहर चले गये।)

कोटद्वार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार से मवाकोट तक वन मार्ग का निर्माण

*3–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार से मवाकोट तक वन मार्ग का निर्माण ई0पी0आई0 संस्था द्वारा लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं कराया गया ?

क्या यह सत्य है कि उक्त संस्था को उक्त कार्य हेतु धन आवंटित किया जा चुका था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार अवगत करायेगी कि उक्त वन मार्ग का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

₹ 9811.81 लाख लागत के 41 वन मोटर मार्गों के निर्माण हेतु उक्त संस्था को ₹ 5324.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इन 41 कार्यों में उक्त कार्य भी शामिल है।

ई0पी0आई0 द्वारा सम्पन्न कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कमेटी द्वारा सम्पन्न कराई जा रही है। उसके पश्चात् आगे कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह योजना कब स्वीकृत हुई थी और दूसरा विषय कि कब निर्माण कार्य शुरू हुआ और कब निर्माण एजेंसी पर जाँच शुरू की गई ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जिस मार्ग की चर्चा है, यह जो ई0पी0आई0 को काम दिया गया था, यह 2006–07 में वित्तीय स्वीकृति जारी की गई और इसमें 235 लाख रुपये की स्वीकृति थी जिसके सापेक्ष 130 लाख रुपया अवमुक्त किया गया कार्य को करने के लिए। लेकिन यह 41 मार्ग थे जिसमें विभिन्न प्रभागों में विभिन्न कार्य थे। जिसमें एक यह भी कार्य था जो मार्गदल कोटद्वार के मवाकोट मार्ग के शासनादेश 6 में है, जिन वन मार्गों में ई0पी0आई0 का सुझाव किया परन्तु विभाग द्वारा रोक दिया गया वो नैशनल पार्क में जो थे वह अलग हैं और वन विभाग में जो थे वह अलग थे। इनका कार्य अधूरा पड़ा है जिसमें उन्होंने धन की कमी होने का कारण कहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ई0पी0आई0 जो संस्था है वह केन्द्र सरकार की संस्था है, इसके कार्यों की गुणवत्ता की जाँच हो रही है, इस कारण से सब कार्य रुक गये हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 9811.81 लाख की जो यह योजना थी, जिसमें से 41 मोटर मार्गों पर कार्य चल रहा है और 5324 लाख रुपये की स्वीकृति की गई। मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ई0पी0आई0 को जब यह कान्ट्रेक्ट एवार्ड हुआ था या ई0पी0आई0 के साथ जब कोई एम0ओ0यू0 साईन हुआ था तो क्या उसके अन्दर कोई थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन का भी प्राविजन था अर्थात यदि ई0पी0आई0 कहता है कि वह इसमें पार्टी है, उसके साथ एम0ओ0यू0 हुआ, इसके अन्दर ठेकेदार की भूमिका में यदि उसने कोई कार्य किया तो उसके कार्य का मूल्यांकन क्या कोई तीसरी संस्था करेगी या मूल्यांकन वन विभाग करेगी ? तो इसका क्या प्राविधान है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, ई0पी0आई0 केन्द्र सरकार की संस्था है जिसको यह कार्य दिये गये। कार्य उसे करना था, लेकिन वन विभाग की देखरेख में। वन विभाग अपने क्षेत्र में अलग–अलग प्रभागों में बंटा है तो प्रभागी वन अधिकारी उस पर नजर रखेंगे। इनसे बात–चीत हुई थी लेकिन बीच में उनके कार्यों को देख कर वन विभाग ने कई जगह हस्तक्षेप करना चाहा जिसे ई0पी0आई0 ने नहीं माना, तो इस कारण इंक्वायरी सेटअप की गई और अब जाँच चल रही है। जैसे ही जाँच का निर्णय आयेगा तो पैसा वसूल करायेंगे या जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करायेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने तो प्वाइंटेड प्रश्न किया था कि ई0पी0आई0 के साथ एम0ओ0यू0 हुआ या ई0पी0आई0 को कान्ट्रेक्ट एवार्ड हुआ, क्या उसमें कोई इस प्रकार की शर्त थी कि उनका जो कार्य होगा उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ठेकेदार हूँ मैं अपने काम का खुद मूल्यांकन करके कहूँगा कि मैंने इतने लाख का

कार्य कर दिया है। ये तो कोई तीसरी एजेंसी ही निर्धारण करेगी कि मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है वह कितने का कार्य किया गया है, उसके आधार पर वन विभाग या उत्तराखण्ड सरकार भुगतान करेगी। तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने कहा है कि 5324 लाख रुपये का भुगतान ई0पी0आई0 को हुआ है, आपने कहा है कि वन विभाग की देखरेख में हो रहा है तो क्या वन विभाग के अधिकारियों की अनुशंसा पर भुगतान हुआ या ई0पी0आई0 ने जितना भुगतान मांगा उतना भुगतान बिना किसी वैल्युएशन के कर दिया गया ? मूल्यांकन उनके कार्य का किसने किया यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कहा कि 41 कुल कार्यों का कांट्रैक्ट ई0पी0आई0 को दिया गया और इसमें प्रत्येक कार्य के लिए थोड़ा बतौर कार्य शुरू करने के लिए एडवांस पैसा दिया गया। इसमें जो पहली किस्त उनको दी गयी वह पांच करोड़ रुपये की दी गयी। उन कार्यों का कार्य प्रारम्भ हुआ और इनके कार्य में वन विभाग ने यह महसूस किया कि कुछ जगहों पर, विशेष रूप से जो हमारे पार्क क्षेत्र हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, इन क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे थे, इनकी गुणवत्ता पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, टोटल कांट्रैक्ट कितने का था ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर टोटल कांट्रैक्ट 9811.81 लाख का था, जिसमें से 5324 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

श्री गुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, आप संतुष्ट हों तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपका संरक्षण जरूर चाहिए। मैंने बहुत ही प्वाइंटेड प्रश्न किया है कि ई0पी0आई0 उत्तराखण्ड सरकार की एक एजेंसी बनी, एक ठेकेदार बना। ठेका हम किसी पब्लिक सेक्टर कम्पनी को दें या किसी इंडिविज्यल को दें। ठेका तो ठेका है। एम0ओ0यू0 तो एम0ओ0यू0 है। क्या एम0ओ0यू0 में किसी थर्ड पार्टी को इंस्पेक्शन का कोई प्रोविजन था ? क्या ठेकेदार द्वारा जो कार्य किये गये हैं, उनके मूल्यांकन की जिम्मेदारी किसी पर थी ? कोई एम0बी0 करेगा, कोई मेजरमेंट करेगा, कोई गुणवत्ता को प्रमाणित करेगा, क्या कोई व्यवस्था इसके अन्तर्गत है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इस संदर्भ को दिखवा लें। अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या–3 के बाद प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

कोटद्वार से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार खोलने पर विचार

*4–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जिम कार्बेट नैशनल पार्क का सर्वाधिक क्षेत्रफल पौड़ी जनपद के कोटद्वार एवं धुमाकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पौड़ी जनपद में पर्यटन विकास हेतु पौड़ी–कोटद्वार से जिम कार्बेट नैशनल पार्क का प्रवेश द्वार खोलने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी हाँ।

राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। कोटद्वार क्षेत्र से अवस्थापना विकास आदि कार्य पूर्ण होने पर यह मार्ग जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में प्रवेश हेतु खोला जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पॉलिथिन के प्रयोग को प्रतिबन्धित करने हेतु कानून

*5–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि पॉलिथिन के बढ़ते प्रयोग के कारण राज्य का पर्यावरण निरन्तर प्रभावित हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार स्वच्छ पर्यावरण हेतु वनों को संरक्षित करने एवं प्रदेश में पॉलिथिन के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कोई कानून/नियम बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्लास्टिक (उत्पाद क्रय एवं उपयोग) नियम 1999 अधिसूचित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत 20 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक को प्रतिबन्धित किया गया है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में राज्य में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम 2000 लागू है। जिसकी धारा–7 (1) के अनुसार 20 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक को प्रतिबन्धित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा रसायन युक्त दूषित पानी का ट्रीटमेन्ट न किया जाना

*6–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा रसायनयुक्त दूषित पानी ट्रीटमेन्ट किये बिना बोरिंग वले बनाकर जमीन के भीतर डाला जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री बंशीधर भगत–

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये अनुश्रवण में उद्योगों द्वारा दूषित जल को बोरिंग के माध्यम से जमीन के भीतर डाला जाना नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड को सरकारी वाहन के टॉप पर लाल बत्ती अनुमन्य

*7–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश संख्या 413/IX/61(परि)/2002/2006, जून, 2006 द्वारा मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को सरकारी वाहन के टॉप पर लाल बत्ती अनुमन्य की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि वर्ष, 2001 में मुख्य सचिव द्वारा किसी भी अधिकारी द्वारा लाल अथवा नीली बत्ती के उपयोग पर रोक लगायी गयी थी ?

यदि हाँ, तो वे कौन सी अपरिहार्य तथा अनिवार्य आवश्यकतायें अनुभव की गई कि विधायकों की अनदेखी करते हुए उक्त अधिकारियों के सरकारी वाहनों के टॉप पर लाल बत्ती अनुमन्य की गई ?

श्री बंशीधर भगत–

शासनादेश संख्या 473/ix/61(परि)/2002/2006 दिनांक 02–06–2006 के द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को सरकारी वाहन के टॉप पर लाल बत्ती अनुमन्य की गयी है।

शासनादेश संख्या 3–8/परि सं0/उत्तरांचल/2001/245 दिनांक 05–02–2001 में उल्लिखित अधिकारियों को छोड़कर शेष को लाल, नीली व नारंगी बत्ती के प्रयोग पर रोक लगायी गयी थी।

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 108 (1) की व्यवस्थानुसार किसी भी मोटरयान में आगे की ओर लाल बत्ती लगाये जाने का प्राविधान नहीं है। किन्तु उक्त नियम के परन्तुक के खण्ड (iii) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 473/ix/61 (परि)/2002/2006 दिनांक 2 जून, 2006 के द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को राजकीय वाहन के टॉप पर लाल बत्ती लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संदर्भ में मा0 विधायकगणों का प्रसंग नहीं आया।

प्रदेश में स्वैच्छिक वृक्षारोपण कर रहे व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रोत्साहन हेतु नीति

*8–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्वैच्छिक वृक्षारोपण कर रहे व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रोत्साहित और सहायता देने के लिये विभाग की कोई नीति विद्यमान है ?

यदि हाँ, तो उस नीति का प्रारूप क्या है ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कालूवाला, जौली सोरासरोली आदि गांवों में जंगली हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान के रोकथाम हेतु योजना

*9–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कालूवाला, जौली, सोरासरोली, कुडियाल, रामनगर, डाण्डा, थानो कोटिमैचक, सूर्यधार आदि गांव में जंगली हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो उस पर कब तक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी हाँ। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों में हाथी से बचाव हेतु कुल 29 कि0मी0 दीवाल निर्माण, वास स्थल सुधार कार्य, चिन्हित क्षेत्रों से लैन्टाना उन्मूलन करने के उपरान्त बाँस एवं अन्य चारा प्रजातियों का रोपण आदि कार्य भी शामिल किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरिद्वार में जंगली जानवरों द्वारा जानमाल की हानि की घटनाओं की रोकथाम

*10–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की हानि की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा लालढांग वन रेंज में जंगली जानवरों को जंगल में ही रोकने के लिए पूर्व में सोलर फेंसिंग तारबाड़ लगायी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या जनहित में सरकार अन्य प्रभावित गाँवों की रेंज में भी सोलर फेंसिंग तारबाड़ लगाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

शिवालिक वृत्त के अधीन हरिद्वार वन प्रभाग के जो क्षेत्र राजाजी राष्ट्रीय पार्क सीमा से लगे हुए हैं, अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में वन्य जीवों द्वारा जानमाल की क्षति की घटनायें होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा सौर तार–बाड़ (सोलर फेंसिंग) तथा पार्क प्रशासन द्वारा दीवालबन्दी का कार्य किया गया है।

जी हाँ।

वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सौर तार–बाड़ (सोलर फेंसिंग) लगाने का कार्य उन क्षेत्रों के लिये कराया जाता है जहाँ हाथी कोरिडोर (आवागमन का प्राकृतिक मार्ग) होने के कारण हाथियों द्वारा नियमित रूप से खेतों में नुकसान किया जाता है। अन्य जीवों जैसे जंगली सुअर आदि के लिये सोलर फेंसिंग प्रायः प्रभावी नहीं हो पाती है।

भागीरथी के कम होते जलस्तर पर विचार

*11–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि भागीरथी नदी में निरन्तर जलस्तर कम होता जा रहा है ?

यदि हाँ, तो नदी में जलस्तर वृद्धि हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना की स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भागीरथी नदी में प्रतिवर्ष कुल प्रवाहित जल मात्रा में केवल वर्षा होने के अनुरूप घटाबढ़ी हुई है। नदी में जलस्तर कम तथा वृद्धि होना प्रकृति पर आधारित है।

उत्तराखण्ड जल संरक्षण, संवर्धन मिशन, 2007 के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित विभाग कार्य करेंगे।

उपरोक्तानुसार।

*12–श्री किशोर उपाध्याय–

द्वितीय सोम0 के तारा0 13 में स्था0।

*13–श्री किशोर उपाध्याय–

स्थगित।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील के कफड़ा ग्राम के अन्तर्गत यूकेलिप्टिस वृक्ष के स्थान पर अन्य वृक्षों का रोपण

*14–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील के कफड़ा ग्राम सभा के अन्तर्गत 5 हेक्टेअर से अधिक भूमि में यूकेलिप्टिस के वृक्षों का भारी वन क्षेत्र होने के कारण उस पूरे क्षेत्र का पानी सूख चुका है ? क्या सरकार द्वारा इन वृक्षों को काटकर चौड़ी पत्ते वाले वृक्षों को लगाने पर विभाग द्वारा कोई प्रोजेक्ट तैयार कराया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बाँध के कारण प्रभावित क्षेत्रों के अवस्थापना विकास, यातायात व अन्य सुविधाओं के साथ मुआवजों के निस्तारण हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित विस्तृत रिपोर्ट

*15–श्री केदार सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि टिहरी बाँध झील के कारण प्रभावित क्षेत्रों के अवस्थापना विकास, यातायात की सुविधाओं, नागरिक सुविधाओं तथा झील के पश्चात्‌गामी प्रभावों के कारण मुआवजों के निस्तारण हेतु, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है व धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है ?

यदि हाँ, तो राज्य सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के चिन्याली विकास खण्ड के किन–किन अवस्थापनाओं, पुलों व परिसम्पत्तियों के मामले की रिपोर्ट तैयार कर भेजी गयी है/भेजी जा रही है ?

क्या इनमें चिन्याली, सुनारगांव मोटर पुल तथा पश्चात्‌गामी प्रभावित परिसम्पत्तियों का मुआवजा शामिल है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त हेतु केन्द्र सरकार से कितने धन की मांग की गई है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

टिहरी बाँध की झील से चिन्याली, सुनारगाँव (जोगत पुल) प्रभावित हुआ है, जिसके निर्माण हेतु आगणन मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0, को प्रेषित किया गया है।

परिसम्पत्तियाँ, जो धारा–4 से पूर्व निर्मित थीं, का भुगतान कर दिया गया है। शेष परिसम्पत्तियाँ, जो विवादित थीं, का भुगतान शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णय के उपरान्त किया जायेगा। जिसके भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

भारत सरकार को प्रेषित किये गये पैकेज में चिन्याली, सुनारगांव मोटर पुल सम्मिलित नहीं है।

पश्चात्‌गामी प्रवाहित परिसम्पत्तियों में जोगत मोटर मार्ग पर स्थित 83 दुकानों की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। शेष विवादित परिसम्पत्तियों के मुआवजे का भुगतान शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णय के उपरान्त किया जायेगा।

समस्त विवादित परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु भारत सरकार से ₹ 15.00 करोड़ की मांग की गयी थी, इसमें चिन्याली विकास खण्ड की विवादित परिसम्पत्तियों का भुगतान किया जाना भी सम्मिलित है।

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर अन्तर्गत जंगली जानवरों से उपज बचाये जाने हेतु तारबाड़ की व्यवस्था

*16—श्री ओम गोपाल—

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत जंगली जानवर ग्रामीण किसानों की खेती को तहस नहस कर रहे हैं जिस कारण किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ?

क्या मंत्री जी जंगली जानवरों से किसानों की उपज को बचाने हेतु सौर ऊर्जा तार–बाड़ चकबन्दी की व्यवस्था करायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जंगली सुअरों एवं अन्य वन्यजीवों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाने के प्रकरण यदा–कदा प्रकाश में आते रहते हैं। प्रश्नगत क्षेत्रों में किसानों की खेती को नुकसान पहुंचाने की घटनायें प्रायः जंगली सुअरों आदि के कारण होती हैं, जिनके लिए सौर ऊर्जा तार–बाड़ अधिक प्रभावी नहीं हो पाती है।

देहरादून शहर में स्वीकृत सीवर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही का विवरण

*17—श्री दिनेश अग्रवाल—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर के किन–किन क्षेत्रों के लिए सीवरेज की कितनी योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं और कितनी–कितनी धनराशि इन योजनाओं के लिए स्वीकृत की गयी है ?

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण को सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

देहरादून शहर के लिए सीवरेज की 10 योजनायें अनु0 लागत ₹ 1356.29 लाख की स्वीकृत की गयी है, जिनके निर्माण के लिए पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

8 योजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं एवं शेष 2 योजनाओं के कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो गये हैं, जिनके कार्य प्रगति पर हैं।

जी हाँ। विवरण संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 122 पर)

प्रदेश में उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि का गठन

*18–श्री प्रीतम सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि का गठन किया गया है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 प्रख्यापित कर दी गयी है और दुर्घटना राहत निधि के गठन की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल एवं चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अवमुक्त धन

1–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के तृतीय चरण के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में मंत्री जी के पत्रांक 6412 दिनांक 02–05–08, पत्रांक 841 दिनांक 30–05–08 तथा पत्रांक 8019 दिनांक 10–07–08 पर शासन स्तर से अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है ? तथा कब तक धन अवमुक्त कर दिया जायेगा ?

क्या यह भी सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की चौबट्टाखाल ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध मे मंत्री जी के पत्रांक 6411 दिनांक 02–05–08, पत्रांक 5909 दिनांक 17–03–08 और सचिव मुख्यमंत्री के पत्रांक CE/24942/XXXV-1/2007(1) दिनांक 19–11–07 के सन्दर्भ में अब तक की गई कार्यवाही और प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक धन अवमुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 573.98 पर टी0ए0सी0 से जाँच कराने के उपरान्त ₹ 519.72 लाख का प्राक्कलन औचित्यपूर्ण पाया गया है तथा योजना की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।

विश्व बैंक के साथ त्रिपक्षीय समझौते को दृष्टिगत रखते हुए समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की नई योजनाओं का क्रियान्वयन सकल क्षेत्र के समरूप नीतिनुसार ही किया जाना है। जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं है। योजना से लाभान्वित होने वाली जनता को योजना की लागत की दस प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करायी जानी है। अपितु उनसे निम्नानुसार देय धनराशि समिति के खाते में जमा कराया जाना है :–

श्रेणी	निजी संयोजन			स्टैण्ड पोस्ट		
	कुल ₹	नकद ₹	श्रमदान ₹	कुल ₹	नकद ₹	श्रमदान ₹
सामान्य	600	120	480	300	60	240
आरक्षित श्रेणी	300	30	270	150	15	135

योजना के अन्तर्गत 22 ग्राम सभाओं की 45 बस्तियाँ सम्मिलित हैं। अब तक 12 ग्राम सभाओं में पूर्व साध्यता अध्ययन कर लिया गया है तथा शेष 10 ग्रामों में इसे किया जा रहा है। सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) के अन्तर्गत प्राक्कलन विरचन एवं व्यय वित्त समिति से अनुमोदनोपरान्त कार्य आरम्भ कराया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्न

कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के मालन, सुखरौ तथा खो नदी द्वारा हो रहे कृषि भूमि के कटाव की रोकथाम

1–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि पौडी जनपद के अन्तर्गत कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के मालन, सुखरौ तथा खो नदी द्वारा प्रतिवर्ष सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि का कटाव हो रहा है ?

क्या यह सत्य है कि नदी से सटे हुये कई गांवों में बाढ़ का खतरा प्रत्येक बरसात में बना रहता है जिसके फलस्वरूप जानमाल के बड़े नुकसान की आशंका व भय व्याप्त रहता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सन्दर्भ में कोई त्वरित कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा हेतु मालन नदी के बांये तट पर शिवराजपुर, देवरामपुर की कृषि भूमि एवं आबादी की सुरक्षा हेतु एक योजना धनराशि ₹ 131.20 लाख की स्वीकृत है, जिसमें गत वर्ष ₹ 39.79 लाख व्यय किया गया। इस वित्तीय वर्ष में अब तक धनावंटन न होने तथा सम्बन्धित ग्राम वासियों से विवाद होने के कारण आगे का कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका है। खो नदी पर स्नेहग्राम की सुरक्षा हेतु धनराशि ₹ 58.70 लाख की दूसरी योजना स्वीकृत है। जिस पर अब तक ₹ 25.00 लाख धनावंटन हो चुका है, तथा कार्य प्रगति पर है। मालन नदी पर एक और योजना धनराशि ₹ 337.62 लाख की वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मालन, खो तथा सुखरौ नदी पर बहुउद्देशीय जलाशय बनाने पर विचार

2—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मालन नदी पर कण्वाश्रम के समीप खो नदी पर सिद्धबली मन्दिर के समीप सिगड्डी में हाथीकुण्ड तथा सुखरो नदी पर 4 बहुउद्देशीय जलाशय बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा इन योजनाओं को प्रारम्भिक अन्वेषण योजना हेतु शासन से ₹ 28.00 लाख की मांग की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विभाग द्वारा योजना अन्वेषण हेतु वांछित धनराशि उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

जी हाँ, खो नदी पर सिद्धबली मन्दिर के समीप सिगड्डी में, नालगड्डी स्रोत पर हाथीकुण्ड के समीप एवं सुखरौ नदी पर पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जलाशय बनाये जाने की योजनायें प्रस्तावित हैं।

विभाग द्वारा खो नदी एवं सुखरो नदी पर जलाशय बनाने की योजना, लागत ₹ 22.18 लाख, तथा नालगड्डी स्रोत पर जलाशय बनाये जाने की योजना लागत ₹ 22.00 लाख की, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, अनुसंधान एवं सर्वेक्षण मद में किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

उक्त प्रस्ताव शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पदमपुर सुखरौ स्थित सूख चुके पेयजल नलकूप निस्तारण हेतु पुनः छिद्रण कार्य की योजना

3–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पदमपुर सुखरौ स्थित पेयजल नलकूप का जलस्तर पूरी तरह से सूख चुका है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्णरूप से सूख चुके उक्त पेयजल नलकूप के निस्तारण हेतु पुनः इसके छिद्रण कार्य सम्बन्धी योजना पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल विकास योजना निगम द्वारा नलकूपों में ओवर हैड टैंकों का निर्माण

4–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल विकास निगम द्वारा झण्डीचौड़ उत्तरी व नन्दपुर में दो नलकूपों का निर्माण किया गया है ?

क्या यह सत्य है कि इन योजनाओं में ओवर हैड टैंकों का निर्माण नहीं हुआ है तथा पाईप लाइन अन्डर साइज होने के कारण इनका लाभ आम जनता तक नहीं मिल पा रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक इन नलकूपों में ओवर हैड टैंकों का निर्माण कर योजना को पूर्णतया शुरू करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

नलकूप पर अस्थाई पम्प गृह का निर्माण कर जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना ग्रामीण क्षेत्र की होने के कारण शेष कार्य सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में कालागढ़ क्षेत्रान्तर्गत जंगली बन्दरों द्वारा आतंक

5–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी के कालागढ़ क्षेत्र में जंगली बन्दरों द्वारा आतंक फैलाया जा रहा है जिससे बन्दरों के उत्पात के कारण स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार इन बन्दरों के आतंक से स्थानीय लोगों को बचाने हेतु क्या कारवाई कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

उक्त क्षेत्र में उत्पाती बन्दरों को पकड़ने की कार्यवाही हेतु वन्य जीव प्रतिपालक, कोटद्वार अंचल को अधिकृत किया गया है। पूर्व में कालागढ़ क्षेत्र से 18 उत्पाती बन्दरों को पकड़ा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग द्वारा पर्यावरण रक्षण के लिए बांज, बुरांश आदि वृक्षों का रोपण

6–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये आवश्यक बांज, बुरांश, उतीस, देवदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो अल्मोड़ा जनपद में मार्च, 2005 से अब तक कितने ऐसे वृक्षों का वृक्षारोपण विभाग द्वारा किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

मार्च, 2005 से अब तक बांज, बुरांश, उतीस, देवदार के कुल 13,73,072 वृक्षों का रोपण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मोरी, पुरोला एवं नौगांव में चालू एवं बन्द पड़ी पेयजल योजनाएं

7–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मोरी, पुरोला एवं नौगाँव में कितनी ऐसी पेयजल योजनायें हैं, जिनमें जलापूर्ति नियमित रूप से चल रही है।

और कौन–कौन सी ऐसी योजनायें हैं जो बन्द पड़ी हैं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

पेयजल विभाग के अधीन प्रश्नगत क्षेत्र की 215 पूर्ण एवं 9 निर्माणाधीन योजनाओं में जलापूर्ति नियमित रूप से हो रही है।

गणगण गाँव एवं क्लोज गाँव की 2 पेयजल योजनायें दैवीय आपदा एवं 01 पेयजल योजना मस्सू–पलर पेयजल योजना लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द है।

राज्य में कृषकों को कृषि प्रयोजन हेतु दी गई वन भूमि की लीज की समयावधि बढ़ाये जाने पर विचार

8–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन अधिनियम 1980 के लागू होने से पूर्व कृषकों को वन भूमि कृषि प्रयोजन हेतु लीज पर दी गई थी ?

क्या सरकार उस लीज की समय अवधि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

शासनादेश सं0–156/7–1–2005–600(826)/2002 दिनांक 09 सितम्बर, 2005 द्वारा उक्त सम्बन्ध में पूर्व में ही दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में पेयजल सुविधा से वंचित अनु0 जाति बाहुल्य गांवों की संख्या

9–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुरोला विधान सभा क्षेत्र जनपद उत्तरकाशी में कितने अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्रों के कितने गाँवों को स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के तहत पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है व कितने ऐसे अनु0 जाति बाहुल्य गाँव हैं जो अभी तक पेयजल सुविधा से वंचित हैं ?

क्या सरकार ऐसे गाँवों को पेयजल से जोड़ने के लिए विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र की 23 बस्तियों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है तथा 35 बस्तियाँ ऐसी हैं जो पेयजल सुविधा से वंचित हैं।

जी हाँ।

वर्ष 2012 लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी अन्तर्गत वि0खं0 द्वारीखाल स्थित भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना का कार्यारम्भ

10–डा0 हरक सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत लगभग 100 ग्रामों हेतु 32 करोड़ की भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना शासन से स्वीकृत हुयी थी ?

क्या इस योजना में 1 करोड़ रुपये की धनराशि टोकन मनी के रूप मे जारी हुयी थी ?

क्या विभाग द्वारा योजना में लैन्सडौन व उसके आसपास के गाँवों को सम्मिलित करने के लिए योजना पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर शासन की स्वीकृति हेतु भेजे गये थे ?

यदि हाँ, तो क्या इन गाँवों को सम्मिलित कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के बावजूद अभी तक उक्त योजना का कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या यह सत्य है कि उक्त कार्य पर जल निगम लगभग 17–18 लाख रुपये खर्च भी कर चुका है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस योजना का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्नगत पेयजल योजना 64 ग्रामों/बस्तियों हेतु ₹ 2289.20 लाख की स्वीकृत है।

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जी हाँ। जनवरी 2009 तक ₹ 26.16 लाख का व्यय किया जा चुका है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

11–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

द्वितीय गु0रू0 के अता0–9 में स्था0।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में देहरादून से गंगताड़ी वाया विकास नगर तक बस सेवा

12–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवाँठा–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में देहरादून से विकास नगर होते हुए गड़ोली गंगताड़ी तक रोडवेज बस सेवा संचालित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के बस बेड़े में छोटी बसों के सीमित संख्या में होने के कारण।

जनपद बागेश्वर में नदियों से झीलों का निर्माण कर सिंचाई की योजना

13—श्री चन्दन राम दास—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि छोटी—बड़ी नदियों में पानी रोक कर छोटी—छोटी झीलों के माध्यम से सिंचाई की योजना कर रहे हैं ?

यदि हाँ, तो जनपद बागेश्वर में भी इसी प्रकार की योजनायें प्रस्तावित हैं ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

जी हाँ।

जी हाँ।

जनपद बागेश्वर में छोटी—बड़ी नदियों में पानी रोक कर झील बनाने की निम्नलिखित योजनायें प्रस्तावित हैं—

1—गोमती नदी में बहुउद्देशीय बैजनाथ झील के निर्माण की योजना।

2—गरुड़ गंगा नदी में गढ़सेर नदी के हैड के ऊपर झील के निर्माण की योजना।

3—पुंगर नदी में गड़ेरा नहर के हैड के ऊपर झील के निर्माण की योजना।

4—महोली ग्राम में मूल नारायण मन्दिर के समीप गदेरे के पानी को टैप कर टैंक में जल संचय कर सिंचाई हेतु योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस की योजना

14—श्री प्रीतम सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेन्स उपलब्ध कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत—

सम्प्रति देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, पौड़ी, अल्मोड़ा, कोटद्वार एवं ऊधमसिंह नगर कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर के आधार पर कम्प्यूटर के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेन्स जारी किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जानकी चट्टी यमनोत्री धाम पर मोटर गाड़ियों का आवागमन प्रारम्भ

15–श्री केदार सिंह रावत–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जानकी चट्टी यमनोत्री धाम के मुख्य यात्रा पड़ाव तक वर्ष 2000 में हल्का वाहन मार्ग बन गया था ?

यदि हाँ, तो 9 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी जानकी चट्टी तक मोटर गाड़ी पहुँच न पाने के क्या कारण हैं ?

कब तक उक्त स्थान तक मोटर गाड़ियों का आवागमन प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग हल्का वाहन मार्ग निर्मित है। इस मार्ग पर हल्के वाहन संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार मार्ग पर हल्के वाहन संचालित हैं।

पौड़ी जनपद अन्तर्गत कोटद्वार शहर के सीवरेज प्लान की स्वीकृति एवं प्रारम्भ

16–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि पौड़ी जनपद के अन्तर्गत कोटद्वार शहर का सीवरेज प्लान कई दिनों से शासन में स्वीकृति हेतु लम्बित है ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक प्लान को स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

सीवरेज योजना की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के नारायण नगर हेतु पेयजल योजना

17–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र कनालीछीना में जनपद पिथौरागढ़, नारायण नगर हेतु पूर्व में लघडा नारायण नगर पेयजल योजना स्वीकृत थी किन्तु उस योजना पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नारायण नगर हेतु उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्नगत पेयजल योजना स्वीकृत है परन्तु जल स्रोत पर स्थानीय ग्रामवासियों के विरोध करने के कारण विवाद उत्पन्न होने से वैकल्पिक स्रोत चर्मा गाड से पम्पिंग योजना विरचन का कार्य नारायण नगर वासियों की सहमति से स्वैप पद्धति से कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कोटद्वार से दिल्ली, देहरादून डीलक्स/हाइटेक आदि बसों का संचालन

18–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कोटद्वार शहर आवागमन एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है ?

क्या यह सत्य है कि यहाँ से संचालित की जाने वाली बसें साधारण श्रेणी की हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कोटद्वार दिल्ली एवं कोटद्वार देहरादून मार्गों पर डीलक्स/हाईटेक/वाल्वो बसें संचालित किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी हाँ।

सम्प्रति जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डीलक्स/हाईटेक/वाल्वो बसों के संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में यात्रियों की अनुपलब्धता के कारण।

कोटद्वार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रमेश नगर सीवरेज योजना

19–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रमेश नगर सीवरेज योजना शासन में स्वीकृति हेतु लम्बित है ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ करवाने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत तेलीसोत सुरक्षा दीवार निर्माण की योजना

20–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तेलीसोत सुरक्षा दीवार निर्माण की योजना शासन में स्वीकृति हेतु लम्बित है ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक इस योजना को स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत लोकमनीपुर ग्राम की तेलीसोत नाले से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना लागत ₹ 106.84 लाख जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकास खण्ड में तेलीसोत एवं मालन नदी से 07 ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना लागत ₹ 435. 42 लाख में सम्मिलित कर केन्द्रीय बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को माह जनवरी, 2009 में प्रेषित की गयी है। केन्द्र पोषित बाढ़ सुरक्षा योजना पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून से त्यूनी–चिवा वाया विकास नगर मिनस रोडवेज बस संचालन

21–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार देहरादून से विकासनगर मिनस होते हुए त्यूनी–चिवा तक रोडवेज बस का संचालन करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के बस बेड़े में छोटी बसों के सीमित संख्या में होने के कारण।

परिवहन निगम द्वारा मार्च, 2007 से अब तक क्रय की गई बसों का ब्यौरा

22–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 2007 से अब तक कुल कितनी बसों की खरीद परिवहन निगम द्वारा की गई है एवं क्रय की गई बसों में से कितनी नई बसें पर्वतीय मार्गों को चिन्हित कर चलाई जा रही हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

मार्च, 2007 से अब तक कुल 205 बसें क्रय की गई हैं, जिसमें से 75 बसें पर्वतीय मार्गों के लिये क्रय की गई हैं जो सभी पर्वतीय मार्गों पर संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा ढालवाला ग्राम में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए लगायी गयी सुरक्षा बाड़ निष्क्रिय

23–श्री ओम गोपाल–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 06, 07 दिसम्बर, 2008 की रात्रि को ग्राम सभा ढालवाला में जंगली हाथी ने घुसकर रात भर घोर उत्पात मचाया जिससे रात भर लोग जीवन भय के कारण सो नहीं सके तथा भयाक्रान्त रहे ?

क्या मा0 मंत्री जी के संज्ञान में है कि जंगली जानवरों से जनजीवन की रक्षा के लिए गाँव के चारों ओर जो ऊर्जा बाड़ बिछायी गयी है उसमें करन्ट न होने के कारण वह निष्क्रिय पड़ी है ?

क्या सरकार द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने हेतु तथा जनजीवन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारियों को दण्डित किया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी हाँ।

ढालवाला गाँव की सुरक्षा हेतु उक्त गाँव के पीछे वनसीमा की ओर उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा 620 मी0 लम्बी सोलर पावर फैन्सिंग लगायी गयी है, जिसका रख–रखाव ढालवाला ग्राम समिति करती है, परन्तु ग्राम समिति द्वारा सुरक्षा बाड़ की उचित देखरेख न किये जाने के कारण सुरक्षा बाड़ निष्क्रिय हुई है। उक्त सम्बन्ध में वन विभाग का कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून से स्यालदे–देघाट तक परिवहन निगम की नियमित बस सेवा की मांग

24–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि अस्थायी राजधानी देहरादून होने के कारण कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्यालदे के विभिन्न स्थानों से नित्य प्रति कई लोग देहरादून आते जाते रहते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार देहरादून से रामनगर होते हुए भिक्यासैंण–स्यालदे–देघाट तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा नियमित रूप से प्रारम्भ किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के बस बेड़े में छोटी बसें सीमित संख्या में होने के कारण।

जिला हरिद्वार के सराय, इब्राहिमपुर, जमालपुर आदि ग्रामों में सिंचाई के लिए गंगनहर से निकाली गयी कच्ची माईनरों का पक्का निर्माण कार्य

25–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग, जिला हरिद्वार के ग्राम सराय, इब्राहिमपुर, जमालपुर, कटारपुर, मिस्सरपुर, पंजनहेड़ी, भगतनपुर,

आबिदपुर में सिंचाई के लिये गंग नहर से निकाली गयी कच्ची माईनरों में पानी के अपव्यय को रोकने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा पक्की माईनरों का निर्माण कार्य कराया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

इब्राहिमपुर नहर से पानी के अपव्यय को रोकने हेतु 32 किमी0 आफसूटों को पक्का करने के लिये ₹ 281.30 लाख की योजना ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत है. इस योजना पर अवमुक्त ₹ 97.36 लाख का व्यय कर 11.50 किमी0 आफसूटों का निर्माण कर पक्का कर लिया गया है, तथा योजना का कार्य प्रगति पर है। ग्राम जमालपुर, गगतनपुर एवं आबिदपुर में जगजीतपुर माईनर पर 55.60 किमी0 आफसूटों के निर्माण की योजना ₹ 454.28 लाख एवं ग्राम पंजनहेड़ी, कटारपुर एवं मिस्सरपुर मे माईनरों को पक्का करने हेतु 17.30 किमी0 लम्बी आफसूटों के निर्माण की योजना ₹ 139.60 लाख नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। धनावंटन की कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सराय नहर के कमाण्ड मे कच्चे आफसूटों को पक्का कराने हेतु 28.60 किमी0 लम्बाई में ₹ 253.65 लाख की एक और योजना तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के विकास खण्ड रायपुर अन्तर्गत विवेकानन्द ग्राम फेज–2 नत्थनपुर स्ट्रीट नं0–4 में गूल का पानी बहने से क्षतिग्रस्त सड़क

26–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत विवेकानन्द ग्राम फेज–2 नत्थनपुर स्ट्रीट नं0–4 में गूल का पानी सड़क पर बहता रहता है, जिसके फलस्वरूप डामरीकरण सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सड़क में बहते हुये पानी को रोकने हेतु कोई कारगर उपाय करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत विवेकानन्द ग्राम फेज–2 नत्थनपुर स्ट्रीट सं0–4 में गूल का पानी सड़क में नहीं बहता रहता है, परन्तु जब काश्तकार अपने वार में गूल से पानी ले जाते हैं तब गूल के अवरुद्ध होने से पानी सड़क में बहने लगता है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त होती रहती है।

गूल में पानी के सुचारू संचालन हेतु उक्त गूल को कुलावा नं0-12 में मिलाने हेतु सड़क कारिंग में पाईप डालने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त अवरूद्ध गूल के सुचारू संचालन हेतु गूल की सफाई की जा रही है, तथा स्थानीय लोगों को, घरों के निष्प्रयोज्य पदार्थ सड़क एवं गूल में न डालने हेतु जागरुक किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमन के निधन पर शोकोद्गार

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में आ गये।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुःख के साथ सम्मानित सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि भारत के 8वें राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री आर0 वेंकटरमन का निधन 27 जनवरी, 2009 को हो गया। हम सब लोग जानते हैं और इस पूरे देश के देशवासी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि स्व0 श्री आर0 वेंकटरमन एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनकी जीवनी का संक्षिप्त उल्लेख यदि किया जाय तो स्व0 श्री रामास्वामी वेंकटरमन का जन्म 04 दिसम्बर, 1910 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री के0 रामास्वामी अय्यर था। इन्होंने बचपन से लेकर अपने दिवंगत होने की तिथि तक इस देश को अपना अपूर्णनीय योगदान दिया। 1950 और 1952 में जो अन्तरिम लोकसभा थी उसके माननीय सदस्य के रूप में आपने अपना योगदान इस नवोदित राष्ट्र को दिया था जब यह अपनी शुरुआती प्रक्रिया से गुजर रहा था। उसके पश्चात् जो प्रथम निर्वाचित लोक सभा 1952 से 1957 तक रही, उस लोक सभा के आप निर्वाचित सदस्य रहे और निर्वाचित सदस्य के रूप में रहते हुए भी मेटर ट्रेडर्स कमेटी के, वर्कर डेलीगेट के रूप में आपने प्रतिभाग किया। मान्यवर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाईजेशन के अधिवेशन में आपने प्रतिभाग किया। 1957 में दूसरी लोक सभा में भी आप निर्वाचित हुए, लेकिन उसी समय मद्रास सरकार में मंत्री पद आपने हासिल किया।

मान्यवर, आपको मद्रास सरकार के अन्तर्गत गुरुत्तर दायित्व का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी दी गयी और आपने लोक सभा से इस्तीफा दे दिया। उसके पश्चात् 1957 से लेकर 1967 तक आप अनवरत मद्रास विधान सभा के सदस्य रहे और विधान सभा के अन्तर्गत आपने उस सरकार के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, जिसमें मंत्री के रूप में उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, परिवहन मंत्री इत्यादि गुरुत्तर दायित्वों का निर्वहन आपने किया। श्रीमन्, उसके पश्चात् 1967 से लेकर 1971 तक आप केन्द्रीय योजना आयोग के सदस्य भी रहे और केन्द्रीय योजना आयोग के सदस्य के नाते आपने पूरे देश में श्रम, ऊर्जा, उद्योग इत्यादि विभागों में योजना आयोग का ध्यान केन्द्रित करने का

प्रयास किया। उसके पश्चात् 1977 के लोक सभा चुनाव में आप पुनः लोक सभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और प्रतिपक्ष के सदस्य के रूप में लोक सभा में बैठे। 1980 में जब पुन: निर्वाचन में आप निर्वाचित हुए, तो केन्द्रीय वित्त मंत्री के रूप में आपने अपना कार्य बखूबी निभाया। सम्पूर्ण देश इस बात का गवाह है। केन्द्रीय वित्त मंत्री के बाद आपको रक्षा मंत्री का दायित्व मिला और उस दायित्व का भी आपने बेहतर तरीके से निर्वहन किया। मिसाईल टेक्नोलॉजी के रूप में आज इस देश की पहचान बनी है, तो मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस मिसाईल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा।

उसके पश्चात् पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम जी ने वैज्ञानिक के रूप में उसको आगे बढ़ाया था। श्रीमन्, 1987 वह महत्वपूर्ण वर्ष है, जो हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, जब 8वें राष्ट्रपति के रूप में आपने पदभार संभाला था। अपने 5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में आपने 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाई। 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल आपने देखा था, जिनमें से 3 प्रधानमंत्री तो आपके ही माध्यम से नियुक्त किये गये थे। आपका योगदान अन्य विभिन्न कार्यों में भी रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपकी पाँच पुस्तकें, जो इस पूरे प्रदेश के औद्योगिक विकास और ऊर्जा विकास के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं और आप पर भी विभिन्न लेखकों ने 5 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों को आपने प्राप्त किया। निश्चित रूप से इस देश के और हमारे राज्य के समस्त नागरिक आपके इस देश के प्रति किये गये योगदान के लिए कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं और आपको भावभीनी श्रद्धांजलि इस सदन के माध्यम से प्रेषित करना चाहते हैं। आपके इस योगदान को हमारे भारतवासी कभी भूल नहीं पायेंगे। निश्चित रूप से हम सब भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपको नमन करते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुःख के साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री आर0 वेंकटरमन के निधन पर संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किये, मैं और मेरा दल उनसे अपने–आप को सम्बद्ध करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रामास्वामी जी का जन्म 4 दिसम्बर, 1910 को हुआ था, उन्होंने एम0ए0 और बी0एल0 की शिक्षा प्राप्त की। वे तमिलनाडु विधान सभा के सम्मानित सदन के कई बार सदस्य रहे और तमिलनाडु सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर रहते हुये तमिलनाडु की जनता की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से एक सदस्य और एक मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत लम्बे समय तक सेवा की और वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में तथा सांसद के रूप में देश की सेवा करने का अवसर भी उनको मिला। जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि रक्षा

मंत्री के रूप में उनके योगदान को निश्चित रूप से पूरा देश याद रखेगा। देश के रक्षा मंत्री के रूप में जहां उन्होंने सेनाओं के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिये अथक प्रयास किये, वहीं पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वह पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, इनके प्रति नरम और गरम रुख रखते हुये देश की रक्षा नीति को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। वहीं वित्त मंत्री के रूप में भारत जैसे विकासशील देश को विकसित देशों के मुकाबले खड़ा करने का प्रयास माननीय वेंकटरमन जी के द्वारा किया गया।

मान्यवर, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि नीचे से लेकर, प्रदेश की जो सर्वोच्च पंचायत होती है विधान सभा, उसके सदस्य से लेकर देश की सर्वोच्च पंचायत, पार्लियामेन्ट के सदस्य के रूप में तथा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद, महामहिम राष्ट्रपति के पद पर विराजमान होने का उन्हें अवसर मिला। यह अवसर दुनिया में इक्के-विरले लोगों को ही मिलता है और माननीय वेंकटरमन जी को यह अवसर मिला था और जब-जब उनको अवसर मिला, उन्होंने हर अवसर पर देश और प्रदेश की जनता की सेवा अपनी क्षमता के अनुसार की है। दिनांक 27 जनवरी, 2009 को बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और निश्चित रूप से एक वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री और तमिलनाडु के मंत्री और विधायक के रूप में और सांसद के रूप में कांग्रेस परिवार की निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षति हुई है, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश ने, एक सामाजिक, आर्थिक, रक्षा, विदेश नीति के, आंतरिक मामलों के ज्ञाता जैसे विशेषज्ञ को और अग्रिम व्यक्ति को खोकर पूरा देश निश्चित रूप से दुख और शोक की लहर में अपने आपको महसूस कर रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अपने और अपने दल की और प्रतिपक्ष की ओर से आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि पूर्व राष्ट्रपति श्री आर0 वेंकटरमन जी के परिवार तक इस सदन की जो भावनाएं हैं, जो श्रद्धा है, उस आत्मा के प्रति जो हम नमन करना चाहते हैं, उसको पहुँचा दें। बहुत धन्यवाद।

श्री शहजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, अपने आपको और अपने दल को माननीय संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध करते हुए, दिवंगत राष्ट्रपति स्व0 श्री रामास्वामी वेंकटरमन का जन्म 4 दिसम्बर, 1910 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री के0 रामास्वामी अय्यर था। इन्होंने एम0ए0, बी0एल0 की शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह श्रीमती जानकी वेंकटरमन से हुआ था। देश के रक्षा मंत्री से उप राष्ट्रपति होते हुए राष्ट्रपति बने श्री आर0 वेंकटरमन नियम कानून के पाबन्द माने जाते थे। श्री वेंकटरमन मद्रास विधान सभा से वर्ष 1957-62 एवं 1962-67 तक सदस्य रहे तथा तमिलनाडु के विभिन्न मंत्री पदों पर रहे। आप अन्तरिम संसद तथा पहली, दूसरी, छठी और सातवीं लोक सभा

के सदस्य भी रहे। आपने केन्द्रीय वित्त तथा रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला तथा 31 अगस्त, 1984 से 24 जुलाई, 1987 तक भारत के उप राष्ट्रपति रहे। 25 जुलाई, 1987 को आप भारत के आठवें राष्ट्रपति बने। श्री आर० वेंकटरमन ने अस्थिर राजनैतिक कालखण्ड में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए देश को सफल नेतृत्व प्रदान किया। पांच साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने चार प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई जिनमें से तीन प्रधानमंत्री दो साल के भीतर बने थे। राजनीति में शुचिता, शालीनता, मर्यादा और सिद्धान्त की परम्परा को आगे बढ़ाने वाले श्री वेंकटरमन राष्ट्रपति को एक आपातकालीन लैम्प की तरह मानते थे जो बिजली चले जाने पर जलने लगता है तथा बिजली आने पर बन्द हो जाता है। श्री वेंकटरमन को 12 जनवरी, 2009 को अस्वस्थ होने पर सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ 27 जनवरी, 2009 को उनका निधन हो गया। उनके तीन पुत्र हैं। उनके जाने से राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। मैं अपने और अपने दल की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ।

*श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं नेता बसपा से सम्बद्ध करते हुए पूर्व राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और भगवान से उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी को झेलने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत आर० वेंकटरमन के निधन पर हम सभी दुःखी हैं। श्रीमन् आर० वेंकटरमन जी से सीधे तौर पर कभी सम्पर्क का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने उनकी कार्यशैली और उनके नीतिगत निर्णयों के प्रभाव को रक्षा विभाग में कार्य करते हुए महसूस किया। मुझे भारत के अग्रणी वैज्ञानिक संस्थान डी०आर०डी०ओ० में कुछ वर्षों तक सेवा करने का अवसर मिला। यह संजोग है कि उसी दौरान भारत वर्ष के एक महत्वाकांक्षी रक्षा कार्यक्रम, जिसको बाद में अर्जुन मैन बैटल टैंक एम०बी०टी० के नाम से एक प्रोजेक्ट जो आज भी विकास के अलग-अलग चरणों से गुजर रहा है, उस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होकर कुछ काम करने का अवसर मिला। उसी से इस बात का आभास होता था कि आर० वेंकटरमन साहब का भारत की रक्षा जरूरतों को लेकर के और भारत की किस प्रकार की आवश्यकतायें भविष्य में हो सकती हैं, कहीं न कहीं उनके मैसेजेज और उनके संदेश हम लोगों के डिपार्टमेन्टल बुलेटिन में पढ़ने को मिलते थे तो एक आभास होता था कि किस तरीके का विचार, किस तरीके का विजन और किस तरह की सोच वह रखते हैं।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक और घटना के बारे में श्रीमन्, मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा वह दौर था जब हम लोग कॉलेजेज के अन्दर पढ़ा करते थे, तब वित्तीय प्रबन्धन और अर्थव्यवस्था की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी। मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने प्रथम बार यह सुना और पढ़ा जब आर0 वेंकटरमन साहब वित्त मंत्री थे जो करेंसी नोट की मुद्रा थी, जो करेंसी नोट के जो बड़े डिनोमीनेशन थे, जो पाँच सौ रुपये के नोट, हजार रुपये के नोट थे उसको उसी दौरान डीमानीटाइज किया गया। हम लोगों के अन्दर एक जिज्ञासा इस बात को लेकर होती थी कि आखिरकार इस डिनॉमीनेशन के करेंसी नोट को डीमानीटाइज क्यों किया गया। तमाम तरीके की बातें उस दौरान सुना करते थे। कुछ लोगों ने हजार रुपये के जो नोट थे उनको जला दिये, कोई कहते थे कि वह उनके किसी काम के नहीं हुए। तो एक जिसे कहना चाहिए एक मंथन के दौर में हम तमाम सारे लोगों से पूछते थे कि इसका प्रभाव क्या होगा और उसी दौरान यह बात समझ में आने लगी कि किस प्रकार से भारत वर्ष में काला धन जो लोग अवैध तरीके से संचय करते थे, किसी प्रकार काले धन पर संचय करने पर रोक लग सके, उसको डिसकरेज किया जा सके, उसको हतोत्साहित किया जा सके। तो जो बड़े डिनामीनेशन के करेंसी नोट थे, उसको डिमॉनीटाइज किया गया। मैं समझता हूँ श्रीमन्, यह बहुत दूरगार से ही सही स्व0 आर0 वेंकटरमन के एक दर्शन के बारे में, विजन के बारे में और तदोपरान्त भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में जिस प्रकार से देश को उनका मार्गदर्शन मिला वह हम सभी के सामने है। श्रीमन्, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री और तमाम दलों के नेतागणों ने जो अपने उद्‌गार व्यक्त किये मैं अपने आप को उससे सम्बद्ध करता हूँ और अपनी शोक संवेदनायें आपके माध्यम से उनके परिजनों तक प्रेषित करने की प्रार्थना करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय श्री ओमगोपाल जी और माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूँ। पूर्व राष्ट्रपति श्री आर0 वेंकटरमन, जो अन्तरिम संसद तथा पहली, दूसरी, छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे, आपने केन्द्रीय मंत्री के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे पूर्व आप मद्रास विधान सभा के भी दो बार सदस्य रहे और अनेक राजनीतिक महत्वपूर्ण पदों को ग्रहण करते हुए, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ देश के उपराष्ट्रपति बनने का और उस काल खण्ड में जब पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, आपने राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण पद संभाला और मात्र पाँच वर्ष में चार–चार प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि राजनीति में शुचिता, शालीनता, मर्यादा और सिद्धान्त को आगे बढ़ाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज पूर्व राष्ट्रपति श्री आर0 वेंकटरमन हमारे

बीच में नहीं हैं और उनका निधन 27 जनवरी, 2009 को हुआ है। मैं तमाम नेताओं द्वारा व्यक्त संवेदनाओं को और इस सदन की संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचा दूँगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया दो मिनट खड़े होकर दिवंगत पुण्य आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

उत्तराखण्ड विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुख के साथ इस सम्मानित सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के अग्रणी नेता रहे और इस राज्य की अन्तरिम विधान सभा के माननीय सदस्य रहे तथा अविभाजित उत्तर प्रदेश में जिन्होंने 1992 में श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमण्डल में उप मंत्री के रूप में अविभाजित उत्तर प्रदेश की सीमा की सेवा की थी, स्व0 श्री राजेन्द्र शाह जी का एक सड़क दुर्घटना में 15 जनवरी, 2009 को निधन हुआ। स्व0 श्री राजेन्द्र शाह जी का, जिनके बारे में उत्तराखण्ड का जनमानस भली भाँति परिचित है। किस तरह से उन्होंने उत्तराखण्ड आन्दोलन में अग्रणी भूमिका अदा की और किस प्रकार से उत्तराखण्ड आन्दोलन को चरमोत्कर्ष में ले जा करके, उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति तक पहुंच करके, राज्य की प्राप्ति की थी। स्व0 राजेन्द्र शाह जी वर्ष 1991, 1993 और 1996 में तीन बार मसूरी विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और विधान सभा की विभिन्न समितियों में आपने अपना योगदान दिया। आपके इस योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। विशेष तौर पर आपकी अनवरत चिन्ता आपके माध्यम से उस विधान सभा के सदन में उठाये गये विषयों से झलकती है। श्रीमन्, जिसके साक्षी और दृष्टा हमारे इस सदन में अनेक माननीय सदस्य मौजूद हैं। उनकी चिन्ता का विषय राज्य प्राप्ति के बाद किस रूप से इस राज्य को आर्थिक सम्पन्नता की ओर ले जायें और कैसे यहाँ की कृषि व्यवस्था को व्यवस्थित करें, इस सम्बन्ध में यहाँ की समाजिक कुरीतियों के निराकरण करने के सम्बन्ध में रही थी। इस सदन के माध्यम से मैं इस उत्तराखण्ड की समस्त जनता की ओर से स्व0 श्री राजेन्द्र शाह जी को श्रद्धा समर्पित करता हूँ और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस सदन की भावनाओं से, इस परिवार को शोक संवेदना के माध्यम से आप अवगत करा देंगे। श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दल की ओर से, इस सदन की ओर से, इस राज्य की जनता की ओर से स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, स्व0 राजेन्द्र शाह जी से मेरा बहुत ही व्यक्तिगत एक रिश्ता रहा है।

1991 में पहली बार, आपको स्वयं, माननीय फोनिया जी, माननीय निशंक जी, माननीय कण्डारी जी और तमाम साथियों के साथ उत्तर प्रदेश, विधान सभा में पहुंचने का अवसर मिला था। जहां मेरा निवास था दारुलशफा के न्यू ब्लॉक में, उनका मेरे ऊपर वाला निवास था। जब भी विधान सभा जाते थे, वे मेरे कक्ष में आते थे और हम साथ जाते थे। 15 अगस्त, 1992 को राजस्व उपमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और अनेकों अवसरों पर चाहे जौलीग्रांट मेडिकल कॉलेज बनाते हुए, चाहे किसानों का आन्दोलन हो या एम०डी०डी०ए० के खिलाफ संघर्ष हो, उसमें हम लोगों ने उनका साथ दिया। 1993 में पुनः उनको और हमको उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पहुँचने का अवसर मिला। उनके बारे में मैं अगर एक शब्द कहूँ कि जिन्दादिल इंसान थे। मित्रों के मित्र थे और जो अंदर थे वो बाहर थे। जिस तरह से सामान्य रूप से राजनैतिक लोगों में यह भावना कम होती है। जो उनके मन में होता था वह उनके चेहरे पर भी दिखाई देता था और जो उनके चेहरे पर दिखाई देता था वह उनके मन में होता था। ऐसे व्यक्ति राजनीति में बहुत कम होते हैं। उन्होंने कभी राजनीति में फायदे नुकसान की चिन्ता नहीं की। मैं तो विशेषकर उनका आभारी हूँ कि जब मैं अपने जीवन के सबसे मुसीबत के दौर से गुजर रहा था तो खुलकर, यह जानते हुए कि मेरा भाई कभी गलत नहीं हो सकता है, इतना आत्मविश्वास किसी व्यक्ति को अपने भाई, अपने मित्र पर हो सकता है, यह उनका विल-पॉवर का द्योतक था, उन्होंने खुलकर मेरा साथ दिया। राजनीतिक सीमाएँ भी और राजनीतिक विचारधाराएँ भी उनको नहीं रोक पायीं और मित्रता का रिश्ता ऊपर हो गया।

हमने सोचा भी नहीं था माननीय अध्यक्ष जी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत लम्बे समय तक इस उत्तराखण्ड की सेवा और करनी थी। मैंने उस व्यक्ति को अपने खेतों में खुद ट्रैक्टर चलाते हुए देखा है। खेत में काम करते हुए देखा है। उस व्यक्ति में उत्तराखण्ड, जैसे माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखण्ड के आंदोलन में एक जुझारूपन उस व्यक्ति ने दिखाया और जेल तक गया उत्तराखण्ड राज्य के लिए। निश्चित रूप से आज पूरे उत्तराखण्ड की आंखें उनके निधन से नम हैं। उनकी क्षति किसी राजनीतिक दल की क्षति नहीं है। उनका निधन पूरे उत्तराखण्ड के जनमानस की क्षति है। उत्तराखण्ड को उनसे बहुत अपेक्षा थी, खासकर यहाँ के नौजवानों को। आज विश्वास ही नहीं होता है कि वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। जब मैं उनकी शव यात्रा में गया था तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति तीन दिन पहले मिला हो और बहुत लम्बी सामाजिक, राजनैतिक चर्चाएँ जिस व्यक्ति ने की हों आज एकाएक वह व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। अध्यक्ष जी, चूँकि आपके साथ भी, मेरे साथ भी, फोनिया जी के साथ भी, माननीय फोनिया जी बैठे हैं, निशंक जी बैठे हैं, बहुत लम्बे समय तक माननीय राजेन्द्र शाह जी ने कार्य किया है। लेकिन चूँकि जन्म कड़वी सच्चाई नहीं है लेकिन मृत्यु कड़वी सच्चाई है। मान्यवर, उस काल के सम्मुख हम सब नत मस्तक हैं।

उस परिवार को आपके माध्यम से, मैं अपने दल और पूरे प्रतिपक्ष की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की भावनाओं के साथ जोड़ते हुये आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके परिवार तक, माननीय शाह जी के परिवार तक पूरे सदन की भावनाओं को, जो पूरा सदन उत्तराखण्ड की जनता की ओर से गहरा दुःख व्यक्त करता है और इस उम्मीद के साथ कि उनके परिवार, माननीय शाह जी के परिवार के साथ, उनके दुःख के समय पूरे उत्तराखण्ड की जनता उनके साथ है और यह निवेदन भी मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ कि उनके परिवार को आर्थिक रूप से भी मजबूती देने की आवश्यकता है और मैं सोचता हूँ कि सरकार इस दिशा में भी कोशिश करेगी। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आपके साथ अपने मित्र के दुःख में सम्मिलित होने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको, अपने दल को माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह का जन्म 28 जून, 1951 को ग्राम रैनापुर जनपद देहरादून में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री घुरक सिंह था। उनकी शिक्षा हाईस्कूल तक हुई थी। उनका विवाह 13 मई, 1972 को श्रीमती सुधा देवी के साथ हुआ। वे मई–जून, 1991 में प्रथम बार, नवम्बर, 1993 में दूसरी बार तथा सितम्बर–अक्टूबर, 1996 के मध्यावधि चुनाव में तीसरी बार मसूरी विधान सभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये। आप विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति, वर्ष 1991–92, नियम समिति, वर्ष 1993–94 तथा प्रतिनिहित विधायन समिति, वर्ष 1997–98 में सदस्य के रूप में भी रहे। वर्ष 1992 में श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल में आप उप मंत्री भी रहे। आप भारत बन्द आन्दोलन तथा उत्तराखण्ड आन्दोलन में गोरखपुर एवं देहरादून कारागार में ग्यारह दिन बन्दी रहे। आपकी कृषि एवं सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी। 15 जनवरी, 2009 को श्री सिंह का देहरादून में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उनके परिवार में दो पुत्र व एक पुत्री है। माननीय अध्यक्ष जी, जो भाव माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री रावत जी ने यहाँ व्यक्त किये हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं भी चाहूँगा कि जो श्री रावत जी ने आर्थिक मजबूती प्रदान करने की बात परिवार के लिए कही है उस पर सरकार ध्यान दे। धन्यवाद।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा से सम्बद्ध करता हूँ। स्वर्गीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह जी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि उनका जो जन्म स्थल है पट्टी, ग्राम सभा लवा जो उनका मूल जन्म स्थान है, वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। आज जनपद देहरादून और पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारा पूरा

टिहरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर उनका जन्म हुआ पूरा शोक में डूबा है, क्योंकि स्वर्गीय श्री राजेन्द्र सिंह वाकई में जिन्दा दिल इन्सान थे। पहाड़ में जो एक कहावत है "पहाड़ टूट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है।" यह बात सीधे–सीधे स्व0 श्री राजेन्द्र शाह जी में झलकती थी। हमने उत्तराखण्ड आंदोलन में उन्हें देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके साथ ही स्व0 राजेन्द्र शाह जी का वह दौर देखा है। हम लोग भी यहीं देहरादून में थे, जब आपको गिरफ्तार किया गया था और आपके साथ ही स्व0 श्री राजेन्द्र शाह जी को भी गिरफ्तार किया गया था तो कितना बड़ा दुर्व्यवहार तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपके और स्व0 राजेन्द्र शाह जी के विधायक रहते हुए किया था। उस समय जो बर्बरता आपने और स्व0 श्री राजेन्द्र शाह जी ने झेली थी, वह एक अद्भुत दृश्य आज भी हमारे आंखों में है। लेकिन स्व0 राजेन्द्र शाह जी कभी भी झुके नहीं। उनकी मंशा थी अलग राज्य बनाने की, उससे आप भलीभाँति अवगत हैं कि कितनी उन्होंने बर्बरता झेली, लेकिन झुके नहीं। उन्हें गिरफ्तार होना मंजूर था, लेकिन सरकार के सामने सिर झुकाना मंजूर नहीं था, यह मिसाल उन्होंने कायम की।

हम उत्तराखण्ड प्रदेश के निवासी उनके ऋणी हैं। आखिर में उनका संघर्ष काम आया और हमें अलग राज्य प्राप्त हुआ। मान्यवर, अन्त में मैं पूरे प्रदेश की ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार वालों को दुःख सहने की शक्ति प्रदान हो।

स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, इस समय हम सब लोग दुःख की एक ऐसी घड़ी में इस सदन में ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, लगभग संभवतः इस सदन के अधिकांश सदस्य उनके जीवन के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बहुत गहराई और नजदीकी से, न केवल जानते हैं, बल्कि उस साथी का पग–पग और क्षण–क्षण पर अहसास भी करते हैं। श्रीमन्, नेता प्रतिपक्ष श्री हरक सिंह रावत जी ने, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, नेता बसपा और माननीय सदस्य श्री ओमगोपाल जी ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि लोग आते और जाते तो सभी हैं। मान्यवर, जिसने जन्म लिया है, उसकी मौत भी तय है, लेकिन कुछ लोग जीवन में कुछ यादें छोड़ जाते हैं और वे हमेशा जिन्दा रहते हैं। श्रीमन्, स्व0 राजेन्द्र शाह जी जैसा व्यक्तित्व जो न केवल जीवंत व्यक्तित्व के धनी थे, बल्कि जिस सहज, सरल व्यक्तित्व से उन्होंने आम जन के बीच उनके दुःख और दर्द का बीड़ा उठाकर के रास्ता निकालने की कोशिश की। श्रीमन्, ऐसा इतिहास में बहुत कम होता है कि इतनी अकलुषिता के व्यक्ति, इतने सीधे सपाट मन के व्यक्ति और बहुत दूर तक लोगों को साथ लेकर उनकी आवाज बन सकें। श्रीमन्, आप से ज्यादा उनके संघर्षों को और कौन जानता होगा। पिछले 30 वर्षों से साथ–साथ हम लोगों ने संघर्ष किया।

श्रीमन्, 1991 में जब वे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते चुनाव मैदान में आये थे। श्रीमन्, इससे भी पहले उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए वे लगातार और लगातार संघर्षरत् रहे। मैं सोचता हूँ कि शायद उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में उस संघर्ष का चरम था, जब इस राज्य में जहां तक मेरी जानकारी है कि केवल दो ही लोगों पर एन0एस0ए0 (रासुका) लगा था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था, वे स्व0 श्री राजेन्द्र शाह जी और श्री विनोद चमोली जी थे, जिनकी मसूरी में गिरफ्तारी हुई थी। श्रीमन्, इस राज्य के निर्माण और यहाँ की जनता के साथ एकत्व की भावना का इससे बड़ा प्रमाण नही मिल सकता। श्रीमन्, हम लोग तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी आपके सानिध्य में रह चुके हैं। आदरणीय फोनिया जी, आदरणीय हरक सिंह रावत जी, श्रीमन् आप, माननीय मुन्ना सिंह जी। श्रीमन्, चाहे 1990–91 का कार्यकाल रहा हो, चाहे 1993 का कार्यकाल रहा हो, चाहे 1996 का कार्यकाल रहा हो, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी जिस मुखरता के साथ अपने क्षेत्र की आवाज को वे बुलन्द करते थे और जिस ढंग से अपनी बात रखते थे, सपाट तरीके से अपनी बात को रखने में उनकी दिलचस्पी होती थी। मैं सोचता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यह एक बहुत बड़ी क्षति है ही, निश्चित रूप से इस पूरे प्रदेश के लिए और विशेषकर उन लोगों के लिए जो अकलुषित भावना से राजनीति में जनता की सेवा के लिए संकल्प लेकर आये हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है।

श्रीमन्, जब वे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार में 1992 में उप मंत्री थे, तो राजस्व उप मंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत सारे कामों को करने की कोशिश की, जिसमें राजस्व पुलिस व्यवस्था से सम्बन्धित बहुत सारे विषय थे। श्रीमन्, उनका काम करने का अपना ढंग था। हर व्यक्ति उनको अपना महसूस करता था। ठेठ किसानों से जुड़ी पीड़ा और छटपटाहट उनमें दिखाई देती थी। मैं कह सकता हूँ कि किसानों के, गरीबों के, दलितों के मसीहा के रूप में उन्होंने काम किया। श्रीमन्, उनके जाने से हजारों लाखों आँखें आज भी तनिक स्मरण होते ही अश्रु से पूरित हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि वह आदमी आम जन से उस सीमा तक जुड़ा था। आज भी, जैसा अभी आदरणीय हरक सिंह जी ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर का कोई अंग कहीं न कहीं अलग हो गया है। श्रीमन्, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कम लोगों ने उस अकलुषिता से काम करके, निश्छलता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर बेदाग साबित होकर जो जनप्रतिनिधित्व किया है, उनमें राजेन्द्र सिंह जी का भी नाम शामिल है। श्रीमन्, आज हम सब बहुत ज्यादा दुःखी हैं लेकिन मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि राजेन्द्र सिंह जी हमेशा हमारे बीच जिन्दा रहेंगे। श्रीमन्, गीता में कहा गया है–"वासान्ति जीर्णाणि यथा विहाय।" यह तो केवल शरीर है, वह आत्मा जो लोगों के लिए समर्पित थी, जो

स्वच्छ आत्मा थी, संघर्षशील आत्मा थी, वह निश्चित ही हमेशा-हमेशा हम सबका मार्ग दर्शन करेगी। मैं बहुत दुःखी मन से उस पुण्यात्मा को अपनी श्रद्धान्जलि देता हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल और माननीय निशंक जी ने जो उद्‌गार व्यक्त किये हैं स्वर्गीय राजेन्द्र सिंह जी के सम्बन्ध में, मैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। श्रीमन्, स्वर्गीय राजेन्द्र सिंह के निधन से जहाँ पूरे उत्तराखण्ड राज्य को अपूर्णीय क्षति हुई, जिस दल से वे ताल्लुक रखते थे, उस दल को क्षति हुई, उनके मित्रों को अपूर्णीय क्षति हुई, मुझे लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बड़ी क्षति हुई। राजेन्द्र सिंह जी का सानिध्य मुझे हमेशा एक बड़े भाई के रूप में मिलता रहा। राजनैतिक दल के रूप में मेरा और उनका सम्बन्ध बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन इस सब के बावजूद भी, निरन्तर उत्तर प्रदेश में रहते हुये, उत्तराखण्ड में रहते हुये, जिस मानवीयता का, जिस अपनेपन का, जिस बड़प्पन का उनका व्यवहार रहता था। निश्चित रूप से उससे हम अपने आप को बहुत ऋणी महसूस करते हैं। मैं एक बात जरूर राजेन्द्र शाह जी के बारे में कहना चाहूँगा कि जहां तक उत्तराखण्ड राज्य निर्माण और उत्तराखण्ड राज्य निर्माण से सम्बन्धित आन्दोलन में उनका प्रश्न है, वह तो किसी से छिपा नहीं है। वह उस आन्दोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे और उसके दृष्टा के रूप में, उसके साक्ष्य के रूप में, श्रीमन्, आपसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जान सकता है। मैंने एक खास बात उनकी देखी कि आन्दोलनों के दौरान जिस सरकारी तंत्र, जिस अधिकारियों के साथ उनका बहुत, जिसे कहना चाहिये, जिसे यहां पर किसी न किसी रूप में कहा गया कि कहीं पर उनके ऊपर एट्रोसिटीज हुई, उत्पीड़न हुआ। लेकिन कभी भी आन्दोलनों के बाद उन्होंने यह भाव नहीं रखा कि मेरा किसी व्यक्ति से या किसी अधिकारी से कोई व्यक्तिगत वैमनस्य है।

श्रीमन्, एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जैसा अभी निशंक जी ने कहा और निशंक जी ने एक शब्द का प्रयोग किया 'ठेठपन', श्रीमन्, ठेठपन उनका आभूषण था। जैसा माननीय हरक सिंह जी ने कहा कि वे जैसा दिखते थे, वैसा सोचते थे और जैसा सोचते थे, वैसा ही बोलते थे। उनकी इस स्पष्टवादिता, इस सीधे-सपाट पन की वजह से वे कई बार विवादों में भी घिर जाते थे। उसका उल्लेख मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन मैं उन तमाम सारी घटनाओं में भी कहीं न कहीं उनके आजू-बाजू खड़ा रहता था। जहाँ पर मात्र स्पष्टवादिता की वजह से, स्पष्ट स्वीकारोक्ति की वजह से, सीधे-सपाटपन की वजह से उन्हें काफी परेशानियों के दौर से भी गुजरना पड़ा और यहाँ तक कि कई बार अपने उस सीधे-सपाट व्यवहार की वजह से वह साजिशों के शिकार भी बने। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वह

एक विलक्षण व्यक्तित्व थे। आज निश्चित रूप से हम उनकी कमी को महसूस करते हैं, इस दुःख की घड़ी में पूरे सदन ने, नेतागणों ने जो उनके बारे में विचार व्यक्त किये, मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुये अपने श्रद्धासुमन उन्हें अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से कि बहुत अल्पायु में उनका निधन हुआ है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मैं उनके परिवार को बहुत करीब से जानता हूँ, उनके पुत्रों को करीब से जानता हूँ, उनकी बेटी को करीब से जानता हूँ, उनके परिवार से मेरा करीब का रिश्ता रहा है। रानीपोखरी के उनके घर पर मेरा बहुत आना–जाना था। आज जिस मुश्किल के दौर से उनका परिवार गुजर रहा है, ऐसी दुःख की घड़ी में परमपिता परमेश्वर उन्हें इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और आपसे प्रार्थना है कि हमारी संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री गणेश जोशी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा, नेता यूकेडी, माननीय मंत्री निशंक जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। स्वर्गीय राजेन्द्र लाल शाह जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय था, उनके बारे में जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि राजनीति के अन्दर इतना सरल व्यक्तित्व नहीं मिलता है। उनके जीवन के कई उदाहरण ऐसे हैं, मुझे याद है कि 1 सितम्बर, 1994 को जब मसूरी कांड हुआ, हम धरना स्थल पर थे, वहां पर भी काफी हंगामा हो रहा था। लाइब्रेरी के अन्दर एक आन्दोलनकारी स्व0 श्री बलबीर सिंह को पी0ए0सी0 के एक सिपाही ने संगीन घोंपकर मार दिया था। राजेन्द्र लाल शाह जी वहां के लिये चले गये, भट्टे पर आपको पुलिस ने रोक दिया, लेकिन वहां से आप स्कूटर पर लिफ्ट लेकर मसूरी गये और जिस प्रकार की प्रताड़ना आपने सही। मान्यवर, उसमें पुलिस के एक डी0एस0पी0 भी आंदोलन में मारे गये थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी।

मुझे याद है अभी माननीय निशंक जी ने जिक्र किया कि तब उत्तर प्रदेश में हम थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार रासुका किसी राजनैतिक व्यक्ति पर लगी तो राजेन्द्र शाह ही पहले व्यक्ति थे जिन पर रासुका लगी। मुझे याद है 1997 में जंतर–मंतर पर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदर्शन था। उस समय मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता था। इस नाते मुझे देहरादून से लोगों को लेकर जाने की जिम्मेदारी थी। जंतर–मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मेरी जेब कट गयी, मैं बड़ा परेशान था कि मेरे साथ इतने लोग हैं, इनको खाना कहाँ से खिलाऊँगा ? तब राजेन्द्र शाह जी ने मेरी शक्ल देख कर पूछा कि क्या हो गया ? मैंने उन्हें बताया कि मेरी जेब कट गयी है। तो उन्होंने मुझे दो हजार रुपये दिये उसके बाद हम वापस आये। उसके कुछ दिन बाद मैं उन्हें पैसे वापस करने गया तो उन्होंने कहा कि कैसी बात करते हो, तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि वे इतने महान व्यक्ति थे। आपने देखा होगा कि उनकी शवयात्रा में कितना हुजूम था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपकी मृत्यु से 5–6 दिन पहले मेरी बात हुई आप बहुत परेशानी में थे, असमंजस में थे क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति अगर, जिस प्रकार से कुछ दिनों से हाशिए पर थे, तो मन में कुछ वेदना होती है और जहां तक मेरे सम्पर्क थे मैंने इस बात को बताया था। और एक दिन पहले ही मैंने उस बात को बताया। अगले दिन शाम की बात है मुझे ट्रस्टी श्री विक्रम चौधरी का फोन आया कि ऐसे–ऐसे राजेन्द्र शाह जी का एक्सीडेंट हो गया, वे बहुत सीरियस हैं। अचानक विश्वास ही नहीं हुआ। फिर समाचार मिला कि उनका निधन हो गया है तो ऐसा लगा कि जैसे अपना ही सगा बड़ा भाई हमारे बीच से चला गया है। दुख की इस घड़ी में माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा वे सरल व्यक्ति थे, उनके बच्चे भी बहुत सरल हैं, तो हमें उस परिवार के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उनके परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय ओम गोपाल जी, माननीय डा० रमेश पोखरियाल जी, माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, माननीय श्री गणेश जोशी जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हूँ। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो मित्रों के मित्र थे, सरल स्वभाव के थे और जो मन में बात आती थी, जो विचार आते थे, वो भावनाएं भी वैसी ही होती थीं, कार्य भी उसी प्रकार से करते थे। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। श्री राजेन्द्र शाह जी 1991 में पहली बार विधान सभा में चुनकर गये, फिर 1993 में और फिर 1996 में चुने गये। हम उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब वह पहली बार चुन कर गये तो दूसरी बार वह उससे अधिक मतों से चुन कर गये और तीसरी बार अत्यधिक मतों से चुन कर गये। 1992 में उपमंत्री के रूप में राजस्व विभाग की जो उन्होंने सेवा की, जो उसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने विचारों को उस विभाग में जोड़ने का प्रयास किया निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के राजस्व विभाग में जो परिवर्तन आने चाहिए और जो सोच होनी चाहिए वह उसको प्रदर्शित करता है।

एक साधारण किसान परिवार में जन्मे श्री राजेन्द्र शाह जी राजनीतिक परिवार से नहीं थे परन्तु मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्हीं के गाँव के जिला पंचायत के चेयरमैन, स्वर्गीय बहादुर सिंह जी का और राजेन्द्र शाह जी के पिता जी का निकट सम्बन्ध था और शायद यही कारण हो सकता है कि स्वर्गीय बहादुर सिंह जी की छाप उनके राजनीतिक जीवन में पड़ी हो और राजनीतिक क्षेत्र में उनका रूझान आया हो, किन्तु सामाजिक क्षेत्र में उनकी अपनी उपलब्धियाँ थीं और अपनी प्रतिबद्धता के कारण ही जब हिमालयन इन्स्टीट्यूट

मेडिकल कॉलेज का प्रकरण आया और जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के साथ मिलकर अपनी विधायक की भूमिका का निर्वहन किया। उत्तराखण्ड आंदोलन में मात्र दो व्यक्ति ऐसे थे जिनके ऊपर एन0एस0ए0 लगाई गई, उनमें से एक राजेन्द्र शाह जी थे। अब चूँकि हमारा व्यक्तिगत सम्बन्ध भी उनसे बहुत निकटता का था, पार्टी का सम्बन्ध भी था और विधायक के रूप में भी एक जनपद में होने के कारण जब-जब कोई समस्या आती थी एक दूसरे के सहयोग के साथ उस संघर्ष में सम्मिलित होने का अवसर हमें मिलता था। जब उत्तराखण्ड आंदोलन की बात आई उस समय भी जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि मसूरी में एक घटना घट गई है, उसी वक्त उन्होंने मुझे सूचना दी कि ऐसी बात हो गई है। तो हम उसी वक्त यहाँ से रवाना हुए और मसूरी जाते वक्त रास्ते में हमें रोका गया किन्तु किसी तरह से हम मसूरी पहुँचे, उस आंदोलन के स्थान पर पहुँचे, उस घटना के स्थान पर पहुँचे और चिकित्सालय में जो लोग घायल हुए थे उनसे मिले, उनके परिवारों से मिले। मैं तो रात को वापस आ गया था और मुझे पता चला कि उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

इस प्रकार से अनेक घटनाक्रम ऐसे हैं जिन्हें आज भी हम याद करते हैं। इस सदन में भी जो समय-समय पर उन्होंने किसानों की बात उठाई, किसानों की समस्याओं की बात उठाई और वन जन्तुओं के द्वारा किसानों की फसलों को जो नुकसान पहुँचता है, उसके लिए भी उन्होंने समय-समय पर बात उठाई और एक नीति निर्धारण के लिए भी सरकार से अनुरोध करते रहे। जिस प्रतिबद्धता से वह बात करते थे, जिस हिम्मत से वह बात करते थे। मुझे आज भी याद है, जब इस सदन में ही उत्तराखण्ड में शराब नीति पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपने विचार रखे थे और जब शराब बंदी पर चर्चा हुई तो उन्होंने उसी प्रतिबद्धता के साथ अपने विचार रखे। तो निश्चित रूप से उनका मन और उनकी धारणा स्पष्ट रहती थी अपनी बात कहने के लिए और उसी स्पष्ट धारणा के आधार पर वह अपनी बात को कहते थे। अभी विभिन्न माननीय सदस्यों ने उनके परिवार की कठिनाइयों का यहाँ उल्लेख किया है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस पर विचार करेगी और उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालेगी।

आज राजेन्द्र शाह जी हमारे बीच में नहीं हैं। हम सबको इसकी कमी खल रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हम उन्हें नहीं भुला पायेंगे। परन्तु जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना है, यह अटल सत्य है। हमें आखिर यही सोचकर अपने आपको संतुष्ट करना पड़ता है। उनके परिवार जनों तक हम अपनी भावनाओं को पहुँचायेंगे और उसके साथ-साथ हम उस पुण्य आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार तथा हम सबको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि कृपया दो मिनट खड़े होकर दिवंगत पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 619–A(2) के अधीन उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2004–05 की वार्षिक रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 619–A(2) के अधीन उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2004–05 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 की धारा 131(1) के अन्तर्गत निर्गत की गयी अधिसूचना संख्या 843/XIV–1/2008, दिनांक 7 अक्टूबर, 2008

सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम, 2003 की धारा 131(1) के अन्तर्गत निर्गत की गयी अधिसूचना संख्या 843/XIV–1/2008, दिनांक 07 अक्टूबर, 2008 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री ओम गोपाल रावत, श्री खजान दास, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्रीमती आशा नौटियाल की कुल 4 सूचनायें प्राप्त हुईं। मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

उत्तराखण्ड के दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित मोबाईल अस्पतालों के संचालन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड में दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, वहाँ जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गढ़वाल मण्डल में हिमालयन इन्स्टीट्यूट जौलीग्रान्ट तथा हिन्दुस्तान लेटेक्स द्वारा मोबाईल स्वास्थ्य सेवाएं 2004 से उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिससे दुर्गम क्षेत्रों के निवासी स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं तथा इनकी सेवाओं से सन्तुष्ट हैं। महोदय, मेरी विधान सभा के अन्तर्गत हिन्दुस्तान लेटेक्स द्वारा प्रशंसनीय सेवा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में प्रस्तावित मोबाईल हॉस्पिटल के संचालन के लिए कुछ नई संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गयी है जबकि नई संस्थाओं के पास पर्वतीय क्षेत्र में सेवा दिये जाने का अनुभव भी नहीं

है। जबकि पूर्व से प्रशंसनीय कार्य कर रही संस्थाओं को प्राथमिकता न देकर अनुभवहीन नई संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपे जाने से जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विषय जन स्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण लोक महत्व का है। सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल वि0 खण्ड जौनपुर अन्तर्गत कतिपय रूटों पर बस सेवा शुरू किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खजान दास–

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत निम्नलिखित मोटर मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसे संचालित करने की मांग स्थानीय जनमानस एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा लम्बे समय से की जाती रही है। किन्तु अब तक भी निम्नलिखित मोटर मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं किया गया है।

1–देहरादून से होते हुए रायपुर, कुमाल्डा, कद्दूखाल, सुरकण्डा देवी एवं रात्रि विश्राम हेतु उसी रूट से देहरादून।

2–देहरादून से विकासनगर होते हुए नैनबाग, श्रीकोट, बड़ेथी बनचौरा होते हुए उत्तरकाशी।

3–देहरादून से मसूरी होते हुए थत्यूड़ एवं रात्रि विश्राम हेतु उसी मार्ग से देहरादून।

उल्लेखनीय है कि उक्त मोटर मार्ग विधान सभा क्षेत्र को राजधानी देहरादून एवं विकासनगर क्षेत्र से जोड़ते हैं जो क्षेत्रवासियों के स्थानीय बाजार हैं, जिस पर धनौल्टी विधान सभा का आम जन फल, सब्जी आदि नकदी फसलों का क्रय–विक्रय कर आजीविका चला कर अपना एवं परिवार का भरण–पोषण करता है। किन्तु बस सेवा न होने के कारण आम जन को अधिक समय एवं धन की बलि देकर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। उक्त रूटों पर बस सेवायें शुरू किये जाने से धनौल्टी आम जन के साथ–साथ जनपद उत्तरकाशी के लोगों एवं पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शीघ्रता से कार्यवाही की मांग की जाती है।

हरिद्वार जनपद में 28 ग्रामों की कृषि योग्य भूमि के नदियों के कारण नष्ट होने पर कृषि भूमि को बचाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद के ब्लॉक भगवानपुर में नदियों के कटाव के कारण हजारों बीघे भूमि नष्ट हो गई है जिसकी जानकारी जिलाधिकारी हरिद्वार

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार को तुरन्त दे दी गयी थी। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल कार्यवाही करते हुए सहायक निदेशक, जलागम हरिद्वार से सर्वेक्षण कराकर भगवानपुर ब्लॉक के 28 ग्रामों की कृषि योग्य भूमि के बचाव के लिए 7738.30 लाख ₹ की कार्ययोजना तैयार की थी, जिसे कृषि निदेशालय के पत्रांक 474/दिनांक 21-09-2007 को मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित कर दी गयी थी। इस रिपोर्ट के एक वर्ष बाद और भी कई हजार बीघे कृषि योग्य जमीन नदियों के कटाव के कारण नष्ट हो गयी है। यदि इसी प्रकार से सरकार द्वारा अनदेखी की गयी तो आने वाले समय में ब्लॉक भगवानपुर के उक्त ग्रामों की कृषि योग्य भूमि सम्पूर्ण नष्ट हो जावेगी। जिससे इन ग्रामों की जनता भूखी एवं कंगाल हो जावेगी। बिना खाद्यान्न के गरीब किसानों को भूमि नष्ट होने के उपरान्त आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ जायेगा। उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर तत्काल सरकार का ध्यान आकर्षित कर इस अति लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद रुद्रप्रयाग में विधान सभा केदारनाथ के ग्राम सभा पिल्लू, जहँगी, बाजगढ़, गुगली, कलाकोट गाँवों में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग में विधान सभा केदारनाथ के ग्राम सभा पिल्लू, जहँगी, बाजगढ़, गुगली, कलाकोट गाँवों में पेयजल की समस्या की ओर लाना चाहती हूँ। महोदय, इन गाँवों में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधि समय-समय पर विभाग से माँग करते आ रहे हैं, ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इन गाँवों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु नयी पेयजल योजना को स्वीकृति दिये जाने की माँग ग्रामीण जनता करती आ रही है। ग्रीष्म काल प्रारम्भ होते ही पुनः पेयजल की गम्भीर समस्या बढ़ जाती है।

अतः महोदय से आग्रह है, जनहित के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन से कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

उत्तराखण्ड विनियोग (2008-09 का अनुपूरक) विधेयक, 2008

सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2008-09 का अनुपूरक) विधेयक, 2008, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का आठवां अधिनियम बन गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2008

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2008, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2008

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2008, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का बारहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक,2008

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2009 का पहला अधिनियम बन गया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत कूल्हा, विकास खण्ड गदरपुर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित ललपुरी मेन रोड से मझरा भूप सिंह (मरघटाई) रेलवे लाईन तक 2 किलोमीटर एवं श्री रामपुर मदपुरी मेन रोड से ललपुरी होते हुए रेलवे लाईन तक 2 किलोमीटर तथा श्री रामपुर मदपुरी से लच्छी भटभोज तक मार्ग सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत कूल्हा, विकास खण्ड गदरपुर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित ललपुरी मेन रोड से मझरा भूप सिंह (मरघटाई) रेलवे लाईन तक 2 किलोमीटर एवं श्री रामपुर मदपुरी मेन रोड से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ललपुरी होते हुए रेलवे लाईन तक 2 किलोमीटर तथा श्री रामपुर मदपुरी से लच्छी भटभोज तक मार्ग सुधारीकरण के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह शाह, पुत्र श्री जय सिंह, निवासी ग्राम–ललपुरी, पो0–गूलरभोज, जनपद–ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र, जनपद हरिद्वार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद–हरिद्वार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राव अथर खाँ पुत्र असगर खाँ, निवासी–उप प्रधान, सिकरोढा जनपद–हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री सुरेन्द्र राकेश, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2008 के अपने पत्र के अन्तर्गत वर्ष 2007 के द्वितीय सत्र के दौरान नियम 300 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही 2007 के तृतीय सत्र के दिनांक 29 नवम्बर, 2007 के उपवेशन में सभा में रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराया गया है कि 2007 के द्वितीय सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा कुल 41 सूचनायें अलग–अलग विषयों पर नियम 300 के अन्तर्गत सदन के ध्यान में लायी गयीं। विगत सत्र में सदन के पटल पर रखे गये कृत कार्यवाही विवरण के स्तम्भ को देखने से विदित होता है कि अमुक माननीय मंत्री द्वारा अमुक माननीय सदस्य को अमुक पत्र द्वारा उत्तर प्रेषित किया जा चुका है। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में उक्त कार्यवाही विवरण के क्रमांक 12, 16, 18, 34 तथा 40 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया है कि उल्लिखित सूचनाओं के सम्बन्ध में कई माह व्यतीत होने के बाद भी कृत कार्यवाही का विवरण अप्राप्त है। माननीय सदस्य के अनुसार यह माननीय सदन की अवमानना है। उनके अनुसार जिन सूचनाओं का उत्तर माननीय मंत्री द्वारा दिया गया दर्शाया गया है उस उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जनहित के किसी महत्वपूर्ण विषय पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है। माननीय सदस्य ने यह भी आरोपित किया है कि शासन द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत सदन के ध्यान में लाई गई सूचनाओं के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अतः उन्होंने उक्त के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन के अवमान की सूचना दी है।

माननीय सदस्य द्वारा जो सूचना दी गयी है उसके सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन के निर्धारण अथवा ग्राह्य किये जाने से पूर्व मैंने निदेशित किया था कि इस विषय में माननीय संसदीय कार्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर ली जाय।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपने पत्र दिनांक 03 मार्च, 2008 के द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध की गयी है। माननीय मंत्री द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 300 के अन्तर्गत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी की गयी प्रक्रिया सम्बन्धी निदेशों के निदेश संख्या 14 के उपबन्धों का संदर्भ देते हुए सूचित किया गया है कि उक्त व्यवस्था के अनुसार माननीय सदस्यों को सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं का अन्तिम उत्तर माननीय मंत्री के हस्ताक्षर से समयान्तर्गत दे दिया गया है तथा निदेश संख्या 14 के उपनियम (3) में संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण रखा जाना होता है, जो यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखा जायेगा। अतः प्रश्नगत बिन्दु विशेषाधिकार हनन की सूचना से आच्छादित नहीं होता है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि राज्य गठन के उपरान्त सम्पन्न समस्त सत्रों में भी नियम 300 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं को इन्हीं प्रक्रियाओं के अधीन व्यवहृत किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त सूचना में उल्लिखित क्रमांक 12, 16, 18, 34 तथा 40 पर सम्बन्धित विभागों से विवरण की स्थिति अलग से प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी से, सहमत होने में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 14 के आलोक में कठिनाई अनुभव हो रही है। नियम 300 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय सदन के संज्ञान में लाये जाने की व्यवस्था है। इस नियम के संदर्भ में जारी प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 14 में की गई व्यवस्था की पृष्ठभूमि में मन्तव्य यही है कि सदन के संज्ञान में लाए गए लोक महत्व के विषय का अनुश्रवण प्रभावी ढंग से हो। प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 14 (3) को जारी किए जाने का उद्देश्य भी यही है कि सदन के संज्ञान में लाए गए लोकमहत्व के किसी अविलम्बनीय विषय का निस्तारण किस प्रकार किया गया, इसकी जानकारी पूरे सदन को हो जानी चाहिए। वर्ष 2007 के विगत तृतीय सत्र में सदन के पटल पर रखे गए प्रश्नगत विवरण, जिसके सन्दर्भ में सदन के अवमान का प्रश्न उठाया गया है, के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत विवरण से प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 14 (3) के उद्देश्य की पूर्ति होती प्रतीत नहीं होती है। इस संदर्भ में मेरा यह निश्चित मत है कि सदन के संज्ञान में आए किसी भी विषय पर अग्रेत्तर जानकारी प्राप्त किए जाने हेतु प्रत्येक माननीय सदस्य को समान अधिकार प्राप्त हो जाता है और यदि केवल सूचनादाता माननीय सदस्य को ही शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी दी जाएगी तो शेष माननीय सदस्य उस जानकारी से वंचित रह जायेंगे जो कि संसदीय प्रणाली के क्षेत्राधिकार को सीमित करेगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी के अध्ययन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभिसूचित सूचना के अन्तर्गत उठाये गये प्रकरण में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन के अवमान का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता प्रतीत नहीं होता क्योंकि नियम 300 के अन्तर्गत उठायी गई सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने में माननीय मंत्री जी द्वारा किसी प्रकार की कदाशयता परिलक्षित नहीं होती है। अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार हनन अथवा सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में अग्राह्य करता हूँ, किन्तु शासन से अपेक्षा करता हूँ कि लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए तथा संसदीय संस्थाओं को पुष्ट तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सदन के पटल पर रखे जाने वाले कृत कार्यवाही के विवरण को तैयार किये जाने में जो प्रक्रियात्मक दोष है उसका निवारण करते हुए सदन के संज्ञान में लाए गए विषय के सन्दर्भ में शासन द्वारा वस्तुतः की गई कार्यवाही की सूचना अंकित होनी चाहिए।

(मा0 अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या-10 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

*कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''-

मान्यवर, हमारे द्वारा 2 माह पूर्व विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई श्री माननीय गन्ना मंत्री के विरुद्ध, उसके विषय में मैं जानकारी चाहूँगा कि क्या कार्यवाही हुई।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो इनको आपके द्वारा अवगत कराया गया है, कृपया इसके बारे में आप अपनी आख्या भिजवा दें।

*शिक्षा एवं गन्ना मंत्री (श्री मदन कौशिक)-

मान्यवर, मैं भेज दूँगा, लेकिन अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

*श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, हमारी भी सूचना है, आपका दिशा निर्देश है।

श्री अध्यक्ष-

इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना प्राप्त हो गयी है, इसको मैं दिखवा रहा हूँ। नेचुरल जस्टिस तो यही कहता है कि दूसरे पक्ष की बात भी आनी चाहिए। इसमें दूसरे पक्ष की बात भी तो आने दीजिए। यह तो जबर्दस्ती की बात हो रही है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अपराह्न 3:00 (तीन) बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नियम–65 के अन्तर्गत आपको एक सूचना दी है, यदि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विधायकों के ....।

श्री अध्यक्ष–

उनका मत तो आने दीजिए। ऐसे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, जब तक उनका मत नहीं आ जाता। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी का मत तो आने दीजिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जिनके ऊपर इन सब चीजों का भार है ....।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक भी हैं। उनका मत तो आने दीजिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अगर वे ही इस प्रदेश की जनता का अपमान करेंगे तो कैसे चलेगा ?

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–12 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, माननीय सदस्य श्री करन मेहरा, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी तथा माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह रावत 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम-58 के अन्तर्गत 1. डा0 हरक सिंह रावत, श्री करन मेहरा तथा श्री राजेश जुवाँठा, 2. श्री केदार सिंह रावत तथा श्री मनोज तिवारी, 3. श्री किशोर उपाध्याय, 4. श्री बलबीर सिंह नेगी, 5. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री रणजीत सिंह रावत तथा श्री दिनेश अग्रवाल, 6. हाजी तस्लीम अहमद तथा श्री हरिदास, 7. श्री प्रेमानन्द महाजन, 8. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 9. श्री सुरेन्द्र राकेश, 10. श्री शहजाद की कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। क्योंकि इन सूचनाओं में जो विषय दिये गये हैं, उन पर महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा की जा सकती है। अतः मैं इनमें से डा0 हरक सिंह रावत, श्री करन मेहरा तथा श्री राजेश जुवाँठा की सूचना, जो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग प्रवक्ता एवं संविदा पर नियुक्त प्रवक्ताओं के समायोजन/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री केदार सिंह रावत तथा श्री मनोज तिवारी की है, जो संविदा पर नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सकों के साथ भेदभाव की नीति अपनाते हुए उन्हें मानदेय वृद्धि एवं नियमितीकरण से वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन की है, जो जनपद ऊधमसिंह नगर के पन्तनगर-गदरपुर में स्थित स्कूलों और आबादी के मध्य से गुजरने वाली विद्युत तारों को हटाये जाने के सम्बन्ध में है तथा चौथी सूचना काजी निजामुद्दीन की है, जो ग्राम लिबरहेड़ी, ब्लॉक नारसन, जनपद हरिद्वार की अनुसूचित जाति की बस्ती में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदले जाने के सम्बन्ध में है, को ग्राह्यता पर सुनने हेतु अनुमति प्रदान कर रहा हूँ। साथ ही नियम-310 के अन्तर्गत प्राप्त मा0 सदस्य डा0 हरक सिंह रावत, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा श्री राजेश जुवाँठा की सूचना जो एन0टी0टी0 द्विवार्षिक प्रशिक्षित बेरोजगार युवतियों को प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है, को मैं नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने की अनुमति प्रदान करता हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय किशोर उपाध्याय जी, आप हर बात पर जिद कर रहे हैं, यह उचित बात नहीं है। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी की बात तो आने दीजिए। (व्यवधान) उत्तर तो आने दीजिए। जब उत्तर आएगा, तो उस पर बात कर लेंगे। (व्यवधान) उनका पक्ष तो आने दीजिए, तब तो बात करूँगा। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी का पक्ष अभी मेरे पास नहीं आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी तरह विधायक भी हैं, उनका पक्ष भी आना चाहिए।

कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी एक विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, जब तक उनका पक्ष नहीं आ जाता, मैं क्या बात कर सकता हूँ।

आज नियम 58 के अन्तर्गत बहुत महत्वपूर्ण सूचनायें हैं और सभी माननीय सदस्यों से सम्बन्धित हैं। ऐसा मत करिये।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य तथा नेता बहुजन समाज पार्टी श्री शहजाद 'वेल' में आ गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का पक्ष नहीं आयेगा, तो इस पर कैसे बात की जा सकती है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर रहा था कि समय-समय पर पीठ की ओर से, जैसा कि आज माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया है, उस पर समय-समय पर और पूर्व में भी पीठ के द्वारा निर्देश दिये गये हैं। इसलिये मैं सिर्फ आपसे यह आग्रह कर रहा था कि पीठ के द्वारा जो निर्देश समय-समय पर दिये गये हैं, उनका पालन तो सरकार को करना चाहिए। अगर पीठ के निर्देशों का पालन किया जाता तो यह विषय आज सदन के सामने आता ही नहीं।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

माननीय अध्यक्ष जी, पीठ के द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन हो रहा है। जो स्पेसिफिक घटना माननीय सदस्य बता रहे हैं, उसका मैं परीक्षण करवा लेता हूँ और कोई दोषी होगा तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब इस बात का तो कोई उपचार मेरे पास नहीं है।

(वेल में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने के लिये कहें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी मत आ गया है कि ऐसा नहीं हो रहा है, अगर कहीं हो रहा है तो स्पेसिफिक बता दीजिये, उसे दिखवा लिया जायेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व में भी पीठ के द्वारा बहुत सख्त निर्देश सरकार को दिये गये थे कि माननीय विधायकों के क्षेत्र में यदि कोई शिलान्यास, लोकार्पण आदि का कार्यक्रम होता है, तो वह उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि पीठ द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों की लगातार अवहेलना की जा रही है। यह निश्चित रूप से इस सदन की मर्यादा के खिलाफ है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरा पुनः अनुरोध है कि माननीय सदस्य किसी विषय को सदन में कहते हैं तो उसका संज्ञान लिया जाता है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी–अपनी बात कहे जाने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर नहीं कह सकता, मेरे सामने यह विषय नहीं आया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब पीठ की ओर से निर्देश हो गये, फिर भी बार–बार उसकी अवहेलना की जाती है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी–अपनी बात कहे जाने पर घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

हर बार अपने सम्मान, विधायक के जो कर्तव्य हैं, हर बार अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों की लड़ाई सदन में लड़नी पड़ती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक दूसरे पक्ष की बात नहीं आती, मैं कुछ नहीं कह सकता। (व्यवधान) दोनों पक्ष की बात तो आने दीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, केवल पत्थर पर विधायक का नाम लिखा जाता है, और विधायक को सूचना ही नहीं दी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, यह भेदभाव हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के तो बाकायदा विज्ञापन छप रहे हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 के द्वारा छप रहे हैं, सरकार के विभागों के द्वारा छप रहे हैं। विपक्ष के विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें सूचना तक नहीं दी जा रही है। तो निश्चित रूप से यह सरकार जो सौतेला व्यवहार कर रही है और पीठ के निर्देशों की अवहेलना लगातार हो रही है। इसलिए हम आपसे निवेदन चाहते हैं, संरक्षण चाहते हैं। पीठ से निर्देश हो जाएं सरकार को कि बार–बार इसकी पुनरावृत्ति न हो।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, एक बार दुबारा फिर बता दीजिए। (घोर व्यवधान) (माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला जी द्वारा 'वेल' में खड़े होकर कुछ कहने पर) माननीय जोत सिंह गुनसोला जी, यह पहले भी होता रहा है। ये मैं बता दूंगा आपको।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, तिवारी जी तो 82 साल के थे, तो वह ऐसा करते थे लेकिन माननीय खण्डूड़ी जी तो उनसे कम उम्र में कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अपने नेता की बात भी सुन लीजिए, इनका कहना है कि माननीय तिवारी जी भी करते रहे हैं ऐसा काम।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, लेकिन माननीय तिवारी जी ने अपरिहार्य परिस्थितियों में, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसा किया होगा, उनका स्वास्थ्य खराब रहा होगा, लेकिन खण्डूड़ी जी का तो स्वास्थ्य ठीक है। (व्यवधान) खण्डूड़ी जी का स्वास्थ्य खराब है क्या जो जिला मुख्यालय में नहीं जा सकते।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

सभी जनपद मुख्यालयों में जा करके ....। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, देखिए ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सत्ता पक्ष की बात भी आ जाय। उसके बाद दोनों पक्षों का (घोर व्यवधान) नियम–58 के अन्तर्गत बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों से सम्बन्धित हैं। (व्यवधान) जितनी सूचनाएं आ सकतीं थीं, ले ली मैंने। आपकी सूचना महत्वपूर्ण है, और भी महत्वपूर्ण हैं, सभी सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं। जो आ सकती थीं, वो ले ली गयी हैं। पाँच सूचनाएं नियम–58 में आज हम ले रहे हैं और पाँच से ज्यादा ले नहीं सकते। (व्यवधान) आप दुबारा दे दीजिए, देख लूँगा मैं। आज तो नहीं हो सकता है। आप दे

दीजिए दुबारा, मैं कल दिखवा लूँगा। अगर आने की स्थिति में होगी, तो हम ले आयेंगे। अगर आने की स्थिति में होगी तो हम सुन लेंगे। अगर आने की स्थिति में नहीं होगी तो नहीं आयेगी, उसमें कर भी क्या सकते हैं। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष डा० हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे जिससे सदन में घोर व्यवधान होता रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपने आप को संतुलित करें और स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरी भी नियम–58 में एक सूचना है, वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें महत्वपूर्ण हैं। परन्तु जो उस परिधि में आ सकती हैं वही ली जा सकती हैं। पाँच सूचनायें एक दिन में ली जा सकती हैं, मैंने पाँच सूचनायें ले ली हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, उन पाँच सूचनाओं में मेरी सूचना को भी सम्मिलित कर लेते।

श्री अध्यक्ष–

मैं किसकी सूचना को काट दूँ। पाँच सूचनायें ली जा सकती हैं। मैंने पाँच सूचनायें ले ली हैं, जिसमें तीन आपके दल से सम्बन्धित हैं और दो बहुजन समाज पार्टी से सम्बन्धित हैं।

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

इस समय लिया जाना सम्भव नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के तहत सुनने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष–

एक निवेदन और भी था, एक सूचना और भी है उसमें भी आपके हस्ताक्षर हैं, यह देख लीजिए आप कौन सी सूचना में बोलेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वह नियम–310 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

वह नियम–58 में कन्वर्ट हो गई है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 में नहीं लिया जा रहा है। यह नियम–58 में लिया जा रहा है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के तहत बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रदेश की एक ऐसी ज्वलन्त समस्या जो किसी प्रदेश और समाज के विकास के लिए सबसे जरूरी होता है। किसी प्रदेश के किसी समाज के और किसी देश के विकास के लिए उसकी शिक्षा मजबूत होना नितान्त आवश्यक है और वह भी उच्च शिक्षा। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हो गया है इस प्रदेश का माननीय अध्यक्ष जी, कि आज पूरे के पूरे राजकीय महाविद्यालय संविदा, विजिटिंग और तदर्थ प्राचार्य के भरोसे चल रहे हैं। यह जो तदर्थ प्रवक्ता हैं और संविदा पर हैं, विजिटिंग लैक्चरर हैं उनकी नियुक्ति उन परिस्थितियों में हुई जब 2001 में, 2002 में राज्य बनने के बाद प्रदेश के कोने–कोने से महाविद्यालयों की माँग उठी और तत्कालीन सरकारों ने चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। जनता की माँग पर राजकीय महाविद्यालयों को दूरदराज के क्षेत्र में खोला। इन दूरस्थ क्षेत्रों में इन महाविद्यालयों में प्राचार्य तो क्या प्रवक्ताओं का मिलना भी दुर्लभ हो गया। उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग से नियुक्ति में बहुत समय लगने की सम्भावना थी, महाविद्यालयों में प्रवेश हो गये थे। उन छात्र–छात्राओं के भविष्य को देखते हुए विजिटिंग लैक्चरर और संविदा पर शिक्षकों की तैनाती की गई और इन शिक्षकों की तैनाती यू0जी0सी0 के जो प्रवक्ता के नियम हैं, जो अर्हतायें हैं उसके अनुसार की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले नियम बनाया था कि नैट क्वालिफाई हो। 1993 तक उसने पी0एच0डी0 की हो। जब 1993 में जिसने पी0एच0डी0 की हो, नैट क्वालिफाई अभ्यर्थी नहीं मिले, तदर्थ नहीं मिले तो सरकार के सामने इन महाविद्यालयों को चलाने की बहुत विकट समस्या खड़ी हो गई। फिर सरकार ने जनहित में निर्णय लिया, प्रदेश के छात्र–छात्राओं के भविष्य को देखते हुए निर्णय लिया गया, कि 2002 तक जिन नौजवानों और नवयुवतियों ने पी0एच0डी0 की है, उनको संविदा पर या विजिटिंग लैक्चरर के रूप में नियुक्त किया जाए और उनकी नियुक्ति हुई। पहले उनको 8 हजार रुपये उत्तर प्रदेश के समय में मानदेय दिया जाता था जिसे बढ़ार 15 हजार रुपये, जो विजिटिंग लैक्चरर हैं, उनको 15 हजार कर दिया गया है और जो संविदा पर नियुक्त हैं उनको 8 हजार में ही रखा गया। इसमें भी दो कैटेगरी हैं, कुछ को 15 हजार रुपये मानदेय मिलता है तो कुछ को 8 हजार रुपये मानदेय मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह शिक्षक जिनके जिम्मे उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी है, हमारे भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी जिन शिक्षकों पर है, उनकी उम्र ज्यादा हो गयी। किसी की उम्र 40 साल हो गयी किसी की उम्र 45 साल हो गयी। एक प्रदेश के होनहार नौजवान ने जिसने पोस्ट ग्रेज्यूएशन किया और पी0एच0डी0 के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नॉर्म्स हैं कि 55 प्रतिशत से नीचे न हो, पी0एच0डी0 में इन लोगों का दाखिला नहीं हो सकता है। एकेडमी कौंसिल आर0डी0सी0 टॉपिक अप्रूवल नहीं करती, थीसिज तीन एक्सपर्ट के पास चैक होने के लिए जाती है। तीन, चार साल अपने पी0एच0डी0 में खर्च किये। एकेडमी के द्वारा एक्सपर्ट गठित होते हैं और एक्सपर्ट फिर वाईवा लेता है। एग्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा उसको पी0एच0डी0 अवार्ड होती है।

जिस व्यक्ति ने और जिस प्रदेश के होनहार नौजवान ने और युवती ने इतनी हाई एजुकेशन लेने के बाद, वह 8 हजार और 15 हजार में काम कर रहा है। इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इन शिक्षकों की क्या गलती थी, केवल यही गलती थी कि ये लोग अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रखना चाहते थे और सरकार को इस सदन के माध्यम से अपनी आवाज को सुनाना चाहते थे। क्योंकि सब की नजर होती है चाहे प्रदेश के कर्मचारी हैं और नौजवान हैं, शिक्षक और किसान हैं कि विधान सभा का सदन चलेगा। जब सरकार नहीं सुनती है तो जनता को लगता है कि सदन के सामने अपनी बात को रखकर सरकार हमारी बात को सुनेगी और वो अपनी आवाज को इस सदन को सुनाना चाहते थे लोकतांत्रिक तरीके से। इन शिक्षकों को उठाकर और खींच–खींच कर, आज समाचार पत्रों में फोटो छपी है। जब प्रदेश की इन बहू–बेटियों को, वो भी शिक्षिकाएं और वे भी महिला पुलिस नहीं पुरुष पुलिस। जिस दिन द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, पॉण्डव देखते रहे, धृतराष्ट्र देखते रहे, गुरु द्रोणाचार्य देखते रहे। क्या हमारी शिक्षिका बहिनों का चीर हरण देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, धृतराष्ट्र के रूप में, हमारे संसदीय मंत्री और सरकार गुरु द्रोणाचार्य के रूप में देखते रहे। ये कैसा दुर्भाग्य है, ये कैसा राज्य हमने बनाया है और कैसी देव–भूमि है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भी धरने और प्रदर्शन होते रहते थे और हमें भी चार–चार मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। श्री कल्याण सिंह के साथ, श्री मुलायम सिंह जी के साथ, पं0 नारायण दत्त तिवारी जी के साथ और सुश्री मायावती के साथ मौका मिला है। हमने स्व0 वीर बहादुर सिंह जी के साथ और स्व0 विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ भी बड़ी नजदीकी से कार्य प्रणाली को देखा है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, पहले भी गिरफ्तारियां होती थीं, लेकिन कुछ दूर ले जाकर उनको छोड़ दिया जाता था। हमारी उन शिक्षिका बहिनों को, जब हम, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी, श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी, श्री बलबीर सिंह जी, श्री राजेश जुवांठा जी, श्री केदार सिंह रावत जी, हम जब जेल में गये थे। मान्यवर जेल का सीन ऐसा था कि किसी कठोर हृदय का भी दिल पिघल सकता है। हमारी वो शिक्षिकाएं उन सलाखों के पीछे खड़ी थीं, जैसे इन्होंने दो सौ या तीन सौ कत्ल किये हों। उन अपराधियों के साथ खड़ी थीं जो बलात्कार, चोरी और डकैती के मुकदमों में जेल में बन्द थे। क्या हमने यह उत्तराखण्ड इसलिए बनाया है माननीय अध्यक्ष जी ? उत्तराखण्ड की बहिनों और बेटियों को उन अपराधियों के साथ। जब वह स्कूलों में पढ़ाने जायेंगी वह अपने मन में क्या सोचेंगी और हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगी ?

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल से ही फोन किया और मैंने उच्च शिक्षा सचिव को जेल से फोन किया। उच्च सचिव ने कहा मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ और मुख्यमंत्री सो रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे साढ़े पांच बजे कॉल आया। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप बुजुर्ग हैं, अगर आपकी अपनी बहू और बेटी उन अपराधियों के बीच में जेल में होती तो आपको पीड़ा होती। मुख्यमंत्री जी कहने लगे मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया है। रावत जी, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया ? मैंने कहा क्या किया है आपने इसके लिए ? कहने लगे–मैंने 8000 से 15000 कर दिया। मैंने कहा–इस महगाई के जमाने में जब चपरासी का वेतन भी 14–15 हजार है। एक महाविद्यालय के शिक्षक को 15 हजार या 8 हजार रैं आप मानदेय दे रहे हैं तो क्या कोई एहसान कर रहे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जेल में इन लोगों को डाल दिया गया। कल रिहा करना चाहिए था। स्व0 वीर बहादुर जी ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों पर घोड़े दौड़ाये थे। उत्तराखण्ड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2001 में शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया था। लेकिन लाठीचार्ज होता है, परिस्थितियाँ बनती हैं। लेकिन कभी ऐसा नही हुआ कि दो दिन, तीन दिन जबरदस्ती सबक सिखाने के लिए कि तुम बहुत हमारे खिलाफ जनरल डायर के नारे लगा रहे थे। तुम बहुत अपनी बात को कह रहे थे। इसलिए, तुम्हें सबक सिखाने के लिए हम तुम्हें उन अपराधियों के साथ जेल में रखेंगे। पंत जी, आप हँस क्यों रहे हैं। लाठी तो बहादुर खाते हैं। मैंने कहा कि लाठीचार्ज की तो मैंने आलोचना ही नहीं की। माननीय अध्यक्ष जी, निशंक जी के साथ हमारा आशीर्वाद है, सहयोग है कि लाठियाँ बरसेंगी लेकिन उनको कुछ नहीं होने वाला। (हँसी) मान्यवर, मैंने इनको अपने स्कूटर में बहुत घुमाया है। (हँसी)

स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, यह बात सही है कि मैं इनके साथ स्कूटर पर पीछे बैठकर बहुत घूमा हूँ। तभी लाठियों से हम दोनों लोग बचे हैं।

श्री अध्यक्ष–

पेट्रोल किसने डलवाया स्कूटर में ? (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, स्कूटर भी मेरा था और पेट्रोल भी मैं ही डलवाता था और खाना भी मैं ही खिलवाता था, ये केवल बैठने का काम करते थे और खाने का काम करते थे। (हँसी) इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो सौभाग्य है कि मेरी स्कूटर में बैठकर माननीय निशंक जी स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं और प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं। अब मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी माननीय निशंक जी के बारे में नहीं करूँगा क्योंकि इनके और मेरे बीच में एक समझौता हुआ है कि ये मेरे बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे और न मैं इनके बारे में टिप्पणी करूँगा। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा मुद्दा है। मैं दो निवेदन करना चाहता हूँ। इनकी एक सूत्रीय माँग है नियमितीकरण की। मैं स्वयं विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ। इस नाते मैं जानता हूँ कि जो समय–समय पर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय एक शिक्षक की जो योग्यता होती है उसके बारे में मैं भिज्ञ हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की योग्यता को ये फुलफिल करते हैं। ये 7–8 वर्षों से दूरस्थ क्षेत्रों में प्रदेश की जनता को प्रदेश के छात्र–छात्राओं को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, विज्ञप्ति के माध्यम से, समय–समय पर एक प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति हुई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इनकी एक सूत्रीय माँग नियमितीकरण करने की जो मांग है उसको सरकार गंभीरता से लेते हुए इनको नियमित करे। चूँकि इम्तहान बहुत निकट हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय, पूरे उत्तराखण्ड में इम्तहान होने जा रहे हैं और यदि शिक्षक नहीं होगा, मैं सतपुली महाविद्यालय की बात कर रहा हूँ कि पूरे के पूरे प्राचार्य से लेकर लेक्चरर तक और ऐसे जखोली महाविद्यालय में, रुद्रप्रयाग में। मैं तमाम महाविद्यालयों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर इन शिक्षकों के भरोसे सभी महाविद्यालय चल रहे हैं। माननीय निशंक जी, आपके क्षेत्र में भी यही स्थिति है। चाहे थलीसैण हो, चाहे नौबट्टाखाल हो।

मान्यवर, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, क्योंकि सरकार में बैठे कुछ लोग बोल नहीं सकते, लेकिन हमसे कहते हैं। अभी लाबी में कह रहे थे कि हमारे यहाँ महाविद्यालय बन्द हो गये, आप जोर से कहना, हम जोर से नहीं कह सकते हैं, हम मूकदर्शक होकर आपका समर्थन करेंगे, क्या आपके यहाँ महाविद्यालय में लेक्चरर परमानेण्ट हैं ? तो यह पूरे सदन की समस्या है, पूरे प्रदेश की समस्या है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी एकसूत्रीय मांग को गम्भीरता से लेते हुए इनको नियमित करें, इनकी तदर्थ नियुक्ति की जा सकती है प्रथम चरण में। राजकीय महाविद्यालय में हमने देखा कि जिस दिन रिटायर होगा उससे एक दिन पहले उसका कन्फरमेशन होता है, पूरी 32 साल की नौकरी तदर्थ लेक्चरर के रूप में काट दी, क्योंकि कमीशन से नियुक्तियाँ नहीं हो पाती हैं समय से और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट में क्वालीफायड, लोक सेवा आयोग नियुक्ति नहीं करता वह नियुक्ति नहीं कर पाता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यह बहुत गम्भीर समस्या है, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों की समस्या है, ऐसे क्षेत्रों की समस्या है जहाँकोई टीचर नहीं है, प्राचार्य भी नहीं है आज तो, लेकिन क्योंकि प्राचार्य की समस्या इससे हटकर है। सारे महाविद्यालय, 45 महाविद्यालय प्राचार्य विहीन हैं इस समय प्रदेश के अन्दर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को कठोर निर्देश दें, पीठ की ओर से निर्देश दें और सरकार भी इसे गम्भीरता से ले। धन्यवाद।

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की सम्पूर्ण बातों से अपने आप को सम्बद्ध करते हुये कहना चाहता हूँ कि दिनांक 27 जनवरी, 2001 को उप महाविद्यालयों में 185 पदों पर विजिटिंग प्रवक्ताओं की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई और वहीं 2006 में 395 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई। मान्यवर, इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने का मतलब है कि हमारे जो महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज हैं इसमें कितने अध्यापकों की कमी रही होगी। यह गम्भीर विषय है और जिन नवयुवक–नवयुवतियों ने इन क्षेत्रों में अध्यापन का काम किया, आज अपनी नियुक्ति को लेकर, स्थाई नियुक्ति को लेकर तदर्थ नियुक्ति की माँग कर रहे हैं। मान्यवर, वे 2 फरवरी, 2009 को यहाँ देहरादून आये और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं दिया गया और उन्होंने लोकतांत्रिक परम्परा के तहत काली पट्टी बाँधकर शान्तिपूर्ण मार्च निकाला जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया और अंधेरी रात में छोटे–छोटे बच्चों और महिलाओं को शहर से दूर ले जाकर छोड़ा गया। यह गम्भीर विषय है, ये अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे लोग जो पी0एच0डी0 होल्डर हैं, जो लोग यू0जी0सी0 के सभी नार्म्स को पूरा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और वे कल से सारी महिलायें, नौजवान जेल में बन्द हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।

मान्यवर, हाल में यू0जी0सी0 और भारत सरकार की ओर से टीम आई थी। यहाँ के महाविद्यालय, विद्यालयों का भ्रमण किया और यहाँ के विषय में जाँच की और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, विजिटिंग प्रवक्ता हैं, इनका स्तर बहुत अच्छा है। यह अपने आप में साबित करता है कि जो विजिटिंग प्रवक्ता हैं या जो नौजवान पढ़ाने का काम कर रहे हैं इन लोगों की योग्यता में कोई कमी नहीं है और ऐसे नौजवान जब पड़ोसी राज्य हिमाचल में देख रहे हैं कि वहाँ की सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है और हमारे ही राज्य में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं को तदर्थ नियुक्ति दे दी गई है तो जायज है कि उनकी माँग में यह आकाँक्षा और उम्मीद जगी होगी कि मान्यवर, उन लोगों को भी कम से कम तदर्थ के रूप में नियुक्ति दी जाय, ताकि इनका जो भविष्य अनिश्चित है, इन लोगों को यह पता ही नहीं है कि कल को हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। इसमें कई नौजवान और कई महिलाएं ऐसी हैं जो 45 वर्ष से ऊपर हो चुकी हैं कार्य करते-करते। इनकी चिंता स्वाभाविक है।

मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इन सभी संविदा कर्मियों को जो हमारे विजिटिंग प्रवक्ता हैं, लेक्चरर्स हैं, इनको कम से कम तदर्थ नियुक्ति प्रदान की जाय और इनकी माँगों को सुना जाय और तुरन्त प्रभाव से सरकार आदेश करे कि इनको जेलों से बाहर निकाला जाय। क्योंकि कार्य करने का जो वातावरण है, उसको देने की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। यह सरकारी कर्मचारी नियमावली में भी कहा गया है कि कर्मचारियों के कार्य करने की परिस्थिति बननी चाहिए, उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। मान्यवर, कहीं न कहीं सरकार की मंशा ऐसी लगती है कि जो भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति शासन के विरुद्ध आवाज उठायेगा या अपनी बात को रखने की कोशिश करेगा, उसका मनोबल जेलों में ठूंसकर, पुलिसिया कार्यवाही करके तोड़ा जायेगा। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय करन सिंह मेहरा जी ने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इस विषय पर प्रभावशाली तरीके से ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं दोनों माननीय सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूँ। यह विषय निश्चित रूप से राज्य की उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है और मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा के विभिन्न महाविद्यालयों में, विभिन्न प्रकार के शिक्षक इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं। जिसमें वर्ष 1986-87 से अंशकालिक श्रेणी प्राप्त 14 शिक्षक कार्यरत् हैं और समय-समय पर विभिन्न सरकारों ने उच्च शिक्षा में विधिवत् शिक्षा व्यवस्था संचालित करने के उद्देश्य से इन

शिक्षकों को नियुक्त किया और इसके पीछे कारण संभवतया यही रहा होगा, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, चूंकि उच्च शिक्षा के ये सभी पद लोक सेवा आयोग की परिधि के पद हैं और लोक सेवा आयोग की चयन की प्रक्रिया विधिवत संचालित न हो पाने के कारण यह दिक्कत रही होगी। और इस प्रक्रिया के तहत पूर्ववर्ती सरकारों ने ये नियुक्ति की होगी। जिसमें तदर्थ रूप से 1997–98 में 8 शिक्षक, वर्ष 2001–02 में विजिटिंग के रूप में 120 शिक्षक, वर्ष 2006 में संविदा के रूप में कार्यरत् 126 शिक्षक, अक्टूबर, 2008 में 12 शिक्षक और अक्टूबर–नवम्बर, 2008 में 157 शिक्षक।

मान्यवर, यह बात भी सत्य है कि इनकी नियुक्ति के समय विधिवत् विज्ञापन निकाले गये थे और जो यू0जी0सी0 की न्यूनतम योग्यताएं हैं उनका ध्यान रखते हुए नियुक्ति की गयी थी, लेकिन जहां तक नियमितीकरण का प्रश्न है, मान्यवर, 07 अगस्त, 2002 में इस तरह के सभी पद जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पद हैं और तदर्थ रूप से नियुक्त हैं, ऐसे पदों पर विनियमितीकरण की एक प्रक्रिया सम्पादित की गयी और राज्य के अन्दर राज्याधीन सेवाओं में ऐसे सभी पद धारक जो तदर्थ रूप से कार्यरत् थे और लोक सेवा आयोग की परिधि के अंदर आने वाले पदों पर कार्यरत् थे उनको विनियमितीकरण की प्रक्रिया के तहत यह आदेश कार्मिक अनुभाग द्वारा निकाला गया। मान्यवर, इस आदेश की धारा–4 में यह उल्लिखित है कि जो सेवा में 30–06–1998 से पूर्व तदर्थ के आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो, इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरंतर सेवारत् हो, अर्थात् उसकी सेवा मध्य में ब्रेक न हुई हो, उसको नियमित कर दिया जाय। वर्ष 2002 में जो आदेश निकाला गया था, उस आदेश के तहत अद्यतन जितने तदर्थ शिक्षक नियमित हो सकते थे, वे सब नियमित हो गये। जिन शिक्षकों का आज हम सब जिक्र कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस आदेश के आलोक में प्रभावित नहीं हो पाते। इसको ध्यान में रखते हुए समय–समय पर व्यवस्थाएं दी गयी कि लोक सेवा आयोग के चयन की प्रक्रिया में इनको कुछ न कुछ छूट दी जाएगी ताकि ये नियमित रूप से नियुक्त हो सकें। इसमें इनकी दीर्घ सेवा को दृष्टिगत रखते हुए लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार और परीक्षा में उपस्थित होने का अवसर प्रदान करने का प्राविधान किया गया था।

इनको अधिकतम आयु सीमा में भी छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था इसमें की गयी और यह कहा गया कि अधिकतम आयु सीमा में उतनी छूट अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था है, जितनी उस पद हेतु आवश्यक है। ये सारे प्राविधान इसमें किये गये। इसके बावजूद भी वर्ष 2006 तक ये सभी शिक्षक इस परिधि में नहीं आ पाये और छूट गये। अप्रैल, 2008 में उमा देवी बनाम भारत सरकार का प्रकरण आया, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। उसके आधार पर इस प्रकार से नियुक्त सभी पदों की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और जब वर्तमान सरकार ने अपना

पदभार ग्रहण किया, तो उसके तहत हमारा मानना था कि राज्य में लगभग 24 हजार पदधारक जो वर्तमान में हैं, जो उस परिधि के अन्तर्गत आ जाते हैं, ऐसे सभी 24 हजार पदधारकों के सम्बन्ध में विचार किया जाय और इसके तहत माननीय मंत्रिपरिषद की एक उप समिति बनी, जिसने अपनी अनुशंसाएं माननीय मंत्रिपरिषद को सौंपी हैं, जिस पर अभी विचार चल रहा है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि सभी पदधारक जो कि वर्तमान में कार्यरत् हैं, इनमें कुछ की सेवा में व्यवधान है और विभिन्न–विभिन्न प्रकार से कार्यरत् हैं। श्रीमन्, इनके सम्बन्ध में जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर समिति की अनुशंसाएं प्राप्त नहीं हो जातीं, तब तक इस विषय पर कोई कार्यवाही कर पाना संभव नहीं होगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दो चीजें कही हैं। एक तो यह कि इनको नियमित करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि 2006 के जिस आदेश का उल्लेख आपने किया, उसकी परिधि में ये नहीं आते। मान्यवर, मुझे याद है जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री था, माननीय नरेन्द्र सिंह गौड़ जी शिक्षा मंत्री थे, तब 22 नवम्बर, 1992 को एक शासनादेश उत्तर प्रदेश में हुआ और कट ऑफ डेट रखी गयी, 30 जून। इसके अनुसार 30 जून से पूर्व जो भी शिक्षक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में कार्यरत् थे और 22 नवम्बर तक निरन्तर कार्यरत् थे, उन सबको उत्तर प्रदेश में नियमित किया गया। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उमा देवी डिसीजन की बात आपने कही है, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उमा देवी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है क्योंकि कानून बनाने का काम न्यायपालिका नहीं करती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी व्यवस्था है, जिसमें विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है।

श्री अध्यक्ष–

आपका विषय आ चुका है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बार–बार उमा देवी के नाम पर प्रकरण उलझ जाता है। विधायिका का काम नियम बनाना है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाएं हों। विधायिका का काम नियम बनाना है। विधायिका के द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करने का काम कार्यपालिका का है। और जब कार्यपालिका के द्वारा, विधायिका द्वारा बनाये गये नियमों का सही से पालन नहीं किया जाता तो न्यायपालिका उसे एक्सप्लेन करती है। विभिन्न प्रदेशों ने उमा देवी वाले डिसीजन को नहीं माना है और अपने–अपने प्रदेशों में संविदा, दैनिक वेतन के कर्मचारी, तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया है। पश्चिम बंगाल ने नहीं माना, हिमाचल प्रदेश ने नहीं माना है और हमारे उत्तराखण्ड में भी आयुर्वेदिक शिक्षकों का उल्लेख हमारे करन मेहरा जी ने किया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, माननीय सदस्य श्री करन मेहरा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो आयुर्वेदिक शिक्षकों के साथ किया गया है, उसे इनके साथ भी किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 58 में लिखा गया है कि "सूचना देने की रीति–जिस दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो, उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के कम से कम डेढ़ घंटे पूर्व उसकी द्वि–प्रतिक सूचना सचिव को दी जायेगी। सचिव सूचना की एक प्रति को सम्बद्ध मंत्री के पास भेज देंगे।" इसके बाद लिखा है कि "इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कार्य स्थगन का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से किया जा सकेगा।" मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि एक दिन में 5 से अधिक सूचनायें नहीं ली जायेंगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने ऐसा नहीं कहा है कि ली जा सकती हैं या नहीं ली जा सकती हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह तीस हजार लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है।

श्री अध्यक्ष–

उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश को भी आप यहाँ देख लें। अध्याय–4 के निदेश संख्या–16 को देखें, इसमें लिखा है कि "निदेश संख्या–15 में वर्णित 5 सूचनाओं में से सर्वाधिक महत्व की तीन सूचनाओं को अध्यक्ष चुनेंगे।"

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश नामक पुस्तक में यह लिखा है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, क्या यह पुस्तक उत्तराखण्ड विधान सभा की है ?

श्री डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह पीठ के निदेश में है, नियमों में नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि तीन सूचनायें सामान्य रूप से ली जाती हैं और मैं पाँच ले रहा हूँ।

*श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों, जिनकी चार–पाँच साल की संविदा पर सेवायें हो चुकी हैं, उनके नियमितीकरण का प्रश्न है। इन चिकित्सकों की जो संविदा पर नियुक्ति हुई है, वह बाकायदा विधिवत् हुई है और जो लोक सेवा आयोग के निर्धारित मानक हैं, योग्यता के, उनको यह पूर्ण करते हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध इनकी नियुक्ति हुई है। बाकायदा विज्ञापित करके, पदों को विज्ञापित करके यह नियुक्ति हुई है और अर्हतायें भी यह पूर्ण करते हैं। इनकी संविदा पर नियुक्ति दिनांक 18 सितम्बर, 2004 को विज्ञप्ति संख्या 1–14471–72/जी/2004–05 के द्वारा की गई और दूसरी विज्ञप्ति 18 सितम्बर, 2006 की है। जो बाकायदा रिक्त पदों के विरुद्ध पद विज्ञापित करके और लोक सेवा आयोग की जो निर्धारित अर्हतायें हैं, उनको यह पूर्ण करते हैं और उनके विरुद्ध इनकी नियुक्ति की गई है।

मान्यवर, जहाँ एक ओर हमारी उत्तराखण्ड की सरकार बड़े भाई माननीय निशंक जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश को आयुष प्रदेश बनाने की घोषणायें कर रही है, आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने की जो घोषणायें कर रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जिनके द्वारा इस प्रदेश को आयुष प्रदेश बनाया जाना है। मान्यवर, उनको हतोत्साहित किया जा रहा है। अभी हाल ही में संविदा पर जो ऐलोपैथिक चिकित्सक नियुक्त किये गये थे, उनके मानदेय डेढ़ गुना बढ़ा दिये गये अभी हाल ही में। और हमारे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सक जो संविदा पर कार्यरत हैं, इनके साथ भेदभावपूर्ण नीति ये सरकार अपना रही है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह हमारे बड़े भाई, माननीय निशंक जी इस प्रदेश को आयुष प्रदेश बनाने जा रहे हैं। जहाँ तक मान्यवर, इसमें अन्य प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में भी 9 सितम्बर, 2008 को इनको नियमित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में संविदा पर तैनात आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार ने जे0बी0 राय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कलकत्ता में जो संविदा पर कार्यरत प्रवक्ता थे मान्यवर, उनको 31 मार्च, 2008 को नियमित कर दिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में भी शिक्षा बंधुओं की तदर्थ नियुक्ति हुई है 2005 में और अभी हाल में ही जैसे पहले भी कहा गया कि जो हमारे आयुर्वेदिक शिक्षक थे और जिनको अभी मात्र एक साल भी संविदा पर कार्य करते हुए नहीं हुआ था, उनको भी नियमित कर दिया गया है। तो मान्यवर, हमारे जो ये आयुर्वेदिक संविदा पर कार्यरत जो चिकित्सक हैं, जो इस प्रदेश के दूर–दराज की जनता की सेवा कर रहे हैं, बहुत दूर–दराज के इलाकों में नियमित सेवा कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव पूर्ण नीति क्यों अपनायी जा रही है ? आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ और आप से भी कि आपकी ओर से कड़े निर्देश सरकार को इस बारे में दिये जायें मान्यवर, कि हमारे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों के साथ इस प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति का त्याग करते हुए वास्तव में इसको आयुष प्रदेश बनाने के रास्ते पर अगर हम अग्रसर होना चाहते हैं तो इनके भी मानदेय में वृद्धि हो।

जहां तक नियमितीकरण का प्रश्न है अभी उमा देवी प्रकरण की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही, उमा देवी प्रकरण, एक हथियार के रूप में सरकार बार–बार उसका प्रयोग कर रही है। जबकि अभी मैंने निवेदन किया कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी सितम्बर, 2008 में और मार्च, 2008 में नियमित किया है जो संविदा पर कार्यरत चिकित्सक थे। उमा देवी प्रकरण का जो फैसला है वो इस प्रकरण पर इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियां की गयी हैं। और जो लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित अर्हताएं हैं, क्वालीफिकेशन्स हैं, उनको ये चिकित्सक होल्ड करते हैं और विज्ञप्ति के अगेन्स्ट ये नियुक्तियाँ हुई हैं। नियमित रूप से ये नियुक्तियाँ हुई हैं, रिक्त पदों के अगेन्स्ट नियुक्तियाँ हुई हैं, विज्ञापित हो करके हुई हैं, अर्हताएं वो रखते हैं। इसलिए उमा देवी का प्रकरण भी इनको नियुक्त करने में आड़े किसी भी तरह से नहीं आता है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रदेश को वास्तव में आयुष प्रदेश बनाने के लिए सरकार को कड़े निर्देश दिये जाएं, इनका नियमितीकरण किया जाय, इनके साथ भेदभाव न किया जाय।

*श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के तहत बोलने का मौका दिया, धन्यवाद देता हूँ और मेरे सहयोगी माननीय केदार सिंह रावत जी ने इस विषय पर सदन में जिन बातों का उल्लेख किया, उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। जैसा कि हम सबको भली भांति विदित ही है कि लगातार पूरे उत्तराखण्ड के अंदर वर्तमान की प्रदेश सरकार या पूरा स्वास्थ्य महकमा लगातार चाहे आयुष ग्राम की बात हो, चाहे होम्योपैथिक की बात हो, इसको स्वास्थ्य विभाग एक नजीर के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन जिस बिन्दु को हमारे द्वारा यहाँ रखा गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो आयुर्वेदिक अस्पताल या होम्योपैथिक चिकित्सक जहाँ पर तैनात हैं, मान्यवर, जो सुदूरवर्ती ग्रामीण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र हैं जहाँ पर इन चिकित्सालयों के अधिकांश चिकित्सालय खुले हुए हैं। हम सब जानते हैं कि आज जो ऐलोपैथिक चिकित्सक हैं या ऐलोपैथिक चिकित्सालय हैं चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हों, चाहे वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हों, चाहे जिले के अन्दर जो भी हमारे जिला चिकित्सालय हों उनमें अगर नजर दौड़ाई जाय तो वहाँ पर चिकित्सक के पद सारे रिक्त हैं। ऐसे संवेदनशील विषय को देखते हुए जब हमारे आयुष चिकित्सक सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय की कोई सम्भावनायें बिल्कुल शून्य की तरह नजर आ रही हैं वहाँ पर हमारे चाहे होम्योपैथिक चिकित्सक हों, चाहे हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक हों, ये लोग वहाँ पर बहुत कम मानदेय पर हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी। अब मैं मद संख्या–14 ले रहा हूँ।

वित्तीय वर्ष 2009–2010 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2009–2010 के प्रथम चार माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रतियाँ बांटी जायें।

(प्रतियाँ बाँटी गई)

श्री अध्यक्ष–

श्री मनोज तिवारी, चर्चा जारी रखिये।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, सुदूरवर्ती क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सक हों या होम्योपैथिक चिकित्सक हों विभिन्न असुविधाओं के तहत वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर सरकार वास्तव में संवेदनशील है, तो जो हमारे आयुष चिकित्सक हैं या होम्योपैथिक चिकित्सक हैं उनका निश्चित रूप से मानदेय इस सरकार ने बढ़ाना चाहिए। वह लोक सेवा आयोग की पूरी अर्हता रखते हैं, उनको लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमितीकरण की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि लगभग 22–23 वर्षों से, 1986 से लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों की भर्ती नहीं की गई है, निश्चित रूप से जिस तरह वर्तमान प्रदेश सरकार आज लगातार आयुष ग्राम का एक सपना देख रही है और आयुष चिकित्सकों के लिए इस तरह की बातें कर रही है। आज अगर हम कागजी बयानों

को छोड़कर, अगर जमीनी स्तर पर देखा जाय निश्चित रूप से जो आयुष ग्राम का सपना है, जो चिकित्सकों को सुविधा देनी चाहिए उसमें शून्य की स्थिति दिख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निश्चित रूप से आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जो प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्र के हालात हैं उसमें हमारे जो महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं इनका निश्चित रूप से मानदेय बढ़ना चाहिए, इनका नियमितीकरण होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि पीठ से भी इस तरह का निर्देश आपके माध्यम से होना चाहिए। मान्यवर, स्वास्थ्य महकमा, प्रदेश सरकार इनके तत्काल नियमितीकरण के आदेश देने की कृपा करे।

स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, आयुर्वेद में और होम्योपैथी में जिन चिकित्सकों को विनियमितीकरण करने की बात माननीय सदस्य केदार सिंह जी द्वारा और मनोज जी द्वारा उठायी गई है, वे मानदेय पर हैं। जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि सरकार ने इस दिशा में एक कमेटी बनाई है और वह उस पर विचार करेगी और विचार करके उस पर निर्णय लेगी। जहाँ तक मानदेय बढ़ाने का प्रश्न है यह भी सरकार के विचाराधीन है, इस दिशा में सोचता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जो यह कमेटी बनायी है उसका निर्णय कब तक आ जायेगा ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, क्योंकि यह मंत्रि–परिषद के द्वारा बनाई गई है, उस कमेटी ने मंत्रि–परिषद में एक बार आख्या प्रस्तुत कर दी है, मंत्रि–परिषद ने उस कमेटी को और विचार करने को कहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री केदार सिंह रावत, माननीय मनोज तिवारी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? क्या व्यवस्था आ गई ?

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, कुछ तो होगी ही, आप नकार दीजिएगा, वह अलग बात है। यह तो आपका विशेषाधिकार है। मान्यवर, अभी सरकार ने लेखानुदान सदन में पेश किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यकीनन यह बात सामने आयेगी कि इस पर चर्चा की परम्परा नहीं है। लेकिन मान्यवर, चार महीने के लिए लेखानुदान सरकार पेश कर रही है और कहने के लिए बात यह है कि पार्लियामेंट के चुनाव हमारे सामने हैं। यह कोई आकस्मिक घटित होने वाली घटना तो नहीं है। यह तो पहले से ही मालूम था, बल्कि पाँच साल से मालूम था कि इन-इन दिनों में सन् 2009 में अप्रैल-मई के आस-पास चुनाव होंगे। मान्यवर, यह चार महीने के लिए लेखानुदान है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर चर्चा करवा दें क्योंकि चार महीने बहुत बड़ा वक्त होता है और अरबों रुपये का लेखानुदान है। कुछ बातें सामने आयेंगी। मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। कोई ऐसी चीज भी नहीं है, परम्परायें टूटती भी होंगी। सरकार को मालूम था, स्टैब्लिश सरकार है। दो वर्ष से सरकार है। अन्य प्रदेशों, जैसे आप उत्तर प्रदेश का बार-बार जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश पूरा बजट लेकर आया। उन्हें लेखानुदान लाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी।

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा द्वारा जब इस प्रस्ताव पर विचार करने हेतु समय निर्धारित किया जायेगा और जब प्रस्ताव आयेगा तो उस समय आप अपनी बात रख दीजिए। मैं समझता हूँ व्यवस्था से सम्बन्धित इसमें कोई प्रश्न नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

आज तो टेबुल हुआ है। कार्य मंत्रणा तय करेगी। कब चर्चा करेंगे कब पारण करेंगे।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विकास खण्ड गदरपुर, ऊधमसिंह नगर में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खानपुर और धौलपुर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगदीशपुर और विकास खण्ड रुद्रपुर में स्थित राजकीय इण्टर कॉलेज, बागवाला के बीच में से विद्युत की तारें जाती हैं, जो 11 हजार वोल्ट की तारें हैं। कई बार वहाँ के अभिभावकों के द्वारा, शिक्षकों द्वारा और प्रधानाचार्यों द्वारा विभाग को लिखित शिकायत की गयी। उन्होंने मुझे भी लिख कर दिया। मैंने भी कई बार लिखा परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक वो तारें नहीं हटायी गई हैं। इसी के साथ-साथ नगर पंचायत, दिनेशपुर क्षेत्र में वार्ड नं0-3, चन्दनगढ़ नाम से जहाँ काफी घनी आबादी है वहाँ एक उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है। वहाँ के बीच से 11 हजार वोल्ट की तारें जाती हैं। वहाँ के लोगों ने प्रदर्शन भी किये, शिकायत भी की गई परन्तु वो तारें भी नहीं हटी।

महोदय, जब भी विभागीय अधिकारी से बात की जाती है उनका यह कहना होता है कि मान्यवर, हम तारें तो हटा दें परन्तु पैसा आयेगा कहाँ से। हमारे विभाग में ऐसा कोई बजट नहीं है। तो मान्यवर, हालात यह है कि जैसे आपके धौलपुर और जगदीशपुर में ट्रांसफार्मर भी रखे हुए हैं। आपके अभी विगत वर्ष काशीपुर के एक विद्यालय में ट्रांसफार्मर बर्स्ट हो गया था। कई बच्चे घायल भी हो गये। एक–दो वहाँ खत्म भी हो गये। वहाँ आये दिन यह दुर्घटना होती रहती है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में यदि तारें नहीं हटायी जाती तो कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में विभागीय अधिकारियों का कहना कि वे छोटे एक्शन के अधिकारी हैं। वे लोग अपनी बातें करते हैं कि इसके लिए कोई बजट नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल इन स्थानों की तारों को हटवाने को विभाग को आदेशित करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक प्रेमानन्द महाजन जी द्वारा पन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज, बागवाला, रा0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खानपुर और धौलपुर, रा0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगदीशपुर और न0पं0 दिनेशपुर के वार्ड न0 3 के चन्दनगढ़ तारे के बीच में स्थित विद्युत तारों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया गया है। जब विद्युत लाईन होती है और उसके बाद उसके नीचे आबादी बनने लगती है। निश्चित रूप से कालांतर में दिक्कत होने लगती है और यही कमोबेश स्थिति यहाँ पर भी हुई है। माननीय विधायक जी ने अति महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित किया है और इस पर शीघ्र ही कार्यवाही करते हुए विभाग को निर्देशित करता हूँ कि इन तारों को शिफ्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, वैसे तो देखने में यह बहुत छोटी सूचना है। वो भी बी0पी0एल0 से सम्बन्धित ट्रांसफार्मर के बारे में है। इससे पहले आम दिनों में जब हम कार्य स्थगन लगाते हैं विपक्ष में बैठकर। कार्य स्थगन लगने के बाद हम लोग आपके पीठ के तरफ देखते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी मेरे कार्य स्थगन को सुनेंगे, इससे बड़ी खुशी होती है। लेकिन इसको बोलने में मुझे बड़ी खुशी नहीं हो रही है। बहुत तकलीफ हो रही है। इस छोटे से मसले को मुझे इस सदन के सम्मुख रखना पड़ रहा है। बहरहाल यह छोटा मुद्दा है लेकिन यह राज्य छोटे–छोटे मुद्दे आने के लिए बना है। गरीबी रेखा

से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए केन्द्र सरकार ने उनको बी0पी0एल0 लाईन बनाकर अलग से दिया है। बी0पी0एल0 ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए दिया है। बड़े खेद का विषय है, आप सर्वे करवा लें या जाँच करा लें। जहाँ–जहाँ बी0पी0एल0 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वहाँ पर उन बी0पी0एल0 ट्रांसफार्मर की स्थिति बहुत खराब है। अगर फुंक जाता है तो तीन चार महीने तक ठीक नहीं करते हैं और उनको बदलवाने वाला कोई नसीब नहीं होता है। मैं अगर मंगलौर विधान सभा क्षेत्र का, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करूँ तो ग्राम लिबरहेड़ी में दो महीने से ज्यादा हो गये हैं वहां पर बी0पी0एल0 ट्रांसफार्मर फुंका हुआ है जो कि अनुसूचित जाति का है। यही ट्रांसफार्मर कई महीने तक पहले फुंका रहा है। इस तरह से कई गाँव के ट्रांसफार्मर हैं। वैसे मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय बाद श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। संक्षेप में मैं अपनी बात रखूँगा कि कई सारे गाँवों की तिथिवार सूची मेरे पास है कि किस–किस दिन से किस–किस दिन तक कौन से गाँव के ट्रांसफार्मर फुंके हैं और लगातार अगर हम अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं और उनसे बात करते हैं तो वे इन बातों को अनदेखी करते हैं। सरकार जब अपने आंकड़े उपलब्ध कराती है ....।

श्री अध्यक्ष–

इस सूची को उपलब्ध करा दें।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, ठीक है इस सूची को उपलब्ध करा दूंगा। मान्यवर, जब सरकार अपने गवर्नर भाषण के बारे में कहती है तो वह गरीबों के उत्थान की बात करती है। बजट में जो सुविधा उनको दर्शायी जाती है वह धरातल पर बिल्कुल दिखायी नहीं देती है। बहुत तकलीफ की स्थिति हमारे सामने में है। यह विषय छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन जी द्वारा अपने क्षेत्र की समस्या के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया गया। चूँकि सरकार का यह भरसक प्रयास रहता है कि विद्युत विभाग विद्युत बाधित न होने दे और यह स्पेसिफिक जानकारी देते हुए आपने जो कार्य स्थगन सूचना के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया है। मैं निर्देशित कर रहा हूँ कि अविलम्ब इस ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाय और जिस तरह की जानकारी माननीय सदस्य कह रहे हैं तो अगर माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से या फिर सीधे मुझे दी जायेगी तो मैं इस पर कार्यवाही के लिए निर्देशित करूँगा।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, नियामक आयोग के इन्स्ट्रक्शन्स हैं फुंके हुए ट्रांसफार्मर से सम्बन्धित। जब भी बिल वगैरह का सरचार्ज माफ करने का मामला आता है तो सरकार हमेशा नियामक आयोग का उल्लेख करती है कि नियामक आयोग के ये–ये निर्देश हैं। ट्रांसफार्मर कोई भी हो, चाहे बी0पी0एल0 हो या नॉन बी0पी0एल0 हो, उनके बारे में इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि उसके फुंक जाने के 24 घण्टे के अंदर या एक लीमिट टाईम के अंदर बदले जाने के निर्देश हैं। लेकिन चाहे बी0पी0एल0 हो या नॉन बी0पी0एल0 हो ट्रांसफार्मर तब तक नहीं बदले जाते जब तक जनता आंदोलन नहीं करती। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक जनरल आदेश दे दें कि नियामक आयोग के आदेशों का पालन किया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, ठीक है। इसमें सख्ती से कार्यवाही हो ऐसा मैं निर्देश जारी कर दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी निजामुद्दीन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ और अब एन0टी0टी0 द्विवार्षिक प्रशिक्षित बेरोजगार युवतियों को प्राथमिक विद्यालयों में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बोलूँगा।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात तो आ गयी है, उनको भी मौका दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बोलूँगा।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जैसी परम्परा डालेंगे फिर वैसी ही परम्परा आगे पड़ेगी। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप परम्परा नहीं डालेंगे। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमने दो सूचनाएं दी थीं एक नियम–310 की और दूसरी नियम–58 की। इसलिए हम दोनों पर बोलेंगे। ये सूचना नियम–310 में दी थी। यह सूचना हमारी नियम–58 में नहीं है। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

जिस तरह की परम्पराएँ आप डालेंगे वे ही आगे भी चलेंगी।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, इसको परम्परा न बनाएं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरी नियम–310 की सूचना है। चूँकि आपने इस सूचना को नियम–58 में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। यह सूचना मेरी है। मैंने यह सूचना नियम–310 में दी थी तो आप उसी पर सुन लेते।

श्री प्रकाश पन्त–

चूँकि विनिश्चय माननीय अध्यक्ष जी की नियम–58 में आई है तो नियम–58 में ही सुना जायेगा। (व्यवधान के मध्य)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मेरा पीठ से नम्र निवेदन है कि इस तरह के दृष्टांत कभी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी और आने वाली नस्लें देखेंगी कि नेता प्रतिपक्ष पीठ से आग्रह कर रहे हैं कि 'मैं बोलूँगा' और आप रोक रहे हैं तो आपको रोकने का विशेषाधिकार है और उनको बोलने का विशेषाधिकार है। मान्यवर, हमारी स्थिति बहुत ऑकवर्ड सी हो रही है। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है ? चूँकि नेता प्रतिपक्ष का विशेषाधिकार हर सदन में, हर समय है किसी भी विषय पर बोलने का। बल्कि मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश हो, पार्लियामेन्ट हो कार्य स्थगन को इनीसिएट करने की परम्परा शायद ही कहीं हो। लेकिन यह जो रिटर्न रिकार्ड बन रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को पीठ द्वारा रोका जाए यह अच्छी बात नहीं है। यह बड़ा गंभीर विषय है। और ये बातें रिकार्ड में न आएं यह मेरा निवेदन है।

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि यह बात रिकार्ड में न आये कि पीठ की तरफ से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह बोलने के लिए रोकने का विषय नहीं है, विषय यह है कि आप किस नियम पर बोलना चाहते हैं, नियम–58 पर बोलें।

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि नियम–58 में पहली सूचना में बात करनी चाहिए थी, मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि आप किस पर बोलेंगे। मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 2 माननीय सदस्य और भी हैं, उनकी बात आ जाए, उसके बाद जो आपकी बात रह गयी है तो आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बात को परम्परा नहीं बनाना चाहते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नियम–310 में सूचना दी थी, आपने नियम–58 में कन्वर्ट कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अग्राह्य कर दिया, प्राविधान कर दिया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसीलिए नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को प्रिविलेज है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, चर्चा नहीं हो रही है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम अपनी बात सदन में नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे। नियम–310 को नियम–58 में कन्वर्ट करेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियम–58 का लागू होगा।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 की सूचना, जो नियम–58 में कन्वर्ट हो गई तो माननीय सदस्यों को चुनना पड़ेगा, चाहे वह पहली सूचना की बात हो या दूसरी सूचना की हो। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, नियम–310 की सूचना को नियम–58 में कन्वर्ट किया था तो उस वक्त बता दिया जाता।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा था। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने विनिश्चय दिया था।

*श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एन0टी0टी0 प्रशिक्षित बेरोजगार युवतियों को जो इस सदन के बाहर 21 नवम्बर, 2007 से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठी हैं, उस विषय पर नियम–58 में मुझे सुनने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, इस प्रदेश में मुख्य रूप से इन 2 सालों के अंतराल में जिस तरह से आंदोलनों की बाढ़ आई है और जिस तरह से इस प्रदेश में सारे कर्मचारी शिक्षक अपनी–अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं, उसी दिशा में यह प्रशिक्षित युवतियाँ 21 नवम्बर, 2007 से अपनी माँगों को सरकार से मनवाने के लिए धरने पर बैठी हैं। इनकी सीधी माँग है कि हमको उच्च न्यायालय के निर्देशों पर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति मिल चुकी है। वह मांग कर रही हैं कि उनको नियुक्ति दी जाए, उनको सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया और वे प्रशिक्षित हैं और वे चाहती हैं कि 'हमें नौकरी मिले और हमको रोजगार दिया जाए', उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस बिन्दु पर सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को स्थगित करते हुये चर्चा की मांग करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के तहत आपने मुझे कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय गोविन्द सिंह कुंजवाल जी ने जो विषय रखा है, वह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाहता हूँ, चूंकि यह विषय इस सदन के सामने कई बार आ चुका है। पिछले दो वर्षों से हर सत्र में यह विषय इस सदन के सम्मुख आया है। पिछली बार तो ऐसी परिस्थिति में सदन के सम्मुख आया है जब दो युवतियों ने, पुष्पा राठौर और योगिता जोशी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उस समय मैंने बिना नियमों के तहत अपने प्रिविलेज के तहत आपसे आग्रह किया था और आपने मुझे सुना था और पीठ की ओर से एक निदेश हुआ था और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी बड़ी गम्भीरता के साथ कहा था कि इनके सम्बन्ध में सरकार गम्भीर है। सरकार मीटिंग करके, माननीय मुख्यमंत्री जी और मुझे भी सम्मिलित किया था माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कि नेता प्रतिपक्ष को भी उस बैठक में आमंत्रित किया जायेगा और इस बैठक में माननीय स्वयं शिक्षा मंत्री जी भी रहेंगे और कोई न कोई समाधान इस विषय का निकलेगा और इसी सम्बन्ध में पीठ से भी निदेश हुए थे।

मान्यवर, मैं यह पिछले सत्र की बात कह रहा हूँ। विभाग के स्तर पर, माननीय मंत्री जी के स्तर पर क्या कार्यवाही हुई इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और जिसमें मुझे सम्मिलित करने हेतु माननीय मंत्री जी ने सदन के अंदर कहा था कि मेरे साथ कोई बैठक होगी। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई बैठक नहीं हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। माननीय अध्यक्ष जी, उन लड़कियों का संघर्ष फिर भी जारी रहा और पिछली बार तो उन्होंने केवल आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अभी कुछ दिन पहले उन लड़कियों के संघर्ष करते हुए, जब वे आंदोलन कर रही थीं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कह रही थीं, उनको भी उसी जेल में रखा गया है, जिस जेल का उल्लेख मैंने अभी कुछ देर पहले राजकीय महाविद्यालयों की शिक्षिकाओं और शिक्षकों के सम्बन्ध में किया था, उसी जेल में इनको डाला गया है। मान्यवर, मैं, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय दिनेश अग्रवाल जी, माननीय किशोर उपाध्याय जी आदि हम उन लड़कियों को वहाँ जेल में मिलने के लिए गये थे, वे 42 लड़कियाँ हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम दूसरे दिन गये थे जब शाम को बन्द किया था उन्होंने शाम से पानी भी नहीं पीया था। जेल में खाना भी नहीं खाया था और जेल में उन कम्बलों को उनको दिया गया था, जो कम्बल कैदियों को दिये जाते हैं। खाना भी उन बर्तनों में दिया जा रहा था, जिनको इन लड़कियों ने नकार दिया था। मान्यवर, कैदियों के जो टूटे–फूटे सिल्वर के बर्तन होते हैं। मान्यवर, मैंने वहीं से जिलाधिकारी, देहरादून को फोन मिलाया, जिलाधिकारी ने उन्हें रिहा करने में असमर्थता व्यक्त की। मैंने प्रमुख सचिव, गृह को दूरभाष पर फोन किया। प्रमुख सचिव, गृह ने मुझसे कहा कि तत्काल हम उनको रिहा कर देते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उन लड़कियों को आश्वासन दिया, चूँकि मुख्यमंत्री दौरे पर थे, मैं उनसे बात करना चाहता था। मेरी उनसे बात नहीं हो पायी। मैंने उन लड़कियों को आश्वासन दिया कि प्रमुख सचिव, गृह ने तत्काल आपको रिहा करने के लिए कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, उनमें एक लड़की श्रीमती ममगांई, उसका दो महीने का बच्चा था, वह बच्चा बिना माँ के दूध के था। बड़ी विकट स्थिति थी। जब उसका पति उससे मिलने गया, तो उसने मुझे फोन किया, उसके पति से मैंने फोन पर बात की तो उसने बताया कि उस महिला को उसका पति नहीं उसका बच्चा चाहिए। क्योंकि उसका बच्चा बिना दूध के जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यह सरकार इतनी निर्दयी हो गयी कि प्रमुख सचिव के आश्वासन के बाद जो आश्वासन मैंने उन लड़कियों को दिया, उसके बाद भी दो दिन तक उन लड़कियों को जेल में रखा गया। जिस दिन हम लोग उन लड़कियों से मिलने गये उसके दो दिन बाद जेल से उनको छोड़ा गया। माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह सरकार इतनी निर्दयी हो गयी है ? मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूँ। मैं अभी विधान सभा सत्र से एक दिन पूर्व 23 तारीख को उनके धरना स्थल पर गया था, तब मैंने मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन मिलाया, उस समय मुख्यमंत्री जी लखवाड़ में थे। मुख्यमंत्री जी का 4 बजे मुझको फोन आया कि रावत जी आप बात करना चाहते थे। मैंने कहा साहब, मैं आज नर्सरी टीचरों के धरना स्थल पर गया था, उनकी विकट समस्या है और मैं पूर्व में भी कई बार व्यक्तिगत रूप से भी और टेलीफोन से भी आपको उन लड़कियों की पीड़ा बता चुका हूँ। कहने लगे, रावत जी, मैं तो चाहता हूँ कि समस्या का

समाधान हो, कोई रास्ता निकलना चाहिए। मैंने कहा, रास्ता कौन निकालेगा ? पीठ के द्वारा निर्देश दिये गये हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी का सदन के अन्दर आश्वासन है, आप स्वयं सक्षम हैं और आप कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकलना चाहिए। आखिर रास्ता कौन निकालेगा ?

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले डेढ़ साल से मैंने राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं, मैंने हमेशा शिक्षकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम हर विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम राजनीतिक लाभ हानि के लिए किसी समस्या को नहीं उठाना चाहते। जितने भी आन्दोलनकारी संगठन हैं, उनसे और इन लड़कियों से भी कहा, जब ये लड़कियाँ मेरे दरवाजे पर मुझे अपना ज्ञापन देने के लिए आयीं, तो मैंने उनसे कहा कि शिक्षा मंत्री जी से बात करो, मुख्यमंत्री जी से आप बात करो। मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन किया कि इन लड़कियों से आप मिल लें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे मन में सचमुच यह पीड़ा है कि इनकी समस्या का समाधान कैसे हो। हम इन लड़कियों की समस्या को उठाकर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। जब सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना, एक साल हो गया, डेढ़ साल हो गया तब मजबूरी में यह बात उठानी पड़ी। हम पहले यह सोचते थे कि अगर हम कोई बात कहेंगे तो सरकार कहेगी कि इन लड़कियों का आन्दोलन विपक्ष के द्वारा उठाया गया आन्दोलन है, इसलिए हमने उस आन्दोलन को समर्थन देना भी उचित नहीं समझा। लेकिन आज ये लड़कियाँ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गयीं। आज दो लड़कियाँ सुबह मेरे घर पर भी आयी थीं, मैं अपनी कार से उनके टेण्ट तक उनको छोड़ आया। मैंने उनको रास्ते में भी समझाया। माननीय प्रीतम सिंह जी, मैंने उस दिन जेल में भी उनको समझाया। आज सुबह टेलीफोन पर डायरेक्टर, माध्यमिक शिक्षा से मेरी बात हुई, मैंने उनसे भी कहा। मैंने लड़कियों से भी कहा कि आत्महत्या करना कोई समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन वे लड़कियाँ मेरे घर से लेकर अपने टेण्ट तक जाते हुए रोती रहीं। एक लड़की ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले अपनी माँ को फोन किया था, तो मेरी माँ ने कहा कि तू किस मुँह से वापस आएगी, डेढ़ साल से तू गयी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये लड़कियाँ यदि आत्महत्या करती हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? आखिर क्या ये सरकार इतनी निर्दयी हो गयी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात पहले भी आ चुकी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आने से क्या होता है ? अगर कोई विषय आ गया है और उसका समाधान नहीं निकला है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, उनकी बात भी सुन लें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मान्यता प्राप्त डिप्लोमा लिया है। यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, जिस तरह आज शिक्षा मित्रों के लिए रास्ता निकाला है, उसी तरह इनके लिए भी रास्ता निकाला जाय।

शिक्षा एवं गन्ना मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, उसके लिए आप हमें आज बधाई दे दें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हालाँकि उनके लिए भी हमने बहुत संघर्ष किया है। कौशिक जी, मैं बधाई दे दूँगा लेकिन इसका समाधान निकालना पड़ेगा, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन वह रास्ता नहीं, जो आपने अभी मुझसे बाहर कहा। (हँसी) अगर ठोस रास्ता निकालते हैं, तो मैं दिल से बधाई दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी बातें आ गयी हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, शिक्षा मित्रों के मामले में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रयास किये हैं, उसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ कि उसी तरह के ठोस प्रयास किये जाय। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं हर विषय को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा छोटा प्रदेश है, अगर हम राजनीति के लाभ-हानि के लिये मुद्दों को भटकाते रहेंगे तो इससे, आज आप सरकार में हैं, कल हम सरकार में होंगे, इससे किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अगर हमें प्रदेश के विकास के लिये समस्याओं का समाधान करना है तो हमें इस राजनीति के चश्मे को उतार कर फेंकना होगा। तभी सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज दरियादिली दिखाते हुये, खुले दिल और दिमाग से आज एक ऐसा निर्णय करें कि इन लड़कियों को विदा कर सकें और यह अपने घरों को जाय।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत माननीय गोबिन्द सिंह कुंजवाल जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों के प्रकरण को सदन के समक्ष रखा है।

(माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी को आपने इसीलिये भेज दिया। (हँसी)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इन्होंने तो मिलकर शहजाद जी को धक्का दे दिया। (हँसी)

माननीय अध्यक्ष जी, विगत सत्र में भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने, जैसा कि उन्होंने स्वयं भी कहा कि दो बार इस विषय को उठाया और सरकार की तरफ से कहा गया और वास्तव में जो सामने एक चित्र है कि एन0टी0टी0 प्रशिक्षित हैं, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग होती है, इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और हमारे यहां स्कूलों में जो 15 हजार स्कूल हैं, उनमें एन0टी0टी0 के पद न होने के कारण सरकार उनको उन विद्यालयों में नहीं रख सकती है। जहाँ तक सवाल ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने कहा कि परीक्षा लेने की, तब भी मैंने यही स्पष्ट किया था कि बोर्ड परीक्षा ले सकता है, लेकिन यह गारन्टी कोई नहीं है कि हम जिन–जिन की परीक्षा लेंगे, उन सबको नियुक्ति दी जायेगी। बावजूद इसके अभी माननीय गोबिन्द सिंह कुंजवाल जी ने कहा कि उच्च न्यायालय से ऐसा आदेश प्राप्त है कि इनको सर्विस देनी है। सरकार को न्यायालय से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं है कि हमें इनको सर्विस पर रखना है। जहाँ तक सवाल अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि उस समय मैंने कहा था कि एक बार आप माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके समाधान के लिये मिल लीजिये। तो आपने खुद भी फोन पर उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हम खुद भी इसका समाधान निकालना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार से निकले, किस प्रकार से निकालें ?

मान्यवर, हमारे प्रदेश में दो प्रकार की एन0टी0टी0 है, एक तो चार संस्थायें वह हैं, जिनका उल्लेख माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है, लेकिन उससे अलग भी अनेक ऐसी संस्थायें हैं, जिनकी परीक्षा हमारे बोर्ड ने नहीं ली है। केवल चार की परीक्षा बोर्ड ने ली है, जो परीक्षा बोर्ड ने करवाई है, वह संख्या 400–500–550 तक हो सकती है। लेकिन वह संस्थायें जो एन0सी0टी0 से मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा नही ली है, परीक्षायें उनकी किसी और माध्यम से हुई हैं, वह संख्या भी हजारों में है। इसलिये यह संख्या एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों की, काफी है, इनका समाधान भी हम निकालना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने सिर्फ शिक्षा मित्रों का ही समाधान नहीं निकाला, हमने पी0टी0ए0 शिक्षकों का भी समाधान निकाल दिया है, हमने शिक्षा मित्रों का भी किया है, पत्राचार बी0एड0 का भी किया है। शिक्षा विभाग में जो विगत अनेक वर्षों से समस्यायें थीं, उनका एक-एक कर समाधान निकल भी रहा है। अभी एक मंत्रिपरिषद की उप समिति है, हम लोग उसमें जो आचार्य तथा अनुदेशक हैं, उनके बारे में भी विचार कर रहे हैं। लेकिन एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों के लिये जो दिक्कत, जो परेशानी सरकार के सामने है कि हमारे पूरे प्रदेश में नर्सरी की कक्षायें कहीं भी संचालित नहीं की जाती हैं। इनकी जो ट्रेनिंग हुई है, वह नर्सरी क्लासेस को पढ़ाने के लिये हुई है। उसके बावजूद भी जैसा नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि बड़े दिल से, दरिया दिल से और वह भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, यदि नेता प्रतिपक्ष जी सहमत हों मान्यवर, तो हम उस चीज को कर सकते हैं और जो हम नियमित बी0टी0सी0 शुरू करने जा रहे हैं, उनकी प्रवेश परीक्षा में उसमें उनको एक निश्चित अंकों का अधिमान दे दें और अधिमान देने के बाद चूंकि शिक्षा मित्र आठ साल से पढ़ा रहे हैं इसलिए उनको दो साल की बी0टी0सी0 कराने का निर्णय लिया गया है। इसी रूप से हम इनको भी क्वालीफिकेशन के एकार्डिंग एक निश्चित अधिमान दे देते हैं और निश्चित रूप से वो सहमत हैं भी, हाँ भी कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, इस पर नहीं। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से शिक्षा मित्रों के लिए किया गया है। वैसे ही इनके लिए भी कोई रास्ता निकाला जाय।

श्री मदन कौशिक--

अब ये हमारे यहाँ सर्विस में नहीं हैं। हम कैसे कर सकते हैं ? आप रास्ता बता दीजिए। शिक्षा मित्र आठ साल से हमारे यहां पढ़ा रहे थे, इनसर्विस जब वो पढ़ा रहे थे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, इन्होंने भी ट्रेनिंग ली है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह बी0एड0 के लोग भी सर्विस में नहीं थे, लेकिन जिस तरह विशिष्ट बी0टी0सी0 योजना चलायी गयी उसी तरह ....। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, जैसा हमने कहा कि जो हमारी विशिष्ट बी0टी0सी0 है, विशिष्ट बी0टी0सी0 में उनके लिए एलाउ है, वो आएं बैठें, कौन मना करता है उनको उसमें बैठने के लिए। यदि विशिष्ट बी0टी0सी0 हम चालू करते हैं तो बैठें। हम जो कह रहे हैं और अलग से भी, सरकार की तरफ से हम एक निश्चित अधिमान भी तय कर देते हैं कि हम इतने नम्बर इनको एक्स्ट्रा देंगे और जब वो इस प्रोसीजर से गुजरेंगे तो निश्चित रूप

से उनका अप्वाइंटमेंट हो भी जायेगा और दूसरा सुझाव मेरा यह भी है कि जो हमारी आँगनबाड़ी है, हम आँगनबाड़ी में उनको कर देते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, आँगनबाड़ी में तो ढाई हजार वेतन है, ढाई-ढाई, तीन-तीन लाख रुपया खर्च करके कौन आँगनबाड़ी में आयेगा ?

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, सवाल वेतन का नहीं है, सवाल इस चीज का है कि उनको कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में वो सुविधा मिल जाये, जिसे वो चाहते हैं। अब जहाँ तक वेतन की बात है तो वेतन तो विशिष्ट बी0टी0सी0 करने के बाद भी छः ही हजार मिलता है और टीचर को पूरे 14-15 हजार मिलते हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन--

मान्यवर, कैबिनेट के, मंत्रि परिषद के लोग सुझाव का काम काहे को करने लगे, सुझाव देने का काम हमारा है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, हमने तो निर्णय लिया है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन--

मान्यवर, तो फिर सुझाव शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आप निर्णय लेने का काम करिये।

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप इस पर कुछ निर्णय कर लीजिए। अब उनकी सहमति से निर्णय होगा तो कम से कम वहाँ जायेंगे तो नहीं। वो रोजाना चले जाते हैं, हर दूसरे, तीसरे दिन।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, मैं जाऊंगा, माननीय अध्यक्ष जी, मेरी तो जिम्मेदारी है। प्रदेश की जनता ने हमको विपक्ष में बैठाया है, अगर वहाँ बैठाते तो हम निर्णय लेते। यहां बैठाया है तो धरने पर जायेंगे ही।

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, यह समस्या बहुत पुरानी है। आप यहाँ भी बैठे, पाँच साल रहे तब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जहाँ तक सवाल इस चीज का है इसमें दो रास्तों पर सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जो नियमित बी0टी0सी0 लागू करने वाले हैं प्रदेश के

अंदर, उसमें एक निश्चित अधिमान इनको दिया जाय, जिससे कि इनको एक्स्ट्रा अंक देने के बाद इनका एडमीशन वहाँ थोड़ा और सरल हो जाय। दूसरा आँगनबाड़ी में, हम इनको एक निश्चित अधिमान देकर आँगनबाड़ी में कर सकते हैं। मंत्रि परिषद् की उप समिति बनी है, उसमें भी इस विषय को हम लेकर आये थे और मान्यवर, डायरेक्ट भर्ती के लिए चूँकि हमारे यहाँ स्कूलों में इस प्रकार की कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं, इनकी क्वालीफिकेशन उस रूप में नहीं है, इसलिए उनको टीचर के रूप में सीधे नियुक्त करना, ये असंभव है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, माननीय नेता प्रतिपक्ष, डा0 हरक सिंह रावत जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान) शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कोई वक्तव्य देना चाहते हैं।

नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण की नीति के अनुसार फ्री–होल्ड की कार्यवाही के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, सरकार द्वारा लिये गये एक महत्वपूर्ण निर्णय से सम्बन्धित जानकारी मैं सम्मानित सदन को देना चाहता हूँ। श्रीमन्, नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त नजूल नीति दिनांक 04–08–2005 को निर्गत की गयी थी। वर्तमान में उक्त नीति के अनुसार ही फ्री–होल्ड की कार्यवाही की जा रही है। नजूल नीति के निर्गत करने के उपरान्त यह पाया गया कि विभिन्न जनपदों में नजूल भूमि पर बहुतायत में निर्धन व्यक्तियों का अवैध कब्जा है तथा निर्धन व्यक्तियों द्वारा उनको प्रदान की गयी सुविधा के उपरान्त भी बहुत कम मात्रा में नजूल भूमि को फ्री–होल्ड कराया जा रहा है। प्रचलित नीति में शुल्क दरें कम करने हेतु भी जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर अनुरोध किया गया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान नीति में निर्धन व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ दिये जाने एवं नजूल भूमि के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों का संज्ञान लेते हुए नई नजूल नीति में प्राविधान किये गये हैं। नई नजूल नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक पट्टेधारकों की नजूल भूमि फ्री–होल्ड हो पाये तथा राज्य के गरीब तबके के लोगों को अधिक से अधिक लाभ उपलब्ध हो।

उपर्युक्त उद्देश्य के दृष्टिगत पट्टागत् एवं शाश्वतकालीन पट्टों की नजूल भूमि के पात्रधारकों के पक्ष में फ्री–होल्ड हेतु जमा की जाने वाली धनराशि पिछली नीति की तुलना में काफी कम रखी गई है तथा एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने

लिया है ₹ 22,000–00 (रुपये बाईस हजार मात्र) तक की वार्षिक आय वाले निर्धन पट्टेदारों को 50 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्डों को निःशुल्क फ्री–होल्ड की सुविधा दी जायेगी। पिछली नीति में बहुमंजिली भवनों/दुकानों में विभिन्न मंजिलों पर अलग–अलग स्वामित्व वाले पट्टेधारकों एवं उनके विधिक उत्तराधिकारियों/विधिक क्रेता हेतु भू–गृह तल होने पर नियमानुसार सकल मूल्यांकन के विभाजन का प्रावधान नहीं था। वर्तमान नीति में भू–गृह तल के फ्री–होल्ड मूल्यांकन हेतु प्राविधान कर दिया गया है। यह व्यवस्था भी की गई है कि ऐसी नजूल भूमि जिसकी आवश्यकता राज्य सरकार को हो, पट्टेदार अथवा अन्य किसी के पक्ष में फ्री–होल्ड करने की बाध्यता नहीं होगी। राज्य सरकार/स्थानीय निकाय एवं प्राधिकरण की आवश्यकता के दृष्टिगत नजूल भूमि के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु समस्त अधिकारी/जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। अब जिलाधिकारी किसी भी समय राज्य सरकार/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पट्टागत नजूल भूमि को एतदर्थ आरक्षित किये जाने का निर्णय ले सकते हैं। अवैध कब्जे की नजूल भूमि को भी फ्री–होल्ड किया जाना और आसान किया गया है तथा छोटे आकार के भूखण्डों के लिये विशेष रूप से सस्ता किया गया है।

अभी तक आवासीय हेतु सर्किल रेट का 200 प्रतिशत तथा व्यवसायिक हेतु सर्किल रेट का 300 प्रतिशत धनराशि जमा कराये जाने का प्रावधान था। इसके स्थान पर अब 100 वर्ग मीटर से कम भूमि की स्थिति में आवासीय उपयोग हेतु अद्यतन सर्किल रेट का 100 प्रतिशत, व्यावसायिक मामलों में सर्किल रेट का 125 प्रतिशत मूल्य लिया जायेगा तथा 100 वर्ग मीटर से अधिक की स्थिति में आवासीय हेतु अद्यतन सर्किल रेट का 125 प्रतिशत तथा व्यावसायिक मामलों में अद्यतन सर्किल रेट का 150 प्रतिशत पर मूल्य लेकर फ्रीहोल्ड के रूप में अतिचारी के पक्ष में विनियमित किया जायेगा। जिन प्रकरणों में नजूल नीति 2005 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत की स्वमूल्यांकन की धनराशि जमा कर दी हो और उन प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया हो, उन्हें यह सुविधा होगी कि वह नजूल नीति 2005 अथवा नई नीति 2009 में से एक के अन्तर्गत आच्छादित होने का विकल्प दे सकेंगे। इसके साथ–साथ जो रेट तय किये गये हैं 50 वर्ग मीटर तक 22000 ₹ से कम आमदनी वालों को निःशुल्क और इससे अधिक आमदनी वालों के लिए जो पूर्व में 30 प्रतिशत था उसको 15 प्रतिशत कर दिया गया है और 51 से 100 वर्ग मीटर तक 40 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत कर दिया गया है और 101 से 200 मीटर तक की दर को 40 प्रतिशत रखा गया है। श्रीमन्, इस प्रकार से नई नजूल नीति को सम्मानित सदन के संज्ञानार्थ वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह संशोधित दरें मैं आपके संज्ञानार्थ रख रहा हूँ।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ माई"–

मान्यवर, 22000 बहुत कम नहीं है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 22000 ₹ जिसकी वार्षिक आमदनी है उससे नीचे वालों को फ्रीहोल्ड कर दिया गया है। श्रीमन्, अभी जितने आवेदन आते हैं उसके अनुरूप कार्यवाही होगी। अभी नई नजूल नीति में यह प्राविधान किया गया है। जो बी0पी0एल0 हैं वह तो कम हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसे 50 हजार किया जाय। गारंटी रोजगार योजना के अन्तर्गत यह तो मजदूरों को भी मिल रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बी0पी0एल0 कहेंगे तो इसमें कोई नहीं आयेगा। बी0पी0एल0 का दायरा तो 12 हजार है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इसको 50 हजार कर दिया जाये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी यह सम्भव नहीं है, चूँकि जो यह नीति घोषित हुई है उसकी सूचना मैंने सम्मानित सदन को दी।

नेशनल पार्क के लिए कार्बेट पार्क को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिये जाने पर वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं एक और महत्वपूर्ण सूचना इस सदन के माननीय सदस्यों को देना चाहता हूँ। मान्यवर, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड की श्रृंखला में इंडियाज बैस्ट मैनटेंड टूरिस्ट फ्रैंडली नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सैन्चुरी कैटेगरी में वर्ष 2007–08 के लिए कार्बेट पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, पिछली सरकार में जिस तरह से पर्यटन मंत्री जी पुरस्कार ला रहे थे लेकिन पर्यटन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था। कहीं यह भी उसी तरह का पुरस्कार तो नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सामान्य पुरस्कार नहीं है। यह पुरस्कार भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय देता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वह भी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से पुरस्कार लाए थे। वह विदेश जाते थे। आज–कल आपके ही साथ हैं। आपकी पार्टी के सांसद हैं।

श्रीमती रमेशो कश्यप, अध्यक्ष जिला पंचायत, हरिद्वार के विरुद्ध प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायत पर वक्तव्य

पंचायती राज मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

मान्यवर, आज पूर्वाह्न में बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सरकार ने माननीय सदन को सूचित किया था कि इस सम्बन्ध में सरकार अपनी स्थिति आज सायं तक स्पष्ट कर देगी। इसी क्रम में मैं सदन को वक्तव्य के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ।

श्रीमती रमेशो कश्यप, अध्यक्ष जिला पंचायत, हरिद्वार के विरुद्ध प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायत पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (प्रमुखों, उप–प्रमुखों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को हटाया जाना) जाँच नियमावली, 1997 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या–394, दिनांक 17 जुलाई, 2007 के द्वारा जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्रारम्भिक जाँच हेतु जाँच अधिकारी नामित किया गया था। जिलाधिकारी, हरिद्वार की प्रारम्भिक जाँच आख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 29 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन के पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2008 के द्वारा श्रीमती रमेशो कश्यप, अध्यक्ष, जिला पंचायत, हरिद्वार के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए अध्यक्ष, जिला पंचायत हरिद्वार के वित्तीय एवं प्रशासनिक कृत्यों के सम्पादन हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी तथा जिलाधिकारी हरिद्वार की प्रारम्भिक जाँच आख्या के आधार पर आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को शासन के पत्र संख्या 384 दिनांक, 28 अप्रैल, 2008 के द्वारा विस्तृत जाँच हेतु जाँच अधिकारी नामित किया गया।

आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनाँक 06 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की विस्तृत जाँच आख्या शासन को प्रेषित की गई है, जिसके आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में श्रीमती रमेशो कश्यप, अध्यक्ष, जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर स्पेशल

अपील संख्या 269/2008 में प्रस्तुत स्टे प्रार्थना-पत्र में दिनांक 17-02-2009 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित किया गया है जिसकी सूचना श्रीमती रमेशो कश्यप ने शासन को दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 17-02-2009 द्वारा आयुक्त, गढ़वाल मण्डल से करायी जाने वाली जांच के आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 2008 तथा उक्त जाँच के दौरान श्रीमती रमेशो कश्यप, अध्यक्ष, जिला पंचायत, हरिद्वार की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति एवं कृत्यों पर रोक लगाते हुए अध्यक्ष, जिला पंचायत, हरिद्वार के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कृत्यों के निर्वहन हेतु जिला पंचायत, हरिद्वार की 03 सदस्यों की समिति गठित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 अप्रैल, 2008 को स्थगित कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश जब तक प्रवर्तन में हैं, तब तक शासन द्वारा उक्त आदेशों का पूर्ण पालन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक आदेश पारित किये जा रहे हैं। यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित उक्त स्पेशल अपील में माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड राज्य को एक माह का समय उत्तर दाखिल करने के लिए दिया है। इस अवधि में माननीय न्यायालय में उत्तर भी दाखिल कर दिया जायेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा

श्री केदार सिंह फोनिया-

श्रीमन्, यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2009 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड का जो यह अभिभाषण है, जो उन्होंने कल प्रस्तुत किया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह सरकार के दो साल का लेखा-जोखा है। सरकार ने क्या किया, क्या नहीं कर पाये, इस सबका लेखा-जोखा है और इस दृष्टिकोण से यह दस्तावेज मान्यवर बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ पर 71 माननीय विधायक इस माननीय सदन में बैठे हुए हैं। सब लोग कुछ न कुछ संवैधानिक जिम्मेदारी लेकर यहां पर आये हुए हैं। हमने अपने मतदाताओं से कहा था कि हम चाहे पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें। एक ऐसी सरकार बनायेंगे जो काम करने वाली सरकार होगी जो इस पर्वतीय क्षेत्र के विकास में जुट जायेगी ताकि लोगों का जीवन स्तर उठे और शिक्षा का प्रसार हो और सड़कें बनें, स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हों। यह आपने भी वायदा किया, हमने भी वायदा किया। ये दूसरी बात है सरकार हमारी बनी और आप लोग उस तरफ बैठ गये।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

माननीय फोनिया जी, आप दिल से बोल रहे हैं या बाहरी मन से बोल रहे है ? क्योंकि महामहिम राज्यपाल भी बाहरी मन से इसको बोल गये।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, दिल की बात हमेशा जुबान पर आती है। (हंसी) यह जिम्मेदारी आपने भी ली मतदाताओं से और हमने भी ली। लेकिन मैं अपने नेता प्रतिपक्ष से और माननीय विधायकगण जो उधर बैठे हैं, उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मान्यवर, अगर आप इस भाषण को सुनेंगे नहीं तो आप कैसे बता सकेंगे कि हमारी सरकार ने काम किया या नहीं किया। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय फोनिया जी, हम तो भाषण नहीं, अपने क्षेत्र में धरातल पर देख रहे हैं कि क्या हुआ है। इसलिए जो यहाँ हम प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वह काम को देखने के बाद कर रहे हैं।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, ये मैं जानता हूँ लेकिन मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ कि ये जो प्रजातंत्र प्रणाली है, इस प्रजातंत्र प्रणाली में सभी चीजें दुरुस्त हैं और सभी चीजें अपने आप में सही हैं। कहीं कुछ दोष पूर्ण बातें भी आ सकती हैं। एक दोष पूर्ण बात यह हो गयी कि हम सारे लोगों का यहाँ पर एक ही मिशन है कि उत्तराखण्ड आगे बढ़े, लेकिन हमने अपने को सत्ता पक्ष कहा और आपको विपक्ष कहा। हम तो आपको ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे सहयोगी पक्ष हैं। ये हमारी मिली जुली हुई जिम्मेदारी है प्रदेश के विकास की। आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड से यह शुरूआत की जाय कि विपक्ष को प्रतिपक्ष न कहकर सहयोगी पक्ष कहा जाय। ये मैं माननीय अध्यक्ष जी, कहूँगा कि इसकी शुरूआत यहीं से की जाय। अगर ऐसी शुरूआत उत्तराखण्ड से हो जाती है तो यह हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। मैं चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड का ये पाँच साल का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाय। इसमें दो आदमियों के नाम जरूरी हों–श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी और डा0 हरक सिंह रावत। इन दोनों आदमियों ने मिल जुल करके उत्तराखण्ड को बढ़ाया, उत्तराखण्ड का काम किया। (व्यवधान) (हँसी) हाँ, बहुजन समाज पार्टी का नाम भी हो। हमारे उस इतिहास के पन्ने में एक पन्ना और जोड़ा जाय और यू0के0डी0 वाले भी आ जायें।

मैं अपने सहयोगी नेता माननीय हरक सिंह रावत जी और सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि मैं जो प्रस्ताव ला रहा हूँ उस पर जरूर विचार करेंगे, बजाय विरोध के आप सहयोग का काम करें। मैंने पिछली बार कहा था कि जिस प्रकार इंग्लैण्ड के इतिहास में ग्लेडस्टोन और डिजराईली का नाम आता है, और जब ग्लेडस्टोन प्रधान मंत्री थे और डिजराईली विपक्ष के नेता थे ठीक उसी प्रकार उत्तराखण्ड में भुवन चन्द्र खण्डूड़ी और हरक सिंह रावत का नाम आना चाहिए। यह तभी सम्भव होगा जब आज का विपक्ष सत्ता पक्ष को काम करने देगा।

ग्लेडस्टोन प्रधानमंत्री थे और डिजराइली विपक्ष के नेता थे और वहाँ इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि ग्लेडस्टोन और डिजराइली की सरकार ने इंग्लैण्ड को आगे बढ़ाया। मैं तो यही चाहता था कि हमारा बेटा, खण्डूड़ी जी जो मेरे उम्र के हैं, और हरक सिंह बेटा, बेटे के उम्र का है सहयोग करें और आपके चाचा के साथ आपका भी नाम जुड़ जाय। इसमें आपके सहयोग की आकांक्षा है। कहा जाय खण्डूड़ी–हरक सिंह का कार्यकाल। उत्तराखण्ड के इतिहास में खण्डूड़ी–हरक सिंह का कार्यकाल एक स्वर्णिम युग रहे, ऐसा काम सबको करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल का अगर आप भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो क्या मैं ऐसी अपेक्षा कर सकता हूँ कि इस प्रकार की कुछ योजना बन सकेगी। खैर जो भी हो मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारी बातों का विवरण है। सभी बातों पर बात करना सम्भव नहीं होगा लेकिन इसका एक गूढ़ बात एक निचोड़ जो निकला है वह मुझे ऐसा लगा कि यह है कि जो हमारी सरकार है, विपक्ष के सहयोग से हमने एक संकल्प ले लिया है कि हम उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य बनायेंगे।

इस पूरे अभिभाषण का एक ही निचोड़ है कि हम उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य बनाकर रहेंगे। इस उद्देश्य के लिए मान्यवर, जो सबसे बड़ी बात हमारी सरकार की है वह है इस समय 'जनता की सरकार जनता के द्वार'। भारत वर्ष एक परम्पराओं वाला देश है। हमने अशोक महान की बात सुनी। अशोक महान ने पूरे देश में राज्य किया और जनता से मिलने का उनका तरीका था धम्म यात्राएँ। अशोक महान की जो धम्म यात्राएँ निकलती थीं उसमें 100 घोड़े होते थे। उनके सारे मंत्री जाते थे, उनके कार्यकर्ता जाते थे, उनके कर्मचारी जाते थे और गाँवों में टेन्ट लगाकर निवास करते थे और वहाँ पर जनता का हाल चाल पूछा जाता था। उसको धम्म यात्रा कहा जाता था और छठी सातवीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन हुए और उनके बारे में चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग ने लिखा है कि जहां अशोक की धम्म यात्रायें चलती थीं, तो कन्नौज के राजा की गज यात्राएँ चलती थीं। गज का मतलब है हाथी और हाथी का मतलब आप बसपा से नहीं है। हर्षवर्धन की यात्राएँ हाथी पर चलती थीं। उनके मंत्री जाते थे, उसके कर्मचारी जाते थे। गाँव में जाते थे, शहरों में जाते थे और पूछते थे अपनी प्रजा से कि क्या दुःख है? क्या सुख है? क्या करना है? तो ये परम्पराओं वाला जो हमारा देश है भारतवर्ष महान, उसमें यह जो हमारी सरकार है उसने इस स्वस्थ परम्परा को बनाये रखा। जो बहुत ही अनुकरणीय होनी चाहिए वह यह कि बजाए इसके कि जनता सरकार के द्वारा आए और मुख्यमंत्री के घर पर भीड़–भाड़ लगाए या दूसरे मंत्री के घर में भीड़ लगाए। हम क्यों न जनता के पास जाएं।

मैंने स्वयं देखा कि हमारे टम्टा जी आये थे जोशीमठ में, 157 मामले उन्होंने वहाँ पर निपटाए। वृद्ध महिलाएँ आयीं, बच्चे आये, अनुसूचित जाति के लोग आये, अनुसूचित जनजाति के

लोग आये अपनी–अपनी समस्याओं को ले करके और उन समस्याओं का समाधान हुआ ऑन द स्पॉट। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं गोपेश्वर में आए। गोपेश्वर वे चार बार आए और चार बार में कम से कम चार हजार आदमी उनसे मिले बहुतों की समस्याओं का समाधान उसी स्थान पर किया गया।

(मा0 सदस्य श्री केदार सिंह रावत के बैठे–बैठे कुछ कहने पर)

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पिछले 5 साल से उनकी आदत खराब थी, आदत खराब थी काम न करने की, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो अब यह जो जनता की सरकार है, (व्यवधान) यह एक अनुकरणीय काम कर रही है। मैं इस बात की अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले दिनों में चाहे जिसकी भी सरकार बने, चाहे हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, यह एक बहुत बढ़िया शुरूआत काम करने की हो गयी। फिर हमारी सरकार का जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से अर्जुन की नजर मछली की आँख पर टिकी थी ठीक उसी तरह हमारी सरकार की नजर 3 चीजों पर टिकी है। शिक्षा का प्रसार, शिक्षा बेसिक चीज है पूरे प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा का प्रसार होना अति आवश्यक है और शिक्षा का प्रसार होगा तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे। यह दूसरा लक्ष्य है। रोजगार के साधन बढ़ेंगे तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा और यही हमारी सरकार का काम करने का मूल मंत्र है।

हमारी सरकार इन 3 बातों पर नजर रख करके यह देखना चाहेगी कि हमारा जो उत्तराखण्ड प्रदेश है यहाँ पर आदमियों का जीवन स्तर ऐसे बढ़े, रोजगार के साधन बढ़ें और शिक्षा का प्रसार हो इसके लिए क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक नई सोच का प्रवेश हुआ, वह है पी0पी0पी0, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मान्यवर, श्री जोत सिंह जी हमारे पुराने मित्र हैं। जब ये मसूरी में नगर पालिका के अध्यक्ष थे तो मैं लखनऊ से शरदोत्सव के लिए इनके पास गया था तो उस दिन भी मैंने इनको समझाया कि यह पी0पी0पी0 है पी0पी0के0 नहीं है। मान्यवर, चाहे वह इंडस्ट्रीज हों, चाहे वह सड़कें हों, चाहे भवन का निर्माण करना हो, अगर आप ये सारा काम किसी सरकारी विभाग को देते हैं तो कहा जाता है कि काम समय पर पूरा नहीं करते हैं, बड़े ढीले हैं। तो अगर सरकार काम ठीक नहीं करेगी तो कौन करेगा। जो निजी सेक्टर हैं, प्राइवेट क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, उनका काम करने का तरीका अच्छा है, उनमें स्पीड है, गुणवत्ता भी है, तो हमारी सरकार ने यह किया कि सरकार क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र को मिला करके एक पी0पी0पी0 मोड की कार्यशैली अपनायी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसीलिए पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है कि इस पी0पी0पी0 में बड़ा घोटाला हो रहा है, इसीलिए हमारे सदस्य कह रहे हैं कि पी0पी0के0 हो रही है, ज्यादा पीने का मतलब धन अन्दर जाने की बात ज्यादा है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, जहां तक पारदर्शिता का प्रश्न है, यह बहुत कठिन होगा कहना कि पारदर्शिता का क्या है। मान्यवर, सिस्टम तो सिस्टम ही है। सिस्टम को चलाने वाला इंसान है। सिस्टम को पारदर्शी होने से पहले, इंसान को पारदर्शी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान पारदर्शी नहीं है, तब तक सिस्टम पारदर्शी नहीं हो सकता है। इसी सिस्टम के अंदर, इसी मोड के अंदर मुझे बड़ी खुशी हो रही है यह कहते हुए कि पहाड़ों में रेल का स्कोप तो बहुत कम है, लेकिन हमारी सरकार ने रोड कम्युकेशन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हर गाँव को सड़क से जोड़ना यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। गाँव बहुत सुन्दर हैं। सेब की खेती होती है, सब्जियाँ होती हैं, गोभी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सड़क नहीं है, इसलिए गाँव वाले गाँव छोड़कर देहरादून आ रहे हैं। लेकिन अगर सड़क गाँव में पहुँचा दी जाय तो गाँव वाला गाँव में ही रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इनको रोकने के लिए, लोगों की आय को बढ़ाने के लिए, रोजी–रोटी के साधन बढ़ाने के लिए अतिआवश्यक है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के सारे गाँव और मैदानी क्षेत्र के सारे गाँव सड़कों से जुड़ जायं। सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 550 मिलियन डालर, जिसका मतलब हो गया 5500 लाख डालर, यानि 247500 लाख रुपये की व्यवस्था सड़कों के लिए की है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय फोनिया जी, जब हमारी सरकार ने 14000 करोड़ ₹ उत्तराखण्ड के गाँवों के विद्युतीकरण और सड़कों के निर्माण के लिए ऋण लिया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है माननीय पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी ने, तो क्या अब वही कर्ज में डुबोने का सिलसिला माननीय खण्डूड़ी जी भी शुरू कर रहे हैं ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, उस समय तो इसलिए कहा गया था कि हमको तो मालूम था कि आप लोग जाने वाले हैं, हमें ऋण लौटाने की मुसीबत होगी। इस समय हमें मालूम है कि अगले 10–15 साल तक हम ही रहेंगे, इसलिए कर्जा तो हमें ही लौटाना होगा। अब यह सारा कर्ज हम ही लौटायेंगे। आपको इस पर चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय फोनिया जी, हम चिन्ता नहीं कर रहे हैं, परन्तु जो व्यवस्था आपकी वर्तमान में चल रही है, हम चाहते हैं कि वही व्यवस्था आपकी अगले तीन साल तक चलती रहे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम चाहते हैं, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही कार्य अगले तीन वर्ष तक और होता रहे तो हम चाहते हैं अगले 15–20 साल तक नहीं, बल्कि हो सकता है अगले 50 साल तक रहें। आप अमर हो जाओ। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री माननीय खण्डूडी जी भी नहीं बदलना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप दिल्ली के क्यों चक्कर काट रहे हो। जब खण्डूडी जी की सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, जैसा कि आप स्वयं सदन में कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री केदार सिंह फोनिया–

माननीय डा0 हरक सिंह रावत जी, मैं सोचता हूँ कि जो कुछ मुझे कहना है आप लोग समझ बैठे हैं कि, मुझे क्या कहना है, मैं क्या कहने वाला हूँ। मान्यवर, मुझे अब समय का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मान्यवर, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय देव भूमि 108 वाली सेवा और इसके साथ श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का बनना उत्तराखण्ड सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, इस समय 108 सेवा पूरे भारतवर्ष में टॉप ऑफ दि टाऊन है। सबकी जुबान पर है कि उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खण्डूडी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री रमेश पोखरियाल जी एक नया रिवोल्युशन ले आए हैं। लोगों को इससे काफी मदद मिल रही है। निःस्वार्थ और निःशुल्क सेवा उपलब्ध हो रही है। कहीं भी जाइये, डॉक्टर तो अस्पतालों में है ही। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए माननीय पन्त जी से पूछना चाहूँगा कि मैं किसको बधाई दूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को? (व्यवधान) मेरे ख्याल से मैं सरकार को बधाई देता हूँ। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। (व्यवधान)

पर्यटन के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियाँ हैं। मैं अपने माननीय पर्यटन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, इन्होंने राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड लेकर पूरे भारत वर्ष में उत्तराखण्ड को गौरवान्वित किया है। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन का जो फैलाव हो, वह जनमानस तक पहुँचना चाहिए। टैक्सी वाला पर्यटन से लाभान्वित होगा, बस वाला पर्यटन से लाभान्वित होगा, टी स्टॉल वाला पर्यटन से लाभान्वित होगा, होटल वाला पर्यटन से लाभान्वित होगा, तीर्थ पुरोहित भी पर्यटन से लाभान्वित होंगे। इसलिए पर्यटन पर अधिक से अधिक ध्यान पन्त जी देंगे, हमारी सरकार देगी, ऐसी मुझे आशा है। (व्यवधान) महिला सशक्तिकरण में नन्दा देवी कन्या योजना, स्वयं सिद्धा परियोजना बनायी है। बच्चों को कुपोषण से मुक्त रखने के लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं बनी हैं। कृषि के क्षेत्र में भी और बागवानी के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। काफी उन्नति हो रही है, बागवानी के क्षेत्र में।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, खेतों में हो रही हो या न हो रही हो, किताबों में बहुत उन्नति हो रही है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, आप पहाड़ों पर जाइये, जहाँ बगीचे हैं, देख कर आइये वहां पर। (व्यवधान) जड़ी–बूटी के क्षेत्र में भी बहुत काम हुए हैं, डेरी विकास, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी। एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, वन सुरक्षा। (व्यवधान) मान्यवर, उत्तराखण्ड बिल्कुल चाईना के बार्डर पर है। पूर्व में नेपाल का बॉर्डर है और यह एक बहुत संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है। माओवादियों का निरन्तर एक किस्म से खतरा बना हुआ है। मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था कर दी है, हमारी पुलिस और अर्द्ध सैनिक जो हैं, वे इस प्रकार की व्यवस्था में हैं कि उत्तराखण्ड में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। चाहे जितने भी धमकी के पत्र मिलें, धमकी के टेलीफोन मिलें। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पूरे पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी व्यवस्था है और पूरे प्रदेश में आज सुरक्षा व्यवस्था चौपट है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, आपको अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आपको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, तब विस्तार से अपनी बात कहिएगा।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र पर लिखने वाले एक बहुत बड़े लेखक हुए, उनका नाम था, प्लेटो। प्लेटो ने एक किताब लिखी है, जिसका नाम है, 'रिपब्लिक'। रिपब्लिक में उन्होंने डेमोक्रेसी को परिभाषित किया है कि प्रजातंत्र कैसा होना चाहिए और प्रजातंत्र का मतलब क्या है। हम सब लोग यहाँ पर चुन कर आए हैं। प्लेटो ने लिखा है कि प्रजातंत्र में यदि व्यवस्था गलत होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी चुने गये लोगों की नहीं है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर डाल दी जो चुनकर भेजते हैं यानी मतदाता। तो प्लेटो का कहना है कि जो मतदाता गलत आदमी को भेजेगा, वह मतदाता काबिले पनिशमेन्ट बनेगा। जब उनसे पूछा गया कि कैसे लोग होने चाहिये, तो उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार बननी चाहिये, जो दो चीजों का ख्याल रखे। एक तो देश की रक्षा करे, इस बारे में तो हम लोग आश्वस्त ही हैं और दूसरा धर्म की रक्षा करे। धर्म का मतलब यह नहीं है कि हिन्दू हो, मुस्लिम हो या बौद्ध हो, उनका मतलब था कि देश की

रक्षा करे और मानव धर्म की रक्षा करे। मनुष्य चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी सोच का हो, देश की रक्षा होनी चाहिये, मनुष्य की रक्षा होनी चाहिये। हमारी सरकार ने प्लेटो के सिद्धान्त पर काम करके यह दिखा दिया कि हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश की रक्षा कर सकते हैं और हम अपने प्रदेश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों की रक्षा कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं इस पुस्तिका का संक्षेपीकरण करते हुये यही कहना चाहूँगा कि सरकार की उपलब्धियाँ बहुत हैं और सरकार की उपलब्धियाँ बहुत ही नहीं, सराहनीय भी हैं। जिन लोगों का दिल जलता है कि खण्डूड़ी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और जो मुँह मोड़ कर रहते हैं, अपना दिल थाम के रखें (व्यवधान) और कितना ही आप लोग उलाहना दो, जनता के मन में यह बैठ गया है कि जो खण्डूड़ी जी की सरकार है, वह अति उत्तम सरकार है। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इन शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

*श्री जोगा राम टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय फोनिया जी द्वारा प्रस्तुत महामहिम के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, महामहिम महोदय के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियाँ, सरकार ने अब तक जो कार्य किये हैं, उनके बारे में और क्या कार्य चल रहे हैं तथा भविष्य में क्या कार्य होने हैं, इसका विस्तार से नहीं, पर हर क्षेत्र का विवरण है, संक्षेप में। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि जो यह सरकार वर्तमान में चल रही है, यह प्रजातांत्रिक आधार पर, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर, जनता की सरकार, जनता के लिये, जनता द्वारा। माननीय फोनिया जी ने एक जनता दरबार का जिक्र किया, सरकार जनता के द्वार। इधर हमने देखा है, अपने क्षेत्रों में देखा है कि जनता दरबार लगे, बहुउद्देशीय शिविर लगे और यह देखा गया कि अभी तो करना बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। जो हो रहा है, वह अति ही सराहनीय है। मैंने यह भी अनुभव किया कि हमारी सुदूर, जो हमारे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं, मेरा जिला पिथौरागढ़ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है और लोगों को अभी तक भी यह जानकारियाँ नहीं थी कि समाज कल्याण विभाग से लोगों को क्या सुविधायें मिलती हैं, वृद्धावस्था पेंशन है या नहीं है या यह पेंशन एक पुरुष को मिलेगी या महिला को मिलेगी। इन शिविरों के माध्यम से हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासनिक तंत्र ने स्थल पर जाकर, लोगों से पूछकर फार्म भरवाये हैं, विकलांग सर्टिफिकेट बनवाये हैं, समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी है और पेंशन वगैरा दी है और जहाँ कमी रही, उसे पूरा किया है। लोग ताज्जुब कर गये कि सरकार ऐसा भी करती है। कई जगहों पर लोगों को यह अनुभव पहली बार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ। जो हमने फार्म भरे, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ कि इन शिविरों से, इन जनता दरबार से हजारों–हजार हमारे निर्धन लोगों को, अभावहीन लोगों को पेंशन का लाभ मिला।

मान्यवर, छोटी–छोटी चीजें, विद्युत के बारे में, पेयजल के बारे में, मार्गों के बारे में, मुझे यह कहते हुए फख्र है कि हमारी लोकप्रिय सरकार ने मेरी विधानसभा क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में भी और जो गांव हैं हमारे, उनको जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत आगणन तैयार किये हुए हैं और राज्य सेक्टर के अंदर दर्जनों सड़कें स्वीकृत हैं। ऑफकोर्स जरूर एक बात है, वन भूमि अधिनियम के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र न मिलने की वजह से जितने शासनादेश मोटर मार्गों के लिए स्वीकृत हुए हैं, वो सभी कार्य अभी हाथ में नहीं लिये जा सके हैं। मुझे भी ताज्जुब लग रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय देवभूमि 108 सेवा, लोग इसके बारे में सोचते हैं, उनको सपना जैसा लगता है। आधे घंटे में हमारे पर्वतीय क्षेत्र में यह गाड़ियाँ जिनको जरूरत होती है, पहुँच जाती हैं। मेरे क्षेत्र में मेरे सामने दो–तीन ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर प्रसव गाड़ी में हो गये और जिनको जच्चा को भी नहीं बच्चा को भी नहीं बचना था, दोनों लोग बचे। लोग वाहवाही करते हैं, खण्डूड़ी सरकार की तारीफ के पुल बाँधते हैं।

इसके अतिरिक्त अब जैसे विद्युत है, विद्युतीकरण का काम है, शिक्षा के बारे में है, मैं दो साल पहले जब विधायक बना और मेरे क्षेत्र में उच्चीकृत हाईस्कूल थे, मिडिल स्कूल थे, इण्टर कॉलेज थे, शिक्षक विहीन और भवन विहीन कॉलेज हैं, इण्टर कॉलेज हैं। लोग चर्चा करते थे कि क्या करें हम इस उच्चीकरण से क्योंकि हमारे बच्चों का तो समय बरबाद हो रहा है। न टीचर हैं, न भवन हैं, न कोई स्टाफ है और इन दो सालों के अंदर अधिकांश जगहों में भवन निर्माण हो चुके हैं और कार्य प्रगति पर है, शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। यह सही बात है हमारे पास डॉक्टरों की कमी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सरकार की पहल पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है 15 हजार रुपया फीस पर डॉक्टर एक साल की पढ़ाई कर रहा है। ये तो बिल्कुल ताज्जुब ही है, सपना हो गया है। ये कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि ये सरकार कितनी संवेदनशील है। कुछ बातें ऐसी इसमें आयी हैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कि उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि समाज का जो बिल्कुल उपेक्षित वर्ग है, उनके लिए राज्य सफाई कर्म... आयोग का गठन, कदाचित् यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जो समाज के बहुत ... वर्ग के लोग हैं, उन लोगों की देखभाल की गयी, उनका स्तर उठाने के लिए। ... हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने, अभी मेरे पूज्यनीय फोनिया जी ने कहा ... मोड के हिसाब से काम करने के लिए एक निगम बनाया है उत्तराखण्ड ... विकास निगम। उसी प्रकार हमने यह भी देखा कि उत्तराखण्ड सड़क

परिवहन दुर्घटना राहत जो निधि बनी है, मैं पिछले 5–7 साल से देख रहा था, एक्सीडेंट हो जाते थे और उनको कोई राहत या कम्पनसेशन नहीं मिलता था। बहुत दौड़भाग करने के बाद भी कम्पनसेशन की मात्रा अलग–अलग होती थी कि जैसे जान की कीमत अलग–अलग हो। किसी को 25 भी नहीं मिलता था, किसी को 2 लाख भी मिलता था।

आज वर्तमान में व्यवस्था है अगर एक्सीडेंट हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, और एक्सीडेंट पता नहीं क्या है, कुछ हमें भी लग रहा है कि ज्यादा हो रहे हैं पर जो रिलीफ है, जो उनको राहत है, चाहे इलाज के बारे में हो या परिजनों के बारे में हो, बहुत जल्दी कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। कुछ एक्सीडेंट हुए, हमने स्थल पर ही इसका कम्पनसेशन बाँटा। साथ ही मुझे यह भी कहना है कि जो राज्य सफाई कर्मचारी वाली बात है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि सरकार इतनी संवेदनशील है, हमारे जो अभावग्रस्त इलाके हैं, दीन–हीन गरीब लोग हैं और बी0पी0एल0 धारक जो 40 परसेंट लोग है, उनके लिए सरकार, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, जैसा हमने जनता से कहा, वो बातें हो रही हैं और इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए मैं इस प्रस्ताव, महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद प्रस्ताव का बहुत–बहुत समर्थन करता हूँ। मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री केदार सिंह रावत, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री हरिदास, हाजी तस्लीम अहमद, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल 07 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को, जो जनपद उत्तरकाशी में लोहारीनागपाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिए तथा हाजी तस्लीम अहमद की सूचना, जो जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग के ग्राम निहन्दपुर, सुठारी, बाँण गंगा, बाखरपुर के घाट व टाँडा, महतोली में किसानों की भूमि एवं ग्राम समाज की भूमि पर हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कल भी चर्चा जारी रहेगी। अब हम कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(सदन की कार्यवाही 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून
दिनांक 25 फरवरी, 2009

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 38 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या–17 का संलग्नक

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	जनवरी 2009 तक अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)	टिप्पणी (कार्य की प्रगति)
1	2	3	4	5
1.	देहरादून सीवरेज योजना विजय कॉलोनी, जोन–एफ	99.58	99.58	कार्य पूर्ण
2.	देहरादून ब्रान्च सीवरेज योजना राजेन्द्र नगर गली नं0 8 एवं 10	81.37	81.37	कार्य पूर्ण एवं जलसंस्थान को हस्तान्तरित
3.	देहरादून ब्रान्च सीवरेज योजना राजेन्द्र नगर गली नं0 4 एवं 6	86.29	86.29	कार्य पूर्ण एवं जलसंस्थान को हस्तान्तरित
4.	देहरादून ब्रान्च सीवरेज योजना विद्या विहार एवं आदर्श विहार	151.08	151.08	कार्य पूर्ण एवं जलसंस्थान को हस्तान्तरित
5.	देहरादून ब्रान्च सीवरेज योजना जॉन ई का मुख्य सीवर	456.86	456.86	कार्य पूर्ण एवं जलसंस्थान को हस्तान्तरित
6.	देहरादून ब्रान्च सीवरेज योजना राजपुर रोड एवं समीपवर्ती क्षेत्र	96.00	96.00	कार्य पूर्ण एवं जलसंस्थान को हस्तान्तरित
7.	देहरादून ब्रान्च सीवरेज योजना नारायण विहार एवं समीपवर्ती क्षेत्र	94.50	94.50	कार्य पूर्ण एवं जलसंस्थान को हस्तान्तरित
8.	देहरादून ब्रान्च सीवरेज योजना सरस्वती विहार फेज–III	95.60	95.60	कार्य पूर्ण एवं हस्तान्तरण प्रपत्र जलसंस्थान को प्रेषित

1	2	3	4	5
9.	देहरादून ब्रान्च सीवरेज योजना विभिन्न क्षेत्र पार्ट–7 बी	99.89	99.89	योजना के 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
10.	देहरादून ब्रान्च सीवरेज योजना विभिन्न क्षेत्र पार्ट–7 सी	93.10	93.10	योजना के 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं आंशिक भाग जल संस्थान को हस्तान्तरित
	कुल योग	1356.29	1356.29	

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 विधान सभा / 139–26–06–2012–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।